बच्चों के बचाव

सम्बन्धी

रोज के सवाल

बच्चों के बचाव

सम्बन्धी

रोज के सवाल

प्रकाशन

PRAYATN

सहयोग

german cooperation
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Karl Kübel Stiftung
für Kind und Familie

संस्करण: २०१४

प्रकाशन:

प्रयत्न, ६८/३३७, प्रताप नगर, सेक्टर - ६,
सांगानेर-३०२०३३, जयपुर, राजस्थान, भारत
फोन:- ०१४१-२७९२९१९
ई-मेल: prayatnraj@yahoo.com
वेब पता: http://www.prayatnraj.org

लेखन एवं अनुवाद :

श्री लक्ष्मीनारायण

मार्गदर्शन:

मलय कुमार एवं योगेश जैन

मुद्रक:

श्याम प्रिंटर्स, जयपुर, राजस्थान

आर्थिक सहयोग:

german cooperation
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Karl Kübel Stiftung
für Kind und Familie

नोट :- इस पुस्तिका में प्रस्तुत संदर्भ सामग्री का आधार सेव द चिल्डन एवं युनिसेफ द्वारा अंग्रेजी में निर्मित पुस्तक ए कम्पेंडियम ऑफ फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेश्चनस आन चाइल्ड प्रोटेक्सन है । जिसे राजस्थान में निर्मित बाल संरक्षण संदर्भ समुह की मदद से तैयार किया गया था ।

आभार

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति में जिन चार वर्गों में अधिकारों की बात कही गई है बाल सुरक्षा उनमें से शायद इससे जटिल वर्ग है। इसकी वजह इसमें बालश्रम, बाल विवाह, उत्पीडन, बाल यौन उत्पीडन, बाल वैश्यावृति व बाल तस्करी जैसे गंभीर मुद्दों का शामिल होना है जिनके समाधान में समूचा विश्व स्वंय को असहाय पा रहा है। यदि यूनिसेफ के विभिन्न अनुमानों को जोडकर देखा जाए तो इस तरह की समस्याओं से पीडित बच्चों की संख्या विश्व में २० से ४० करोड तक हो सकती है। यदि इसमें अभिभावकों शिक्षकों व अन्य संरक्षकों द्वारा अनुशासन के नाम पर नियमित रूप से दंडित बच्चों की संख्या को भी जोडा जाए तो यह संख्या सवा अरब तक भी पहुँच सकती है । यानि दो तिहाई से अधिक बच्चों के सुरक्षा के अधिकार का किसी न किसी रूप में विश्व भर में उल्लंघन हो रहा है ।

विश्व के सर्वाधिक लगभग ४४ करोड बच्चे भारत में निवास करते हैं । इनमें से भारत सरकार के अनुमान के मुताबिक लगभग १७ करोड बच्चे विभिन्न प्रकार की मुश्किल परिस्थियों में जीवन यापन करते है । इनके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार के कानून एंव योजनाऐं बनाई है । इनमें बालश्रम (निषेध एंव नियमन) अधिनियम, बाल विवाह (प्रतिषेध) अधिनियम, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एंव संरक्षण) अधिनियम, अनैतिक व्यापार (प्रतिषेध) अधिनियम, नि:शुल्क एंव अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम व समेकित बाल सुरक्षा योजना प्रमुख हैं । पर इन सबके बावजूद पूर्व लिखित परिस्थितियाँ बनीं हुई है। इसका एक प्रमुख कारण इनके बारे में आवश्यक जागरूकता का अभाव है। इन कानूनी व योजनाओं का सहज भाषा में उपलब्ध न होना आवश्यक जागरूकता फैलाने के मार्ग मे एक बडी बाधा है।

अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाऐं यूनिसेफ व बाल रक्षा भारत तथा इसके सहयोग से गठित बाल संरक्षण पर राज्य स्तरीय संदर्भ समूह, जिसमें प्रयत्न के साथी श्री रामखिलाडी, श्रीमती ऊशा शर्मा, श्री सुदंरसिह व संदीप चौधरी जुडे हुए है, ने इस संदर्भ में एक पहल की जिसके अन्तर्गत इन सभी कानूनों का प्रश्नोत्तर के रूप में एक अंग्रेजी संकलन तैयार किया गया ।

प्रयत्न ने इस संकलन को काफी उपयोगी माना और इसे सरल हिन्दी में अनुवाद करने का बीडा उठाया । इसमें हमें जर्मन ऐजेन्सी बी एम जेड (BMZ) व अन्तर्राश्ट्रीय संस्था कार्ल क्यूबल स्टिफ्टंग (Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie) का आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ । इन सभी संस्थाओं व राज्य स्तरीय सदंर्भ समूह का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहते है क्योंकि आप सबके योगदान के बिना प्रकाशन के इस विचार का उदय हो पाना असंभव था ।

इस विचार को मूर्त रूप देने की जिम्मेदारी वरिश्ठ सामाजिक कार्यकर्त्ता एंव लेखक श्री लक्ष्मी नारायण जी ने उठाई । आपके अथक प्रयास के बिना यह जटिल कार्य संभव नही था । आपके योगदान हेतु आपको कोटिशः नमन एंव धन्यवाद ।

इस प्रकाशन की समीक्षा व संपादन में संस्था के अनुसंधान एंव प्रलेखन प्रकोश्ठ की विशेश भूमिका था। ऐसे में प्रकोष्ठ से जुडे योगदानकर्ता श्रीमति पद्मा भट्ट, श्री योगेश जैन, श्री राम प्रसाद जॉगिड, व श्री कैलाश सैनी को भी हार्दिक धन्यवाद ।

इस पूरे प्रयास के पीछे संस्था से जुडे कार्यकर्त्ताओं, समुदाय सदस्यों व बच्चों के अनुभवों की विशेष भूमिका रही है । अतः आप सब अनामित योगदानकर्त्ताओं का भी हार्दिक आभार ।

हम आशा करते है कि यह प्रकाशन समाज में बाल संरक्षण के प्रति सजगता व सक्रियता लाने में उपयोगी साबित होगा । बाल संरक्षण का वैधानिक परिवेश तेजी से बदल रहा है। ऐसे में यदि किसी पाठक के कुछ सुझाव हों तो हमें अवगत कराएं । हम उन्हें भविष्य में प्रकाशित होने वाले संस्करणों में समायोजित करने का प्रयास करेगें ।

धन्यवाद,

मलय कुमार

सचिव

विषय विवरण

बाल अधिकार

बाल संरक्षण

किशोर न्याय अधिनियम

समेकित बाल संरक्षण योजना

बाल श्रम

बाल विवाह

बाल अधिकारों

सम्बन्धी

रोज के सवाल

भूमिका

संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी ए. अन्नान का मानना है कि दुनिया बच्चों में जो आस्था रखती है उससे पवित्र कोई आस्था नहीं है व बच्चों के अधिकारों के प्रति आदर और उनके हितों के संरक्षण से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई कर्त्तव्य नहीं है। बच्चों के अधिकारों पर रोज के सवाल और उनके जवाब सामने रखने की विनम्र कोशिश के पीछे इन पक्तियों की ही प्रेरणा है।

षारीरिक व मानसिक अपरिपक्वता के कारण, बच्चों को समुचित कानूनी संरक्षण सहित विशेष संभाल और सावधानियों की ज़रूरत है। देर से ही सही, दुनिया भर में, पहले के मुकाबले बच्चों के अधिकारों पर ज्यादा बातचीत होने लगी है और बाल अधिकारों से विस्तृत मानव अधिकारों को विस्तृत मानव अधिकार सन्धियों से अलग स्वतंत्र एवं विशेष दर्जा दिया गया है। सेव द चिल्ड्रन के संस्थापक इग्लेटाईन जेब को धन्यवाद है जिन्होंने वर्ष १९२३ में, बाल अधिकार घोषणापत्र तैयार करने का अभियान छेड़ा और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को इसके पक्ष में समझाया। विस्तृत विचार विमर्श के बाद १९२४ में लीग ऑफ नेशन्स ने इसे ''बाल अधिकार घोषणा'' के रूप में स्वीकार किया, जिसे बाल अधिकारों पर जेनेवा घोषणा के रूप में भी जाना जाता है। इसी ऐतिहासिक दस्तावेज को विस्तार करके वर्ष १९५९ में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकार किया जो वर्ष १९८९ में प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय कानून ''संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति १९८९'' की प्रेरणा और संदर्भ दस्तावेज बना। भारत ने दिसम्बर, १९९२ में इस सहमति को लागू करना स्वीकार किया और तब से देश में, बाल अधिकारों के लिए कानूनी ढांचा मजबूत करने और उनके क्रियान्वयन में प्रगति हो रही है।

राजस्थान, देश के पहल करने वाले राज्यों में है और यहां हाल ही बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए, कई नये और उत्साहवर्धक कदम उठाये गये हैं। चाहे वह ''पालनहार'' योजना हो या बाल श्रम में लगे बच्चों को ढूंढकर पुनर्वास के लिए उम्र सीमा बढ़ाकर १८ वर्ष करने की पहल हो, राजस्थान ने कई मोर्चों पर अन्य राज्यों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किये हैं लेकिन यह भी सही है कि बाल श्रमिकों, बालविवाहों, लिंगानुपात के अंतर और कुपोषण जैसे मामलों की बड़ी संख्या राज्य की छवि बिगाड़ रही है।

बाल अधिकार, ऐसा विषय है जिस पर हम जितना अपना ज्ञान बढ़ाते हैं उतना अल्पज्ञानी होते जाते हैं, फिर भी हर व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो, संरक्षक हो, देख-रेख करने वाले हों, नीति निर्माता हों, प्रशासक हों, छात्र हों या सामाजिक कार्यकर्ता हों, हम पर दुनिया को बच्चों के लायक बनाने की जिम्मेदारी है। बच्चों के अधिकारों पर रोज के सवाल, पाठकों को कई मुद्दों जैसे दर्शन, विचार, सिद्धांत सम्भावना और कानूनी प्रावधानों के साथ, इस विषय पर हाल ही हुई बड़ी प्रगति की जानकारी देने का प्रयास है। कानून, आंकड़े, योजनाएँ और कार्यक्रम बदलते रहते हैं इसलिए पाठक कृपया, इस पुस्तक में दी गई जानकारी से आगे की सूचनाएँ भी प्राप्त कर लें।

यदि पाठकों ने इस प्रयास को सूचनाप्रद, शिक्षाप्रद और आगे अध्ययन के लिए उत्साहप्रद समझा तो हमारा श्रम सार्थक होगा। इस संग्रह को सुधारने के लिए आपकी समीक्षा और सुझावों का स्वागत है।

१. बालक/बालिका कौन

बालक/बालिका कौन हैं? बालपन (बचपन) कब शुरू होता है? इन आसान सवालों के जवाब मुश्किल हैं। भारत के अलग-अलग कानूनों में बचपन पूरा होने की अलग-अलग उम्र आंकी गई है। बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम १९८६ के अनुसार १४ वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति बालक/बालिका है। भारत के संविधान में १४ वर्ष से कम उम्र वालों को बालक/बालिका मानकर, उन्हें कारखानों और खतरनाक काम-धंधों से संरक्षित किया गया है। शिक्षा का मूल अधिकार (२१-ए) १४ वर्ष से कम उम्र के बच्चे बच्चियों के लिए ही लागू है। भारतीय दण्ड संहिता १८६० के अन्तर्गत आपराधिक दायित्व के लिए ७ और १२ वर्ष की उम्र तय है। अपहरण और भगाए जाने संबंधी अपराधों से १६ वर्ष तक के बालक और १८ वर्ष तक की बालिकाओं को संरक्षण प्राप्त है। किशोर न्याय (बाल संभाल व संरक्षण अधिनियम २००० में विशेष व्यवहार के लिए बालक-बालिका दोनों को १८ वर्ष तक उपयुक्त माना गया है। १८ वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और २१ वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह को बाल विवाह मानकर निषिद्ध किया गया है। नए बाल अधिकार कानून जिसे यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम २०१२ (पोक्सो एक्ट) का नाम दिया गया है, में उस व्यक्ति को बालक-बालिका माना गया है, जिसने १८ वर्ष की उम्र पूरी नहीं की है। राष्ट्रीय बाल नीति २०१३ में १८ वर्ष से कम उम्र के लोगों को बालक-बालिका माना गया है। इन परिभाषाओं से बालक-बालिकाओं के बारे में अन्तर्राष्टीय मानव अधिकार कानून संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति(यू. एन. सी. आर. सी.) १९८९ में स्वीकृति परिभाषा की पुष्टि होती है। इसमें कहा गया है कि बालक-बालिका का मतलब हर उस मानव से है जिसकी उम्र १८ वर्ष से कम है, अगर किसी अन्य सम्बद्ध कानून में उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है। इस तरह, इस परिभाषा में हर देश को छूट दी गई है कि वह बालपन पूर्ण होने की उम्र १०,१२,१४,१६ या जो भी ठीक समझे तय कर ले। भारतीय वयस्कता अधिनियम में वयस्कता प्राप्त करने की उम्र १८ वर्ष पूर्ण करना मानी गई है। स्पष्ट तौर पर १८ वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति बालक-बालिका है यदि उस पर लागू हो रहे, कानून में कोई अन्य उम्र तय नहीं की गई है।

२. अधिकार क्या है?

अधिकार, वह विशेष आवश्यकता है जिसे संविधान, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय कानून, न्यायालय के निर्णय, आदि में वैधानिक या मान्य कानून या कानूनी उपचार का दर्जा दिया गया है। "आवश्यकता" से हटकर "अधिकार" वैधानिक न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य है और राज्य का दायित्व है कि वह व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ति करे। अधिकार समझौता योग्य नहीं है।

३. बाल अधिकार क्या हैं?

१८ वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के सभी मानव अधिकार, बाल अधिकार के रूप में जाने जाते है।

४. क्या बच्चों के लिए विशेष अधिकार होने चाहिए?

हाँ, बिल्कुल होने चाहिए, और हैं भी। विशेष अधिकारों के साथ-साथ, सभी बच्चों को मानव होने और नागरिक होने के कारण, सामान्य मानव अधिकार भी प्राप्त हैं क्योंकि बचपन जीवन का विशेष और निर्णायक दौर है। यह वह समय है जब एक व्यक्ति के जीवन और दृष्टिकोण की नींव रखी जाती है तथा जिसका दूरगामी प्रभाव उसके भावी जीवन पर पड़ता है। बच्चे अपनी नाजुक उम्र, अपरिपक्वता और पर-निर्भरता के कारण बहुत सारे मानव अधिकार हनन का शिकार होते हैं। इसलिए बच्चों को विशेष ध्यान, सुरक्षा उपायों और उपचारों की जरूरत है। इस मामले में सरकार को ढिलमुल रवैया अपनाने के बजाय तत्काल प्रभावी, सजग और सक्रिय प्रयास करने जरूरी हैं। नोबल पुरस्कार विजेता, महान कवि, चिली के गैब्रियल मिस्त्राल ने एक बार कहा "हम कई भूलों और गलतियों के दोषी हैं, लेकिन हमारा सबसे बुरा जुर्म बच्चों के प्रति लापरवाही और जीवन की नींव की उपेक्षा करना है। हम जो चीजें चाहते हैं, उनमें से बहुत सी चीजें इंतजार कर सकती हैं। लेकिन बच्चा इन्तजार नहीं कर सकता, यही वह समय है जब उसकी हड्डियाँ बढ़ रही हैं, उसका खून बन रहा है और उसकी संवेदनाएं विकसित हो रही हैं। हम उसको कल के लिए नहीं कह सकते। उसका नाम आज है।

५. बाल अधिकारों के उद्भव स्रोत बाल अधिकारों का उल्लेख भारत के संविधान और देश के अन्य विभिन्न कानूनों तथा नागरिक उद्घोषणाओं में किया गया है। बाल अधिकारों से सम्बन्धित अनेक अन्तर्राष्ट्रीय कानून (घोषणा पत्र और सहमतियां) हैं जिन पर भारत सरकार की ओर से भी या तो हस्ताक्षर किए गए हैं या जिन्हें लागू करने की सहमति व्यक्त की गई है।

६. बाल अधिकार संबंधी संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

भारत में विशेष रूप से बालक/बालिकाओं से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानों में शामिल हैं:-

- सरकार बच्चों के लिए विशिष्ट प्रावधान कर सकती है (धारा १५.३)।
- ६-१४ वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का अधिकार (धारा २१ए)।
- १४ वर्ष की उम्र तक खतरनाक रोजगार से बचाव का अधिकार (धारा २४)।
- बच्चों की उम्र या सामर्थ्य से बाहर के काम धन्धों में उन्हें आर्थिक दबाव या जरूरत के चलते-जबरन धकेलने और प्रताड़ित करने से सुरक्षा का निर्देश (धारा ३९ ई)।
- स्वतंत्र व गरिमापूर्ण स्थितियों तथा स्वस्थ तरीकों से विकसित होने के लिए समान अवसरों व सुविधाओं का अधिकार और शोषण, नैतिक एवं भौतिक अलगाव से बच्चों व युवाओं के बचाव का लक्ष्य (धारा ३९ एफ)।
- सभी बच्चों के लिए ६ वर्ष की उम्र पूरी होने तक प्रारम्भिक संभाल और शिक्षा प्राप्त होने का लक्ष्य (धारा ४५)।

इन प्रावधानों के अलावा सभी बच्चों को भारत के सभी नागरिकों की तरह वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो किसी भी वयस्क महिला या पुरूष को प्राप्त हैं जैसे:

- समानता का अधिकार (धारा १४)।
- भेदभाव के विरूद्ध अधिकार (धारा १५)।

- व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के सामने समानता का अधिकार (धारा २१)।
- जबरन ले जाने और बंधक मजदूरी से बचाव का अधिकार (धारा २३)।
- अल्पसंख्यकों को अपने हितों के संरक्षण का अधिकार (धारा २४)।
- कमज़ोर वर्गों के लोगों को सभी किस्म के शोषण और सामाजिक अन्याय से सुरक्षा पाने की नीति (धारा ४६)।
- पोषण, जीवन स्तर और सुधरी हुई स्वास्थ्य सेवाओं का लक्ष्य (धारा ४७)।

७. भारत में बच्चों से सम्बन्धित मुख्य कानून कौन–कौन से हैं?

भारतीय दंड संहिता १८६० और अपराध प्रक्रिया संहिता १९७३, जो बच्चों व वयस्कों सब पर समान रूप से लागू हैं, के अलावा बच्चों से सम्बन्धित अनेक केन्द्रीय एवं राज्यों के अनेक कानून मौजूद हैं। उनमें से कुछ मुख्य कानून हैं:-

- यौन अपराधों से बच्चों का बचाव अधिनियम, २०१२ (पोक्सो एक्ट)।
- बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ (आर.टी.ई. एक्ट)।
- बाल विवाह निषेध अधिनियम, २००६ (पी.सी.एम.ए.)।
- बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, २००५।
- किशोर न्याय (बच्चों की संभाल व संरक्षण) अधिनियम, २०००, २००६ व २०११ में संशोधित, (जे.जे. एक्ट)।
- भ्रूण व प्रसव पूर्व लिंग जांच तकनीक (दुरुपयोग निषेध व नियमन) अधिनियम, २००४ (पी.सी.पी. एन.डी.टी.एक्ट)।
- शिशु दुग्ध विकल्प, दूध पिलाने की बोतल और शिशु आहार (उत्पादन पूर्ति व वितरण) अधिनियम, १९९२, २००३ में संशोधित, (आई.एम.एस. एक्ट)।
- अनैतिक व्यापार (निषेध) अधिनियम १९५६, (आई.टी.पी.ए.)।

- नि:शक्त जन (समान अवसर, पूर्ण सहभागिता एवं अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, १९९५ (पी. डब्ल्यू.डी. एक्ट)।
- संरक्षण व संरक्षित अधिनियम, १८९०।

८ भारत और राजस्थान में बच्चों से सम्बन्धित मुख्य नीतियां क्या हैं?

- राष्ट्रीय बाल नीति २०१३।
- राजस्थान राज्य की बालिका नीति २०१३।
- राजस्थान बाल नीति २००८।
- भारत में बच्चे एवं एड्स सम्बन्धित नीतिगत ढाँचा २००७।
- नि:शक्त जन के लिए राष्ट्रीय नीति २००६।
- बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना २००५।
- बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर २००३।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति २००२।
- राष्ट्रीय पोषण नीति १९९३।
- राष्ट्रीय बाल श्रम नीति १९८७।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति १९८६।

बच्चों से सम्बन्धित मुख्य योजनाएं इस प्रकार हैं:–

- समन्वित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)।
- समन्वित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.)।
- राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना (विशेष स्कूल) (एन.सी.एल.पी.)।
- चाइल्ड लाइन १०९८ (संकटग्रस्त बच्चों के लिए तत्काल सहायता कार्यक्रम)।

- पालनहार (राजस्थान सरकार)।
- मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना (राजस्थान सरकार)।
- आपकी बेटी (राजस्थान सरकार)।
- सहयोग योजना (राजस्थान सरकार)।
- विकलांग पेंशन।
- श्रम व रोजगार मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन।
- पूर्व मैट्रिक व उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ एवं विभिन्न बच्चों के लिए अन्य छात्रवृत्ति योजनाएँ।

९. बच्चों से संबंधित मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून और सहमतियाँ क्या हैं?

१. बाल अधिकार घोषणा १९२४ (लीग ऑफ नेशन्स द्वारा) और १९५९ (संयुक्त राष्ट्र संघ)।

२. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सहमति सं. १३८ (रोजगार के लिए न्यूनतम आयु) १९७३।

३. किशोर न्याय प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र स्तरीय न्यूनतम नियम (बीजिंग रूल्स) १९८५।

४. संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति १९८९।

५. स्वतन्त्रता से वंचित बच्चों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र नियम १९९०।

६. बाल अपराध नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देश (रियाद दिशा निर्देश)।

७. बाल जीवन, संरक्षण और विकास के लिए विश्व घोषणा १९९०।

८. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सहमति संख्या १८२ (बाल श्रम के निकृष्टतम रूपों का निषेध) १९९९।

९. बाल विक्रय, बाल वेश्यावृत्ति और बाल नग्नता चित्रण पर ऐच्छिक संधि २००२।

१०.सशस्त्र संघर्ष में बच्चों की संलग्नता पर ऐच्छिक संधि २०००।

११. बच्चों के लिए उपयुक्त विश्व २००२।

१२. वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों व महिलाओं के व्यापार की रोकथाम पर सार्क सहमति २००२।

१३.नि:शक्त जनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सहमति २००६।

इनके अलावा मानव अधिकारों की वैश्विक घोषणा १९४८, वर्णभेद के सभी रूपों के समापन पर अन्तर्राष्ट्रीय सहमति १९६६, नागरिक एव राजनीतिक अधिकारों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संकल्प १९६६, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय संकल्प १९६६, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभावों के समापन पर सहमति १९७९, आदि अन्य अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों, उपचारों और ऐच्छिक संधियों में प्रसंगवश बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ हैं।

१०. वे कौन-कौन से मानव अधिकार उपकरण हैं जिन पर भारत ने हस्ताक्षर किये हैं या सहमति दी है?

भारत ने छः मुख्य मानव अधिकार सहमतियों या संधियों पर हस्ताक्षर किये हैं। ये हैं:- अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक व राजनीतिक अधिकार संधि, अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार संधि, सब प्रकार के वर्ण भेद समापन की अन्तर्राष्ट्रीय सहमति, महिलाओं के विरुद्ध सब प्रकार के भेदभाव के समापन की सहमति, बाल अधिकार सहमति (और इसके दो ऐच्छिक समझौते) और निःशक्तजन अधिकार सहमति। भारत २००७ में संयुक्त राष्ट्र निःशक्तजन अधिकार सहमति से सहमत होने वाले सबसे शुरूआती देशों में है। २०११ में भारत ने अपराधों के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र बहुर्राष्ट्रीय संगठित सहमति और इसके तीन समझौतों तथा संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी सहमति पर भी सहमति व्यक्त की है।

११. संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति क्या है?

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति को संयुक्त राष्ट्र संघ ने २० नवम्बर, १९८९ को स्वीकार किया। यह बच्चों के सामाजिक-सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का एक समूह है जिसके लिए हर बच्चे हर जगह अधिकृत हैं। यह सहमति बाल अधिकारों पर सबसे विस्तृत और विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय कानून है। इसमें बाल अधिकारों पर वैश्विक मापदण्ड सुझाये गये हैं और हर देश से अपेक्षा की गई है कि वह अपने घरेलू (राष्ट्रीय) वैधानिक व प्रशासनिक प्रावधानों को इसके पालन के लिए सशक्त करे। यह बाल अधिकारों के लिए पहला अन्तर्राष्ट्रीय वैधानिक बंधन है। इसमें ५४ धाराएं हैं जिनमें से धारा १ से ४१ में महत्वपूर्ण बाल अधिकारों की बात कही गई है।

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति, जेनेवा बाल अधिकार घोषणा से प्रेरित है, जिसे प्रारम्भिक रूप से इंग्लेटाईन जेब (सेव द चिल्ड्रन के संस्थापक) ने तैयार किया था और पहले, वर्ष १९२४ में लीग ऑफ नेशन्स और बाद में १० दिसम्बर, १९५९ को संयुक्त राष्ट्र संघ ने पारित किया था।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति के दो ऐच्छिक समझौतों को भी सहमति दी है। ये हैं बाल विक्रय, बाल वैश्यावृत्ति और बाल नग्नता चित्रण संबंधी ऐच्छिक समझौता एवं सशस्त्र संघर्ष में बच्चों की संलग्नता संबंधी ऐच्छिक समझौता, जिन्हें क्रमशः १६ सितम्बर, २००५ और ३० दिसम्बर, २००५ को सहमति दी गई।

१२. संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति के पालन की निगरानी कौन करता है?

जिन देशों की सरकारों ने, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति को अंगीकार करने की सहमति दी है वे संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति को अपनी रिपोर्ट देती हैं। यह रिपोर्ट पहले सहमति को अंगीकार करने के दो वर्ष के अंदर और फिर हर पाँचवें वर्ष दी जाती है।

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति का गठन, विभिन्न देशों और वैधानिक संस्थानों के उन दस प्रतिनिधियों से होता है जिन्हें ''ऊँचे नैतिक मापदण्डों वाला'' और बाल अधिकारों का विशेषज्ञ माना जाता है। इन प्रतिनिधियों का मनोनयन व चयन, सहमति को अंगीकार करने वाले देशों की सरकारों द्वारा किया जाता है लेकिन वे अपनी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम नहीं करते हैं बल्कि अपनी निजी हैसियत में काम करते हैं।

भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति के क्रियान्वयन संबंधी अपनी पहली रिपोर्ट वर्ष १९९७ में प्रस्तुत की थी। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति ने जनवरी, २००० में इसकी समीक्षा की। भारत ने अपनी दूसरी सावधिक रिपोर्ट वर्ष २००१ में पेश की जिसकी समीक्षा फरवरी २००४ में की गई। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति ने भारत सरकार को अपनी तीसरी और चौथी, संयुक्त रिपोर्ट जुलाई २००८ में पेश करने को कहा था जो वर्ष २०११ में पेश की गई। इस रिपोर्ट में वर्ष २००१ से २००८ के बीच, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति के क्रियान्वयन की प्रगति बताई गई है।

१३. संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति में किन मुख्य अधिकारों को परिभाषित किया गया हैं?

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति में ५४ धाराएं हैं। इन में से धारा १ से ४१ में बालक/बालिकाओं के जीवन, जैसे स्वतंत्र जन्म लेने के अधिकार, अपना नाम रखने के अधिकार, राष्ट्रीयता, संरक्षण, उचित व आवश्यक सार-संभाल पाने के अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, धर्म के अधिकार, वृद्धि व विकास के अधिकार, शिक्षा के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उपेक्षा, हिंसा व प्रताड़ना से बचाव के अधिकार, स्वास्थ्य व पोषण के उच्चतम स्तर के अधिकार, संगठन, अभिव्यक्ति, विश्राम व सहभागिता के अधिकार, आदि आवश्यक अधिकारों को शामिल किया गया है। इन अधिकारों को चार वर्गों में बाँटा गया है। ये इन्हीं नामों से लोकप्रिय भी हैं:

१. जीवन का अधिकार   २. विकास का अधिकार

३. संरक्षण का अधिकार   ४. सहभागिता का अधिकार

१४. "जीवन के अधिकार" में क्या शामिल हैं?

जीवन के अधिकार में वे सब प्रारम्भिक और मूल अधिकार शामिल हैं जो जीवित रहने (अस्तित्व बनाए रखने) के लिए आवश्यक हैं। हर बच्चे के जीवन का अधिकार, उसके जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। भारत सरकार के अनुसार, बच्चे का जीवन गर्भाधान के बीस सप्ताह बाद शुरू हो जाता है। इस प्रकार जीवन के अधिकार में बच्चे के जन्म लेने, न्यूनतम स्तर के अनुसार पोषण, आश्रय व कपड़ा (रोटी, कपड़ा और मकान) पाने और गरिमा के साथ रहने का अधिकार शामिल है। इसमें लिंग चयनित गर्भपात या भ्रूण व शिशु हत्या निषेध, समयानुसार टीकाकरण, स्तनपान, अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ वातावरण पाने के अधिकार भी शामिल हैं।

१५. "विकास के अधिकार" में क्या शामिल हैं?

बच्चों को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सभी प्रकार के विकास का अधिकार है। शारीरिक विकास- पोषण, खेल व मनोरंजन, मानसिक विकास- शिक्षा व शिक्षण और भावनात्मक विकास- सहायक तंत्र द्वारा की जाने वाली संभाल व स्नेह पर निर्भर है।

१६. “संरक्षण के अधिकार“ में क्या शामिल हैं?

संरक्षण का अधिकार, बच्चों को घर या बाहर हिंसा, शोषण, उत्पीड़न, उपेक्षा और हर प्रकार के दुर्व्यवहार से बचाव के लिए अधिकृत करता है। बाल श्रम, बाल विवाह, बाल व्यापार, बेघर बच्चे, बाल अपराध, कानून के समक्ष विचाराधीन बच्चे, बाल नग्नता, फिल्म व टेलिविजन में काम करने वाले बच्चे, जबरन प्रवास, बन्धुआ श्रमिक, सशस्त्र संघर्ष में लिप्त बच्चे, भिक्षावृत्ति, यौन हिंसा, नशे के शिकार या व्यापार में संलग्नता, बाल सैनिक, भेदभाव, अपहरण, आदि से सावधानी व सुरक्षा, इस अधिकार के अन्तर्गत आते हैं।

१७. “सहभागिता का अधिकार“ क्या है?

सहभागिता का अधिकार के अन्तर्गत प्रावधान है कि बच्चों को उनके जीवन को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करने वाले सभी निर्णयों और प्रक्रियाओं (न्यायिक प्रक्रियाओं सहित) में बोलने, अभिव्यक्त करने तथा भाग लेने का अधिकार है। बच्चे की उम्र और परिपक्वता के आधार पर, सहभागिता का स्तर उनकी विकासशील क्षमता के अनुसार हो सकता है। बच्चों को उनकी बात सुनी जाने और उनकी राय, चिन्ताएं पर्यवेक्षण और सुझावों की अभिव्यक्ति के लिए अवसर और मंच मिलने जरूरी हैं। वयस्कों की तरह, बच्चों को भी सुने जाने का अधिकार है। गाँवों एवं बस्तियों में बाल मंचों का गठन, विद्यालय प्रबंधन या बाल संभाल संस्थानों के प्रबन्धन में बच्चों के अनिवार्य प्रतिनिधित्व के प्रावधान और सरकार -प्रणीत, समुदाय -आधारित संरक्षण तंत्र आदि कुछ तरीकों से सहभागिता के अधिकार की सुनिश्चितता की जा सकती है। बच्चों पर ऐसा प्रभाव, दबाव या घेराव नहीं होना चाहिए जो उन्हें अपना मत अभिव्यक्त करने से रोके या उन्हें किसी खास पक्ष में खड़ा होने को मजबूर करे। सहभागिता, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति का एक निर्देशक तत्व हैं लेकिन दुनिया में सबसे कम मान्यता और सम्मान प्राप्त है।

१८. बच्चे के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है?

वास्तव में बच्चों का हर अधिकार समान रूप से महत्वपूर्ण और एक-दूसरे को बल देने वाला है। संयुक्त राष्ट्र संघ, बाल अधिकारों को एक-दूसरे पर निर्भर और न बांटे जाने वाला मानता है इसलिए किसी एक अधिकार की कीमत पर दूसरे अधिकार को अधिक महत्वपूर्ण या कम महत्व वाला नहीं माना जा सकता।

१९. संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति के निर्देशक सिद्धांत क्या हैं?

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति को पूर्णतः लागू करने की समझ बनाने के लिए निर्देशक सिद्धांतो की महत्वपूर्ण भूमिका है। निर्देशक सिद्धांत वे तरीके बताते हैं जिनसे विभिन्न धाराओं का अभिप्राय स्पष्ट होता है और क्रियान्वयन आसान होता है।

बाल अधिकारों की अविभाज्यता सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, हर निर्देशक सिद्धांत की हरेक धारा को याद रखा जाना चाहिए। उन्हें कार्यकारी अधिकार, अच्छी प्रक्रिया के अधिकार, जिनसे बच्चों को लाभान्वित होना चाहिए, कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि इस प्रक्रिया से काम करने से बाल अधिकार सहमति केवल आदेशों की एक सूची से बढ़कर, जीवन्त दस्तावेज बन जाती है।

बाल अधिकार सहमति के निर्देशक सिद्धांत इसकी धारा २,३,६ और १२ में मौजूद हैं:-

धारा २: भेदभाव निर्पेक्षता- सभी अधिकार, बिना किसी अपवाद के, सभी बच्चों को प्राप्त हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह बच्चों को हर प्रकार के भेदभाव से बचाए और उनके अधिकारों को प्राप्त कराने के लिए सकारात्मक कार्यवाही करे।

धारा ३: बच्चों का श्रेष्ठतम हित- बच्चों से संबंधित सभी कामों में उनके श्रेष्ठतम हित का ध्यान रखा जाएगा। सरकार बच्चों की पूरी संभाल करेगी अगर उनके माता-पिता जो उनके लिए जिम्मेदार हैं, ऐसा नहीं कर पाते हैं।

धारा ६: जीवन और विकास- हर बालक-बालिका जीवन का अधिकार लेकर पैदा होते हैं और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उनके जीवन व विकास को सुनिश्चित करे।

धारा १२: बच्चों की राय/विचार- हर बालक-बालिका को अपने से संबंधित मामले व प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से अपनी राय बताने और उस पर ध्यान दिलाए जाने का अधिकार है।

२०. बच्चे का श्रेष्ठतम हित क्या है?

यह संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति एक निर्देशन सिद्धांत है। यद्यपि इस सहमति में श्रेष्ठतम बाल हित को परिभाषित नहीं किया गया है तथापि धारा-३ (३.१) में स्पष्ट किया गया है कि 'बच्चे से संबंधित सभी कार्य, चाहे वे सार्वजनिक, या निजी सामाजिक कल्याण संगठनों, न्यायालयों, प्रशासनिक अधिकरणों या विधायी संस्थानों द्वारा किए जाते हैं, उनमें बच्चों का श्रेष्ठतम हित प्राथमिक उद्देश्य होगा।

बच्चों के श्रेष्ठतम हित के बारे में, संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी उच्चायोग ने अपने निर्देश २००८ में कुछ संकेत और रूपरेखा प्रस्तुत की है जिसे "श्रेष्ठतम हित निर्धारण" कहा गया है। श्रेष्ठतम हित निर्धारण का मतलब है- बच्चों का श्रेष्ठतम हित तय करने के लिए, खासतौर से बच्चों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों में सशक्त प्रक्रियात्मक सावधानियों के साथ बनाई गई औपचारिक प्रक्रिया। इसमें भेदभाव के बिना समुचित बाल सहभागिता, को बढ़ावा देना, विभिन्न विशेषज्ञताओं के साथ निर्णयकर्ताओं को जोड़ना और श्रेष्ठतम विकल्प के लिए सभी सम्बद्ध घटकों को सही तरीके से साथ लेना होना चाहिए।

राजस्थान किशोर न्याय(बच्चों की संभाल व संरक्षण) नियम २०११ के अनुसार बच्चों के श्रेष्ठतम हित का मतलब है- बच्चे के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक विकल्प को सुनिश्चित करने वाला निर्णय।

२१. क्या बच्चों के सहभागिता के अधिकार का मतलब है कि बच्चे, माता-पिता को बताएं कि क्या करना है?

नहीं, इस धारा का उद्देश्य, बड़ों पर बच्चों का शासन नहीं बल्कि बड़ों को, बच्चों की बात सुनने और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाने के लिए, प्रोत्साहित करना है। सं.रा.बाल अधिकार सहमति की धारा १२ बच्चों से सम्बन्धित मामलों में, माता-पिता द्वारा राय देने के अधिकार व दायित्व में हस्तक्षेप नहीं करती। बच्चों का सहभागिता का अधिकार या उनके अपने जीवन को प्रभावित करने वाले मामलों में राय देने का अधिकार, उनकी उम्र व परिपक्वता के अनुसार समुचित रुप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

२२. सबसे ज्यादा संवेदनशील बच्चे कौन से हैं ?

बचपन और बच्चे संवेदनशील हैं। हर बालक-बालिका, चाहे वह किसी नस्ल, लिंग, जाति, वर्ग, धर्म या स्थान का हो, संवेदनशील है। हां, कुछ बच्चे अधिक संवेदनशील हैं और उनकी संवेदनशीलता का स्तर, उनकी भौगोलिक स्थिति, सामाजिक-आर्थिक स्तर, शारीरिक-मानसिक दक्षता और परिवार के सहायक वातावरण के हिसाब से भिन्न हो सकता है। हमारे देश और सरकार में जो तौर-तरीके हैं उनको नजदीक से देखने से यह निष्कर्ष निकलता है कि शारीरिक दण्ड, प्रताड़ना, यौन शोषण, हिंसा और हत्या जैसे मानव अधिकारों के हनन के व्यापक स्तर के कारण, हर बालिका-बालिका, चाहे वह कहीं का भी हो संवेदनशील है।

२३. बाल अधिकारों की निगरानी और संरक्षण के लिए, क्या संस्थागत तन्त्र और अधिकरण उपलब्ध हैं ?

राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर स्थापित मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, आदि संवैधानिक संस्थान, बाल अधिकारों के हनन के मामलों में भी दखल कर सकते हैं। लेकिन देश में बच्चों की बड़ी संख्या और उनके अधिकारों के हनन की भारी संख्या को देखते हुए, भारत सरकार ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, २००५ के अन्तर्गत राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन का प्रावधान किया है। इसके अलावा किशोर न्याय अधिनियम और समेकित बाल संरक्षण योजना जैसे अन्य कानूनों व कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर संरक्षण की निगरानी व प्रोत्साहन, आदि के लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। भारत में, विशेषतः राजस्थान के संदर्भ में, बच्चों के लिए उपलब्ध मुख्य सरकारी संगठन ये हैं :-

रष्ट्रीय स्तर

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम २००५ के अन्तर्गत गठित)।
- केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार के अधीन कार्यरत)।

राज्य स्तर

- राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम २००५ के अन्तर्गत गठित)।
- राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति (समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत गठित)।
- राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी।
- दत्तक ग्रहण सिफारिश समिति।

जिला स्तर

- जिला बाल संरक्षण इकाई (समेकित बाल संरक्षण योजना के अधीन गठित)।
- बाल कल्याण समिति (किशोर न्याय अधिनियम २००० के अधीन गठितै)।
- किशोर न्याय बोर्ड (किशोर न्याय अधिनियम २००० के अन्तर्गत गतित)।
- विशेष किशोर पुलिस इकाई (किशोर न्याय अधिनियम २००० के अन्तर्गत गठित)।
- विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी (किशोर न्याय अधिनियम २०००)।
- बाल श्रम कार्यबल
- मानव व्यापार विरोधी इकाई (राजस्थान के चयनित पुलिस जिलों में गठित)
- चाइल्ड लाइन १०९८ (शहर स्तर पर)

पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तर

- ब्लॉक बाल संरक्षण समिति (समेंकित बाल संरक्षण योजना के अधीन गठित)
- ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति (समेंकित बाल संरक्षण योजना के अधीन गठित)
- विद्यालय प्रबन्धन समिति (विद्यालय स्तर पर, सर्वशिक्षा अभियान/शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९ के अन्तर्गत गठित)

२४. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या है?

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन मार्च २००७ में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम २००५ (दिसम्बर २००५) के अन्तर्गत किया गया है। भारत के संविधान और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति की भावना के अनुसार, सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक तन्त्र में, बाल अधिकार दृष्टिकोण की मान्यता सुनिश्चित करना आयोग का मुख्य कार्य है। यह देश में बाल अधिकारों के प्रतिरक्षण, संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए गठित किया गया है।किसी मामले की जांच के लिए आयोग को, सामान्य प्रक्रिया संहिता १९०८ के अन्तर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

२५. राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या है?

राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य सरकार द्वारा फरवरी २०१० में गठित स्वतन्त्र संवैधानिक संस्थान है। इसका गठन बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम २००५ (२००६ में संशोधित) में यू/एस/१७ के अन्तर्गत किया गया है। यह राजस्थान में बाल अधिकारों की मान्यता, संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं अन्य राज्य आयोगों के समन्वय में काम करता है। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की भूमिका, शक्तियाँ, कार्य एवं अन्य प्रावधानों के लिए, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम २०१० बने हैं जिन्हें अप्रेल २०१० में अधिसूचित किया गया है। राजस्थान सरकार का महिला एवं बाल विकास विभाग, आयोग का सम्बद्ध विभाग है।

आयोग की भूमिका को पाँच दिशाओं में देखा जा सकता है:-

- जन जागरण: बाल अधिकारों एवं दायित्वधारियों की भूमिका के बारे में जन-जागरण करना।
- निगरानी: राज्य में बच्चों से सम्बन्धित सभी कानूनों, नीतियों, कार्यक्रमों, गतिविधियों, संस्थाओं एवं तंत्र के कार्यों की निगरानी करना।
- सुझाव: बाल अधिकार आधारित दृष्टिकोण के लिए विधिक, नीतिगत एवं क्रियान्वयन सम्बन्धी खामियों को पूरा करने के लिए सम्बन्धित तन्त्र को सुझाव देना।

- अभियोग निराकरण: बाल अधिकार हनन की शिकायतें प्राप्त करना एवं पीड़ितों के हित में न्याय सुनिश्चित करना।
- शोध: बाल अधिकारों के विविध पहलुओं पर शोध एवं दस्तावेजीकरण करना।

२६. चाइल्ड लाइन (१०९८) क्या है?

चाइल्ड लाइन दिन भर के चौबीसों घंटे और सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध रहने वाली टेलीफोन सेवा है। यह तकलीफ में फंसे बच्चों को तात्कालिक आवश्यकतानुसार थोड़े या लम्बे समय के लिए संभाल, संरक्षण व पुर्नवास सेवा से जोड़ती है। इसके लिए सभी जगह १०९८ फोन नम्बर उपलब्ध कराया गया है जिस पर फोन करने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। कोई भी जरुरतमंद बच्चा या उसके लिए कोई बड़ा, इस पर सम्पर्क कर सकता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष १९९९ में शुरू की गई यह सेवा, अभी देश के २५५ शहरों में उपलब्ध है। समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत, चाइल्ड लाइन सेवा को सभी जिलों एवं शहरों में शुरू किया जाना है।

२७. हम कैसे, तकलीफ में फंसे या जरूरतमंद बच्चे की, मदद कर सकते हैं?

अगर हम किसी बच्चे को खतरे में, प्रताड़ना या उपेक्षा में देखें तो चाइल्ड लाइन नम्बर १०९८ पर फोन करके बच्चे की मदद के लिए कह सकते हैं। हम नजदीकी पुलिस थाने पर, बाल कल्याण अधिकारी को भी सूचित कर सकते हैं। हम बाल कल्याण समिति (जो सभी जिलों में गठित है) के किसी सदस्य या जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारी से भी सम्पर्क कर सकते हैं। इस संग्रह के प्रश्न संख्या २३ में सूचित बाल अधिकार निगरानी एवं संरक्षण के लिए उपलब्ध संस्थागत तंत्र एवं अधिकरण की जानकारी रख सकते हैं। इस कार्य में किसी भी समय, किसी सामाजिक कार्यकर्ता से सम्पर्क किया जा सकता है।

२८. बाल संवेदन सामाजिक संरक्षण क्या है?

बाल संवेदन सामाजिक संरक्षण बहुआयामी विचार क्षेत्र है जो बाल निर्धनता के आर्थिक एवं सम्बन्धित सामाजिक कारणों पर विस्तार से ध्यान देता है और जिसका उद्देश्य बच्चों के जीवन में सघन सुधार करना है।

बाल संवेदन सामाजिक संरक्षण का मतलब है - सामाजिक संरक्षण की रूपरेखा, इस तरह बनाई जाए ताकि निर्धन एवं संवेदनशील बच्चों के जीवन का सकारात्मक विकास हो सके। इसे जोखिम, संवेदनशीलता और जटिल गरीबी का सामना करने वाले कार्यों के उप समूह के रूप में देखा जा सकता है।

२९. बाल सावधानी नीति क्या है?

बाल सावधानी नीति ऐसे दिशा निर्देशों का समूह है, जो बाल हित में लगे लोगों से बच्चों के उत्पीड़न और उपेक्षा से बचाव के लिए है। यह सरकारी नीति न होकर एक स्वैच्छिक पहल है जिसे शिष्ट समाज (गैर सरकारी/स्वैच्छिक विकास संगठनों, अन्तर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों, मानवीय संस्थाओं, धार्मिक संगठनों, दानदाता संगठनों, बाल संभाल संस्थाओं, प्रचार माध्यमों एवं विद्यालयों, आदि) ने अपने कर्मियों द्वारा बच्चों के उत्पीड़न, उपेक्षा और अपमान से बचाव के लिए शुरू किया है। यह किसी भी संगठन की आन्तरिक नीति है और इसके मुद्दों, प्रक्रियाओं और लागू करने के प्रावधानों में अन्य संगठनों के साथ एकरूपता होना जरूरी नहीं है। फिर भी, इस नीति में जागरण, बचाव, सूचना और जवाबदेही सम्बन्धी विषयवस्तु शामिल होती है। इसमें संगठनकर्मियों के लिए, बच्चों के साथ, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए- जैसे निर्देश होते हैं। यह नीति संगठन अपने कर्मचारियों, स्वयंसेवकों, सलाहकारों, अनुभव के लिए आए छात्रों आगन्तुकों और सामान, आदि पहुंचाने वाले पर भी लागू कर सकता है। इसका उद्देश्य यह माना गया है कि बच्चों के लिए काम करने वालों पर बच्चे, उनके माता-पिता व अभिभावक भरोसा कर सकें और उन्हें बच्चों से बात करने और समय देने का अवसर मिल सके। संगठनकर्मियों और स्वयंसेवकों और प्रतिनिधियों द्वारा बच्चों के उत्पीड़न की आशंका को नजरन्दाज नहीं किया जा सकता। स्वैच्छिक क्षेत्र द्वारा, ऐसी नीति अपनाना और लागू करना बारिश से पहले बाँध की मरम्मत करने जैसी उत्तम पहल है। बहुत से दाता संगठनों ने सहायता देने से पहले, स्वैच्छिक विकास संगठनों से ऐसे नीति दस्तावेज मांगना और देखना शुरू कर दिया है। कोई भी स्वैच्छिक विकास संगठन, ऐसे नीतिगत दस्तावेज के निर्माण में सहायता के लिए, सेव द चिल्ड्रन, प्लान इण्डिया, यूनिसेफ से सम्पर्क कर सकता है या वेबसाइट www.keepchildrensafe.org देख सकता है।

३०. बाल अधिकार सम्बन्धी अधिक ऑन लाइन जानकारी, कहाँ से प्राप्त की जा सकती हैं?

बाल अधिकार सम्बन्धी ऑन लाइन जानकारी, कई वेबसाइट्स पर उपलब्ध है, जिनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं -

www.wcd.nic.in
www.ncpr.gov.in
www.un.org
www.unicef.in
www.unicef.org
www.sje.rajasthan.gov.in
www.wcd.rajasthan.gov.in
www.savethechildren.in
www.childlineindia.org.in
www.planindia.org
www.crin.org
www.cry.org
www.childrensrightsindia.org
www.jjindia.net
www.nlrd.org
www.keepchildrensafe.org

बाल संरक्षण

सम्बन्धी

रोज के सवाल

भूमिका

बच्चों को प्रताड़ना, हिंसा, उपेक्षा और शोषण से बचाने के लिए, बहुत से कानून, नीतियां, कार्यक्रम और योजनाएं बनाई गई हैं फिर भी अभी बच्चे संरक्षण से सम्बन्धित कई समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनका जीवन, रहन-सहन व व्यक्तित्व खतरे में है। बच्चे, चाहे वे कहीं भी रहते हों, प्रताड़ना व उपेक्षा के शिकार हैं। बच्चों की प्रताड़ना, यौन शोषण, बलात्कार, अपहरण, कन्याभ्रूण- हत्या, बाल- विवाह जैसी खबरें रोजाना की बात हैं। सरकार और शिष्ट समाज, इन मामलों पर खूब सजग है। यह दोहराने की जरुरत नहीं है कि राष्ट्रीय अपेक्षाओं पर खरा उतरने और कानून की मंशा पूरी करने में, मौजूदा तन्त्र असफल हो गया है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम २०१२ का क्रियान्वयन, किशोर न्याय (बच्चों की संभाल व संरक्षण) अधिनियम २००० में संशोधन, बाल श्रम (निषेध व नियमन) अधिनियम २०१२ में प्रस्तावित संशोधन, समेंकित बाल संरक्षण योजना की शुरुआत, आदि ताजा कदमों से लगता है कि बच्चों के लिए संरक्षण का वातावरण बनाने की कोशिशें बराबर चालू हैं। लेकिन नतीजा निराशाजनक है। क्रियान्वयन और निगरानी की समस्याएं तो हैं ही लेकिन एक हद तक यह भी निराशाजनक है कि बालविवाह, बालश्रम, लिंग आधारित गर्भपात, शारीरिक दण्ड और कई अन्य नुकसान पहुँचाने वाली परम्पराएं, सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से मान्य हैं जो सरकार व शिष्ट समाज के प्रयासों को बेअसर करती हैं। इसलिए बाल संरक्षण के मामलों एवं बच्चों के वर्तमान व भविष्य पर, इन मामलों के असर के बारे में, समाज के विभिन्न समूहों को जागरूक और संवेदनशील बनाने की जरुरत है।

कई बार, "बाल संरक्षण" और "बाल अधिकारों के संरक्षण" को एक ही समझ लिया जाता है। इन दोनों मामलों को एक ही भावना और विषय समझ लिया जाता है जबकि दोनों के बीच मौलिक सैद्धान्तिक और व्यावहारिक फर्क है। बाल संरक्षण का मतलब उन विशेष अधिकारों व तत्वों से है जो बच्चों को हिंसा, उपेक्षा व शोषण, आदि जैसे अत्याचारों से बचाते हैं जबकि बाल अधिकार संरक्षण में हम, जीवन, विकास, संरक्षण व सहभागिता जैसे सभी अधिकारों के संरक्षण की बात करते हैं। यद्यपि कई दोहरे और मिलते-जुलते मामले हैं तथापि बाल संरक्षण और बाल अधिकार संरक्षण एक विषय नहीं है। बाल संरक्षण, शोध व कार्य का बहुत जटिल एवं उभरता हुआ विषय है।

हमारा उद्देश्य, विकास-कर्मियों, सरकारी अधिकारियों, प्रचार-माध्यमों, समाज-कार्य व कानून के छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बाल संरक्षण की प्रकृति, संभावना और आयाम की समझ बनाने में मदद करना है। इस विषय में बहुत सारी पाठ्य सामग्री उपलब्ध होगी लेकिन एक छोटी, हाथ में रखने लायक किताब, जिसमें अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब हों, नए और अनुभवी दोनों तरह के लोगों के लिए सूचना और संदर्भ का अच्छा स्त्रोत हो सकती है। यही मानकर, बाल संरक्षण पर रोज के सवाल की कल्पना की गई है। इसको उपयुक्त और विश्वसनीय बनाने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संदर्भ अधिकरण व सरकारी अधिसूचनाओं से जानकारियाँ एकत्र की गई है।

आशा है हमारा यह प्रयास पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। पाठकों की राय व सुझावों का हार्दिक स्वागत है।

१. बाल संरक्षण क्या है?

बाल संरक्षण अधिकार, बाल अधिकारों का उपसमूह है। इसकी पहचान बताने वाली कई परिभाषाएं प्रचलन में हैं। बाल संरक्षण के केन्द्र में उद्देश्य यह कि बच्चे को घर व बाहर, सब जगह निर्दयता, उपेक्षा, प्रताड़ना, दुर्व्यवहार, परित्याग, बेघर होने और शोषण, आदि से बचाव का अधिकार है। यह अधिकार परिवारजनों, समाज व सरकार द्वारा पूरा किया जाना है।

सेव द चिल्ड्रन का मानना है कि बच्चों को प्रभावित करने वाली प्रताड़ना, उपेक्षा, शोषण व हिंसा को रोकने तथा जवाबी कार्यवाही करने वाले कदम व तन्त्र बाल संरक्षण है।

यूनिसेफ की बाल संरक्षण रणनीति (२००८) के अनुसार, बाल संरक्षण ऐसा संरक्षित वातावरण है जिसमें बालक-बालिकाएं हिंसा, शोषण और परिवार से अनावश्यक अलगाव से मुक्त रहें, जहाँ कानून, सेवाएँ, मानसिकता एवं व्यवहार बच्चों की कमजोरी को कम से कमतर करते हों; ज्ञात जोखिमों का जवाब देते हों और उनकी आत्मनिर्भरता को मजबूत करते हों।

समेंकित बाल संरक्षण योजना के अनुसार, बाल संरक्षण बच्चों के जीवन, बचपन और व्यक्तित्व के विरुद्ध उपस्थित जोखिम या जोखिम की आशंका से बचाव की बात है। यह उन्हें नुकसान की हालत से बचाने व किसी भी तरह के नुकसान के मुकाबले उनकी कमज़ोरी को कम करने की बात है। यह बच्चों को सामाजिक सुरक्षा और सावधानी घेरे से बाहर न होने देना, जो उस घेरे से बाहर निकल जाएँ, उन्हें आवश्यक संभाल, संरक्षण व सहायता पहुँचाना और उन्हें वापस सुरक्षा घेरे में लाना सुनिश्चित करने की बात है।

२. "बाल संरक्षण और बाल अधिकार संरक्षण" में क्या फर्क हैं?

बाल संरक्षण, बाल अधिकार संरक्षण के बारे में नहीं है। बाल संरक्षण, बाल अधिकारों का उप समूह है जिसके अन्तर्गत वे कानून, नीतियाँ, योजनाएँ और संस्थागत ढाँचे आते हैं जो सभी तरह की परिस्थितियों में बच्चों को हिंसा, प्रताड़ना और शोषण से संबंधित घटनाओं को रोकने, जवाबी कार्यवाही करने तथा बच्चों को बचाने के लिए है। यह बहुत विशिष्ट बाल अधिकार क्षेत्र है।

दूसरी ओर बाल अधिकार संरक्षण-शिक्षा, स्वास्थ्य, विश्राम, सहभागिता, जीवन व संरक्षण, आदि सभी बाल अधिकारों के संरक्षण के बारे में है।

बाल संरक्षण और बाल अधिकार संरक्षण, आन्तरिक रूप से जुड़े हैं लेकिन भावना व संभावना के स्तर पर अलग-अलग हैं। संरक्षण के बाल अधिकार की सुनिश्चितता न होने से सभी बाल अधिकार दुष्प्रभावित होते हैं। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य तब तक प्राप्त नहीं किए जा सकते, जब तक बाल संरक्षण को कार्यक्रमों, रणनीतियों और योजनाओं के आवश्यक घटक के रूप में शामिल नहीं किया जाता। बच्चों को विद्यालयों में होने वाली हिंसा, बालश्रम, हानिकारक परम्पराओं, बाल विवाह, बाल प्रताड़ना, माता-पिता की देखभाल के अभाव और व्यावसायिक यौन शोषण, आदि से न बचा पाने का मतलब है-बच्चों के प्रति संवैधानिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन न करना।

३. बाल संरक्षण मामलों पर मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून और प्रावधान क्या हैं?

बाल संरक्षण से सम्बन्धित मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून, सहमतियां और प्रावधान इस प्रकार हैं -

- क. बाल अधिकार घोषणा-१९२४ (लीग ऑफ नेशन्स द्वारा) और १९५९ (संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा)।
- ख. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सहमति सं. १३८ (रोजगार के लिए न्यूनतम आयु सीमा)१९७३।
- ग. किशोर न्याय प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र स्तरीय न्यूनतम नियम (बीजिंग नियम) १९८५।
- घ. संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति-१९८९।
- ङ: बाल अपराध निषेध के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा-निर्देश (रियाद दिशा निर्देश) १९९०।
- च. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सहमति संख्या १८२ (बालश्रम के निकृष्टतम रूपों का निषेध) १९९९।
- दृ बच्चों के लिए उपयुक्त विश्व २००२

इनके अलावा भी बहुत से अन्य प्रावधान और ऐच्छिक सन्धियां हैं जिनमें बाल संरक्षण का ध्यान रखा गया है।

४. बाल संरक्षण अधिकार के किन प्रावधानों को संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति में स्थान प्राप्त है?

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति, बच्चों के मूल अधिकारों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। इसमें बच्चों को नीचे लिखे कार्यों से बचाव का अधिकार भी शामिल है:-

- आर्थिक शोषण व हानिप्रद कार्य।
- यौन उत्पीड़न, प्रताड़ना और हिंसा के सभी प्रकार।
- इच्छा के विरुद्ध परिवार से अलगाव।

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति में बाल संरक्षण के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:-

सं.रा.बा.अ.स. धारा	प्रावधान
9	परिवार से अलगाव से बचाव
11	बच्चों के अवैध स्थानान्तरण से बचाव
19	हिंसा,चोट, प्रताड़ना, उपेक्षा, दुर्व्यवहार या शोषण से बचाव
22	शरणार्थी बच्चों के अधिकार की रक्षा
23	नि:शक्त बच्चों का संरक्षण
24	हानिप्रद परम्पराओं से बचाव
32	आर्थिक शोषण से बचाव
34	यौन उत्पीड़न व शोषण से बचाव
35	बच्चों का अपहरण, बिक्री या व्यापार से बचाव
36	शोषण के अन्य सभी प्रकारों से बचाव
37	किशोर न्याय और अत्याचार या अन्य निर्दय, अमानवीय या ओछे व्यवहार या सजा से बचाव
38	सशस्त्र संघर्ष में संरक्षण
40	कानून से संघर्ष में बच्चों का बचाव

५. भारत में बच्चों के लिए, क्या संवैधानिक प्रावधान हैं?

भारत के संविधान में, बच्चों के लिए नीचे बताए गए प्रावधान हैं। यह संवैधानिक आदेश हैं जिनका सरकार को पालन करना जरूरी है:-

- धारा १४: भारतीय भू-भाग में सरकार किसी व्यक्ति को, कानून के समक्ष समानता से इन्कार नहीं करेगी यानी कानूनों का समान संरक्षण।
- धारा १५: सरकार किसी नागरिक के साथ सिर्फ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी।
- धारा १५ (३): इस धारा के अन्तर्गत, सरकार को महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने से रोका नहीं जा सकता।
- धारा १९ (१)(ए): सभी नागरिकों को भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा।
- धारा २१: जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी को जीवन व व्यक्तिगत स्वंतत्रता से वंचित नहीं किया जायेगा।
- धारा २१(ए): ६ से १४ वर्ष के सभी बच्चों को नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा।
- धारा २३: मानव व्यापार एवं जबरन मज़दूरी का निषेध (१) मानवों का व्यापार व बेगार और ऐसे ही जबरन काम लेना प्रतिबन्धित है। इस प्रावधान का किसी प्रकार का उल्लंघन, कानून के अनुसार दण्डनीय होगा।
- धारा २४: कारखानों आदि में, बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध- १४ वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा, किसी कारखाने या खान या किसी अन्य खतरनाक काम में नहीं लगाया जायेगा।
- धारा ३९: सरकार अपनी नीतियों का, इस तरह निर्धारण करेगी कि- (धारा ३९ ई) कामगारों, महिलाओं व पुरुषों एवं कम उम्र बच्चों के स्वास्थ्य व शक्ति का दुरूपयोग न हो और नागरिकों को अपनी आर्थिक जरूरतों के कारण, उनकी उम्र व सामर्थ्य के प्रतिकूल कामधंधों को न अपनाना पड़े।

(धारा ३९ एफ) बच्चों को स्वस्थ, स्वतंत्र व गरिमापूर्ण रूप से विकसित होने के अवसर मिलें और बचपन व युवा अवस्था को शोषण तथा नैतिक व भौतिक बे-सहारापन से बचाया जा सके।

- धारा ४५: सरकार, बच्चों को ६ वर्ष की उम्र तक प्रारम्भिक बचपन संबंधी संभाल और शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रयास करेगी।
- धारा ४६: सरकार कमज़ोर वर्गों के लोगों का, सामाजिक अन्याय व सब प्रकार के शोषण से बचाव करेगी।
- धारा ४७: सरकार सब नागरिकों के पोषण, जीवन स्तर और सुधरे हुए जन स्वास्थ्य को अपना प्राथमिक कर्त्तव्य मानेगी।

६. भारत में बाल संरक्षण सम्बन्धी मुख्य कानून, नीतियाँ और योजनाएँ क्या हैं?

भारत में बाल संरक्षण, अभी उभरता हुआ क्षेत्र है। यहाँ बहुत सारे कानून, नीतियाँ और योजनाएँ हैं जो प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से बाल संरक्षण मामलों से संबंधित हैं। किशोर न्याय (बच्चों की संभाल व संरक्षण) अधिनियम २०००, राष्ट्रीय बाल नीति २०१३ (पहले १९७४), और समेंकित बाल संरक्षण योजना २००९, देश में बाल संरक्षण संबंधी मुख्य कानून नीति और योजना माने जाते हैं। भारतीय दंड संहिता १८६० व अपराध प्रक्रिया संहिता १९७३ सहित, भारत में बाल संरक्षण संबंधी मुख्य कानून, नीतियाँ एवं योजनाएँ इस प्रकार हैं:-

बाल संरक्षण सम्बन्धी मुख्य कानून -

- कारखाना अधिनियम १९४८
- अनैतिक व्यापार (निषेध) अधिनियम १९५६
- अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम १९५९
- बंधुआ श्रम पद्धति (निवारण) अधिनियम १९७६
- बाल श्रम (निरोधक व नियमन) अधिनियम १९८६
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम १९८९

- गर्भपूर्व व प्रसवपूर्व जांच तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम १९९४
- नि:शक्त जन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम १९९५
- किशोर न्याय (बच्चों की संभाल व संरक्षण) अधिनियम २०००
- बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम २००५
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम २००५
- बाल विवाह निषेध अधिनियम २००६
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम २०१२

बाल संरक्षण संबंधी मुख्य नीतियाँ

- राष्ट्रीय बाल नीति २०१३
- बाल विवाह निषेध पर राष्ट्रीय रणनीति दस्तावेज २०१३
- बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना २००५
- बच्चों के लिए राष्ट्रीय घोषणा पत्र २००३
- राष्ट्रीय बाल श्रम नीति १९८७

बाल संरक्षण संबंधी मुख्य योजनाएँ

- समेंकित बाल संरक्षण योजना
- चाइल्ड लाइन (१०९८), संकट में फँसे बच्चों के लिए सातों दिन-चौबीसों घंटे सहायता योजना।
- उज्ज्वला: बाल व्यापार निषेध एवं व्यावसायिक यौन शोषण पीड़ितों की बरामदगी, पुनर्वास और पुर्नएकीकरण की सम्पूर्ण योजना।
- एचआईवी/एड्स प्रभावित बच्चों की संभाल व सहायता में लगे स्वैच्छिक संगठनों की सहायता की योजना।
- राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना।

७. बच्चों के लिए उपलब्ध संस्थागत तंत्र क्या हैं?

हर कानून का अपना क्रियान्वयन तंत्र होता है। किसी भी कानून, नीति व योजना को लागू करने व निगरानी करने के लिए एक विभाग को जिम्मेदारी दी जाती है जो अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से काम करता है। अधिकारों के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए विभिन्न स्तरों पर, अभी कार्यरत मुख्य संस्थागत तंत्र एवं सवैंधानिक संस्थानों का आगे उल्लेख किया जा रहा है:-

राष्ट्रीय स्तर

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (देश में बाल अधिकारों की निगरानी करता है एवं सुझाव देता है)।
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (बच्चों सहित सभी जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है)।
- राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (बाल अधिकारों के लिए शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान)।
- केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संदर्भ अधिकरण (अन्तर्देशीय व अन्तर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण प्रक्रिया का नियमन करता है।

राज्य स्तर

- राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (राज्य में बाल अधिकार संरक्षण की निगरानी व सिफारिशें करता है)।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (बच्चों सहित सभी जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है)।
- राज्य बाल संरक्षण समिति(समेंकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत गठित, राज्य में समेंकित बाल संरक्षण योजना, किशोर न्याय अधिनियम एवं बाल संरक्षारण संबंधी अन्य कानूनों व कार्यक्रमों का क्रियान्वयन व निगरानी करती है)।

- राज्य दत्तक ग्रहण संदर्भ अधिकरण (राज्य में गोद के प्रोत्साहन, नियमन व निगरानी के लिए केन्द्रीय दत्तक ग्रहण सन्दर्भ अधिकरण को सहयोग करता हैं)।

जिला स्तर

- जिला बाल संरक्षण इकाई (समेंकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत गठित, समेंकित बाल संरक्षण योजना., किशोर न्याय और बाल संरक्षण संबंधी अन्य कानूनों व कार्यक्रमों का जिले में क्रियान्वयन व निगरानी करती है)।
- बाल कल्याण समिति (किशोर न्याय अधिनियम के तहत गठित - जरूरतमंद बच्चों की संभाल व संरक्षण के लिए सक्षम केन्द्र)।
- किशोर न्याय बोर्ड (किशोर न्याय अधिनियम से गठित-कानून का सामना कर रहे बच्चों के लिए सक्षम संस्थान)।
- विशेष बाल पुलिस इकाई (बच्चों से संबंधित मामलों के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त पुलिस प्रकोष्ठ)।
- मानव व्यापार विरोधी इकाई (मानव व्यापार मामलों की जाँच के लिए विशेष रूप से गठित पुलिस प्रकोष्ठ-चयनित पुलिस संभागों में स्थापित)।
- जिला विधिक सेवा अधिकरण (बच्चों सहित सभी जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है)
- विभिन्न गृह (बाल गृह, आश्रय गृह, पर्यवेक्षण गृह, विशेष गृह व अन्य आवास गृह,, आदि)

पंचायत समिति/तहसील/ग्राम पंचायत स्तर

- पंचायत समिति बाल संरक्षण समिति (समेंकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत गठित- पंचायत समिति स्तर पर, बाल संरक्षण संबंधी कानूनों, नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी करती है)।
- ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति (समेंकित बाल संरक्षण योजना में गठित- ग्राम पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण संबंधी कानूनों, नीतियों, योजनाओं व कार्यक्रमों की निगरानी करती है)।

८. राज्य में बाल संरक्षण संबंधी मुख्य मुद्दे क्या हैं?

राजस्थान में बाल संरक्षण संबंधी मुख्य मुद्दों मे, बालश्रम, बाल विवाह, शारीरिक दंड, कन्याभ्रूण हत्या, यौन उत्पीड़न, बाल अपराध, लिंग आधारित हिंसा व शोषण, प्रवास, बाल व्यापार, बाल नग्नता, बाल वेश्यावृत्ति, बाल भिक्षावृत्ति, माता-पिता की संभाल न होना, परिवार से अलगाव, निःशक्तता, आदि शामिल हैं।

राजस्थान, देश में बाल श्रम के लिए कुख्यात है। जनगणना २००१ के अनुसार, देश के १० प्रतिशत (१२.६ लाख) बाल श्रमिक, प्रदेश में ही हैं। यहां वर्ष २००७-८ से २००९-१० के दौरान बाल श्रम के कुल १४ मामले दर्ज किए गए। बच्चों के विरुद्ध अपराध यहाँ देश के ४.५ प्रतिशत हैं। ४८ प्रतिशत बालक व ३९.९ प्रतिशत बालिकाओं का विवाह, निर्धारित कानूनी उम्र से पहले हो जाता है। भारत सरकार के महिला व बाल विकास विभाग के अध्ययन के अनुसार, प्रदेश के ४८ प्रतिशत युवा ऐसे हैं जिन्होंने बचपन में किसी न किसी प्रकार के यौन उत्पीड़न का सामना किया है। दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर-बाँसवाड़ा, आदि जिले बच्चों के निष्कासन के शिकार हैं। वहाँ से बच्चे गुजरात के बी.टी. कपास के खेतों में मजदूरी के लिए ले जाए जाते हैं। लिंग आधारित भेदभाव की एक मिसाल यह है कि २०११ की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर ५२.६६ प्रतिशत है। वर्ष २०१० में बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की दर प्रारम्भिक स्तर पर ९.४१ प्रतिशत, उच्च प्राथमिक स्तर पर ७.५९ रही। बेटी के बजाय, बेटा चाहने की प्राथमिकता भी हावी है। लिंगानुपात, जनगणना २००१ में ९०९ था जो २०११ में ८८३ हो गया। यह राष्ट्रीय अनुपात ९१४ से काफी नीचे और देश में नीचे से छठे स्थान पर है।

९. बच्चों के लिए संरक्षित वातावरण बनाने की मुख्य जरूरतें क्या हैं?

प्रदेश में बच्चों के लिए संरक्षित वातावरण बनाने के लिए मुख्य जरूरते हैं:-

१. सरकार की प्रतिबद्धता और क्षमता बढ़ाना,

२. समुचित कानून और उनका क्रियान्वयन,

३. हानिकारक मानसिकता, परम्पराओं और व्यवहार का सामना करना,

४. प्रचार तंत्र व शिष्ट समाज सहित सभी सम्बद्ध घटकों के बीच बाल संरक्षण मुद्दों पर खुले संवादों को बढ़ावा देना,

५. बच्चों के जीवन कौशल, ज्ञान व सहभागिता का विकास करना,

६. परिवारों व समुदायों का क्षमतावर्धन करना,

७. रोकथाम, खोजबीन व पुर्नएकीकरण के लिए आवश्यक सेवाऐं प्रदान करना,

८. प्रभावी निगरानी एवं सूचना तंत्र बनाना व लागू करना,

९. बाल संरक्षण को एकाकी रूप से देखने के बजाय बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाकर, सरकार बहुपक्षीय ऐजेंसियों, दाताओं, समुदायों, संभाल-सेवा प्रदाताओं, परिवारों एवं खुद बच्चों को सहभागी बनाना।

१०. बाल प्रताड़ना क्या है?

बच्चों की प्रताड़ना करना, बाग उजाड़ने जैसा है। जब कोई बच्चे को बोली से, हाव-भाव से काम से बच्चों को शर्मिन्दा, असहाय, क्रोधित आहत या दुःखी करता है, यही प्रताड़ना करना है। सेव द चिल्ड्रन के अनुसार, बाल प्रताड़ना-जान बूझकर किया हुआ दुर्व्यवहार है जो बच्चों की सुरक्षा, कल्याण, गरिमा व विकास को नुकसान पहुँचाता है या नुकसान पहुँचाने जैसा है। सभी प्रकार का शारीरिक यौन मानसिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार, प्रताड़ना है।

११. शारीरिक प्रताड़ना क्या है?

शारीरिक प्रताड़ना, जान बूझकर, बच्चे को शारीरिक चोट पहुँचाना या जानबूझकर या लापरवाही से, बच्चों को चोट या तकलीफ पहुँचने से न रोक पाना है। इसमें मारना, पीटना, झिंझोड़ना, फेंकना, ज़हर देना, जलाना या झुलसाना, डुबाना, दम घोटना, कमरे में बंद कर देना या खाट से बाँध देना, काबू में करने के लिए अनुपयुक्त दवा देना, आदि को शामिल किया जा सकता है। शारीरिक प्रताड़ना में शारीरिक ताकत काम लेना जुड़ा है। एक अध्ययन, बाल प्रताड़ना भारत २००७ के अनुसार देश में हर तीन में से दो बच्चे शारीरिक प्रताड़ना के शिकार हैं। राजस्थान में यहा आँकड़ा ५१.२० प्रतिशत है।

१२. यौन उत्पीड़न क्या है?

यौन उत्पीड़न, किसी व्यक्ति द्वारा अपने संतोष के लिए, बच्चे के साथ किया दुष्कृत्य है। उत्पीड़क, बच्चे की उम्र का या उससे बड़ा या ज्यादा ताकतवर हो सकता है। यौन उत्पीड़न में शारीरिक सम्पर्क या इसके बिना भी अनुपयुक्त हरकत हो सकती है। इसमें यौन अंगों, यौन क्रियारत लोगों को देखना-दिखाना से लेकर बलात्कार जैसी सीमान्तक गतिविधि भी शामिल है। किसी तरह की यौन गतिविधि में, बच्चे को शामिल करना भी यौन उत्पीड़न है। बच्चे को घूरना, नग्न प्रदर्शन सामग्री में शामिल करना या यौन गतिविधि देखना-दिखाना या उससे अनुचित यौन व्यवहार कराना भी यौन उत्पीड़न के अन्तर्गत आता है।

यौन उत्पीड़न में, निकट संबंधियों द्वारा यौन संबंध, कम उम्र या जबरन विवाह, बलात्कार, नग्न चित्रण में शामिल करना और यौन गुलामी, आदि यौन हिंसा के सभी प्रकार शामिल हैं। अभद्र रूप से छूना, शरीर उघाड़ना, बच्चे के प्रति यौनिक किस्म की भाषा बोलना, और उसे अश्लील चित्र, आदि दिखाना भी यौन उत्पीड़न है- सेव द चिल्ड्रन। देश में भावी पीढ़ियों को जिन बुराइयों से सामना करना पड़ेगा, उनमें से एक बाल यौन उत्पीड़न भी है। नेशनल क्राइम रेकार्ड्स ब्यूरो के आँकड़े, बच्चों के विरुद्ध अपराधों में लगातार वृद्धि दर्शाते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा देश के १३ राज्यों में किए एक अध्ययन से पता लगा कि सर्वेक्षण किए गए आधे बच्चों को यौन उत्पीड़न भुगतना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के अध्ययन-बच्चों पर हिंसा २००६, में अनुमान किया गया है कि दुनिया में १८ वर्ष से कम उम्र की १५ करोड़ लड़कियाँ और ७.३ करोड़ लड़कों को जबरन यौन सहवास या शारीरिक सम्पर्क सहित अन्य प्रकार की यौन हिंसा का शिकार होना पड़ा है।

१३. भावनात्मक प्रताड़ना क्या है?

भावनात्मक या मानसिक प्रताड़ना, बच्चे के साथ निरन्तर किया जाने वाला भावनात्मक दुर्व्यवहार है जो उसके मानसिक विकास में बाधा डालता है। एक बच्चे को यह अहसास कराना कि वह बेकार है, उसे कोई प्यार नहीं करता, या व दूसरे व्यक्ति की जरूरत पूरी करे तो ही काम का है-भी भावनात्मक उत्पीड़न है। किसी बच्चे को डराना या शोषण करना भी भावनात्मक प्रताड़ना है। सभी तरह के दुर्व्यवहार भी, एक प्रकार से भावनात्मक उत्पीडन है।

घरेलू हिंसा, बड़ों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ और माता-पिता की निरन्तर प्रताड़ना भी, बच्चे को मानसिक हानि पहुँचाते हैं। अपमान करना, संकट में डालना या गालियाँ देना, बराबर बुराई करना, शर्मिन्दा करना, मज़ाक उड़ाना, आदि भी मानसिक प्रताड़ना के रूप्हैं।

१४. उपेक्षा क्या है?

बच्चे की शारीरिक या मानसिक जरूरतों की लगातार अनदेखी-अनसुनी करना, उपेक्षा है, जो उसे बड़ा नुकसान पहुँचा सकता है। माता-पिता, अभिभावक या संभाल करने वाले द्वारा बच्चे को उचित भोजन, कपड़े या घर देने में असफल रहना, उसके शारीरिक नुकसान या खतरे से बचाने में असफल रहना, दवा या उपचार उपलब्ध कराने में असफल रहना, देखभाल का अभाव, आदि उपेक्षा की श्रेणी में ही आते हैं। बच्चों की उपेक्षा गरीब-अमीर, शिक्षित-अशिक्षित किसी भी परिवार में हो सकती है। बच्चे के लिए आवश्यक जिम्मेदारियों से ट्लना उत्पीड़न का ही परोक्ष रूप है जो उसकी वृद्धि व विकास में बाधा डालता है।

बच्चे की शारीरिक सुरक्षा और विकास के अधिकार को सुनिश्चित करने में जानबूझकर या लापरवाही से असफल रहना -उपेक्षा है। यह बच्चे की प्राथमिक जरूरतों को पूरा करने में असफल रहना है। उपेक्षा-शारीरिक, शैक्षणिक या मानसिक हो सकती है। पूरा खाना, कपड़ा, इलाज व देखभाल, या सर्दी-गर्मी के बचाव न होना-शारीरिक उपेक्षा है, त्याग भी इसमें शामिल है। उचित स्कूल या विशेष शैक्षणिक जरूरत पूरी न होना, स्कूल से गायब रहने की छूट देना, आदि शैक्षणिक उपेक्षा है। बच्चे को प्यार व भावनात्मक सहारा न देना, उसकी तरफ ध्यान न देना, भारी प्रताड़ना और उसे नशे आदि की छूट देना-मानसिक उपेक्षा है।

१५. शोषण क्या है?

बाल शोषण का अर्थ, किसी दूसरे के हित, संतोष या लाभ के लिए बच्चे का उपयोग करना है जो बच्चे के लिए अन्यायपूर्ण, निर्दयतापूर्ण, और नुकसानदायक होता है। ये गतिविधियाँ, बच्चे के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, नैतिक व सामाजिक-भावनात्मक विकास को हानि पहुँचाने वाली होती हैं। दुरुपयोग, उत्पीड़न, अपमान, दमन, दुर्व्यवहार या बदनीयती से दिखाए जाने वाला प्रेम, शोषण के अन्तर्गत ही आते हैं, शोषण के दो मुख्य रूप हैं:-

- **यौन शोषण**

यौनिक लाभ के लिए कमजोरी, सत्ता, संतुलन या विश्वास का दुरुप्रयोग यौन शोषण है। इसमें दूसरे के दुरुपयोग से आर्थिक, राजनीतिक व समाजिक लाभ उठाना या अपनी संतुष्टि के लिए यौन शोषण करना भी शामिल है। उदाहरण के रूप में बाल वेश्यावृत्ति, बाल व्यापार, शादी का झूठा वादा, निरन्तर शारीरिक शोषण या गुलामी या बाल नग्नता, जैसे कृत्य गिनाए जा सकते हैं।

- **आर्थिक शोषण**

दूसरों के लाभ के लिए, बच्चों से काम कराया जाना, बच्चों का आर्थिक शोषण कहा जा सकता है। इसमें बालश्रम भी शामिल है। इतना ही नहीं, किसी भी लाभ या प्राप्ति की इच्छा से बच्चों से कोई सेवा लेना या किन्हीं चीजों के उत्पादन, वितरण और उपभोग में, बच्चों का उपयोग करना, आर्थिक शोषण में शामिल है।

१६. हिंसा क्या है?

संयुक्त राष्ट्र के अध्ययन- बच्चों के विरुद्ध हिंसा (२००६) में माना गया है कि यौन उत्पीड़न सहित, सभी प्रकार की शारीरिक मानसिक हिंसा, चोट, प्रताड़ना, उपेक्षा, उपेक्षात्मक व्यवहार, दुर्व्यवहार या शोषण-हिंसा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की हिंसा व स्वास्थ्य संबंधी विश्व रिपोर्ट (२००२) में कहा गया है कि किसी व्यक्ति या समूह द्वारा, बच्चे पर जानबूझ कर किया गया ताकत का इस्तेमाल या ताकत के इस्तेमाल की धमकी जिसका बच्चे के जीवन, स्वास्थ्य या गरिमा पर हानिकारक असर होता हो या उसके हानिकारक असर होने की आशंका हो-हिंसा है। हिंसा-व्यक्तियों, सरकार, समूहों और संगठनों या उनके सदस्यों या उनकी नीतियों के जरिये हो सकती है। हिंसा का असर चोट या चोट के डर के रूप में ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता में मौलिक हस्तक्षेप के रूप में भी होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तीन तरह की हिंसा की पहचान की है जो इस प्रकार है:-

- स्व-प्रेरित हिंसा: आत्महत्या और स्वयं पर किया आघात।
- पारस्परिक हिंसा: घरेलू हिंसा व स्त्री-पुरूष भेद से उपजी सभी प्रकार की हिंसा सहित, सब प्रकार के शारीरिक, यौनिक व मानसिक उत्पीड़न, उपेक्षा और शोषण।

- सामूहिक हिंसा: सरकार द्वारा की जाने वाली हिंसा, सामूहिक हिंसा का एक प्राथमिक उदाहरण है और यह सरकार व इसके प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकृत, आदेशित या सरकारकृत हिंसा है। इसमे, सशस्त्र सेनाओं, सभी प्रकार के सुरक्षा बलों, कानून लागू करने वाले अधिकारियों व राज्य के अन्य प्रतिनिधियों द्वारा की जाने वाली हिंसा, शामिल है। बच्चों पर सरकारी हिंसा के अन्तर्गत मृत्युदंड व अन्य क्रूर, आमानवीय एवं निचले दर्जे का व्यवहार तथा सताना, जबरन विस्थापन, गैर कानूनी जेल, गैर न्यायिक हत्याएं एवं दंड, जबरन गायब करना तो आता ही है; हवालातों, सुधारगृहों, सरकारी संरक्षण वाले संस्थानों में रहने वाले बच्चों के साथ होने वाली सब प्रकार की हिंसा भी आती है। आन्तरिक या अन्तर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों, आतंकवाद व संगठित अपराध-सामूहिक हिंसा के कुछ और उदाहरण हैं।

१७. व्यावसायिक यौन शोषण क्या है?

किसी दलाल द्वारा अपने लाभ के लिए, ग्राहक से धन या अन्य प्रकार के लाभ के बदले, किसी बच्चे को यौनिक कार्य में लेने को, आम तौर पर, बच्चे के व्यावसायिक यौन शोषण के रूप में जाना जाता है। बच्चे के यौन शोषण के बदले लाभ कमाने वाले लोगों में-माता-पिता, अन्य परिवार जन, समुदाय के सदस्य, दलाल खासतौर से पुरूष या फिर महिलाएँ भी हो सकती हैं।

१८. क्या बच्चों के व्यापार व यौन शोषण के बीच कोई संबंध है?

हाँ, दोनों एक-दूसरे से जुड़े हैं क्योंकि बच्चों का व्यापार उन्हें प्राय: व्यावसायिक यौन शोषण में धकेलता है। बच्चों के व्यापार को जबरन मजदूरी या सेवा, गुलामी या गुलामी जैसे ही कामों या शरीर में से अंग निकाल लेने, जैसे शोषण के अन्य रूपों में धकेलने की प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए।

१९. बच्चों के व्यावसायिक यौन शोषण के क्या कारण हैं?

बच्चों के यौन शोषण व व्यापार के लिए नए एवं पुराने कई कारण बताए जाते हैं। कानून व कानूनी तंत्र की असफलता सहित, बच्चों के व्यावसायिक यौन शोषण की गिरफ्त में फंसने के मुख्य कारणों में-निर्धनता, पारिवारिक विघटन व विवाद, घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, घर से भाग जाना, संकट प्रवास, अपहरण, बालविवाह,

शादी के झूठे वादे, चोरी-छिपे शादी, उपेक्षा, बेघरपन, परिवार की परम्परागत वेश्यावृत्ति, जातीय या सशस्त्र संघर्ष व आपदाग्रस्त परिवार, आदि गिने जा सकते हैं। इनके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं।

२० शारीरिक दण्ड क्या है?

शारीरिक दंड भी बाल उत्पीड़न का एक रूप है। मोटे तौर पर इसका मतलब प्रायः घरों, स्कूलों या बाल संभाल केन्द्रों में दी जाने वाली शारीरिक और मानसिक सजा से है। यह बच्चों को अनुशासित रखने या गलती करने से रोकने, उनको सुधारने, जैसे नाम पर उन बच्चों को दी जाती है जिन्होंने किसी नियम को तोडा हो, आज्ञा नहीं मानी हो, कोई और छोटी-बड़ी गलती की हो। सजा का मतलब अपमानित करना व मारना-पीटना है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति के अनुसार, शारीरिक ताकत से दर्द या बेचैनी पैदा करने वाली सजा, चाहे वह कितनी ही हल्की क्यों न हो-शारीरिक दण्ड है। साथ ही, कुछ अन्य अशारीरिक सजाएँ भी हैं जो क्रूर और अपमानजनक होने के कारण संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति के खिलाफ़ है। ऐसी सजा जो बच्चे को कमतर दिखाए, अपमानित करे, उसके बोलचाल, कामकाज को गलत बताए, गलतियों के लिये जिम्मेदार ठहराये, डराये, मजाक का पात्र बनाये-भी शारीरिक दंड में शामिल है। यह माना जाता है कि दुनिया भर में बच्चों को जितनी तरह की हिंसा का सामना करना पड़ता है, उनमें सबसे ज्यादा आम शारीरिक दंड है। शारीरिक दंड केवल सजा नहीं है बल्कि बच्चों के अधिकारों के प्रति संवेदनहीनता और हिंसा की सहमति की अभिव्यक्ति है। इसको इतनी सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है कि कोई इस पर ध्यान नहीं देता। बच्चों द्वारा भुगती गई हिंसा और अपमान की घातक घटनाओं के बावजूद, बहुत बार इतनी असावधानी और अविवेकपूर्ण ढंग से सोचा जाता है कि शारीरिक दंड को गम्भीर रूप से विचारणीय मुद्दा ही नहीं माना जाता। स्कूल जाने वाले ६७ प्रतिशत बच्चों के शारीरिक दंड का शिकार होने के आँकड़ें सामने हैं। मतलब हर तीन में से दो बच्चों को शारीरिक दंड भुगतान पड़ा। शारीरिक दंड के ६२ प्रतिशत मामले सरकारी व नगर निकायों द्वारा संचालित स्कूलों में पाये गये हैं।

२१. बच्चों को अनुशासित बनाने में, क्या शारीरिक दंड वास्तव में मददगार है?

शारीरिक दंड से बच्चे अनुशासन नहीं सीखते बल्कि उनके विद्यालय संबंधी अनुभव विद्रूप हो जाते हैं। वे विद्यालय को हिंसक स्थान मानने लगते हैं और वहाँ जाने से ड़रने लगते हैं। इससे उनमें सुरक्षा का भाव

कम होता है जो उन्हें पढ़ाई में ध्यान लगाने से रोकता है। पिटाई से उनमे, अधिकारी के प्रति आदर के बजाय, ताकत का डर पैदा होता है। हिंसा, संभाल व आदर पर आधारित रिश्ते को कमजोर करती है। कुछ बच्चे मारपीट के डर से ही स्कूल जाना बंद कर देते हैं। शारीरिक दण्ड देना आवश्यक रूप से बंद करना, सभी तरह के बाल उत्पीड़न को खत्म करने की पहली शर्त है।

२२. क्या भारत एवं राजस्थान में शारीरिक दंड देना प्रतिबन्धित है?

सभी तरह की व्यवस्थाओं में, दुनिया के केवल २.४ प्रतिशत बच्चे ही, शारीरिक दंड से वैधानिक रूप से संरक्षित हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने, १ दिसम्बर, २००० को शारीरिक दंड देना प्रतिबन्धित कर दिया और सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया- बच्चों को स्कूलों में शारीरिक दंड नहीं दिया जाए और उन्हें निर्भयता, स्वतंत्रता और गरिमा के वातारण में शिक्षा मिले। वर्ष २००९ में, भारत की संसद ने प्राथमिक शिक्षा को देश के हर बच्चे का मौलिक अधिकार बता दिया। इसके लिए पारित, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९ के विद्यालयों एवं शिक्षकों के दायित्व विषयक अध्याय चतुर्थ की उपधारा १७: बच्चे को शारीरिक दंड व मानसिक अपमान से निषेध में, कहा गया है कि-

१. किसी बच्चे को शारीरिक दंड व मानसिक अपमान से दण्डित नहीं किया जाएगा।
२. जो कोई उपधारा (१) के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, वह व्यक्ति, उस पर लागू सेवा नियमों के अन्तर्गत, अनुशासनात्मक कार्यवाही का पात्र होगा।

इसके अलावा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने "विद्यालयों से शारीरिक दण्ड के उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश" जारी किये हैं। इससे भी आगे बढ़कर, बाल अधिकार निदेशालय, राजस्थान ने २३ जुलाई, २०१३ को "संस्थागत सम्भाल से शारीरिक दंड के उन्मूलन के दिशा निर्देश" जारी किए।

२३. बाल उत्पीड़न के क्या प्रभाव हैं?

बाल उत्पीड़न व उपेक्षा से किशोरावस्था व वयस्कता में कष्टदायक शारीरिक व मानसिक दुष्प्रभाव होते हैं। बच्चे के वर्तमान एवं भावी जीवन को दुष्प्रभावित करने वाले, बाल उत्पीड़न के कुछ नकारात्मक प्रभाव इस प्रकार हैं:-

- शारीरिक आघातः छोटी या बड़ी चोट जो अस्थायी या स्थायी विकलांगता या मृत्यु का कारण बन सकती है,
- मस्तिष्क को गम्भीर हानि,
- आत्म सम्मान में कमी एवं तनाव व निराशा,
- एकाग्रता में कमी एवं सीखने में व्यवधान,
- असामान्य व्यवहार व अपराध भावना,
- समवयस्कों से संबंधों में संकोच,
- आतंकित व उद्दण्डता,
- झूठ बोलना,
- अपना काम कराने के लिए हिंसक तरीके अपनाना, आदि।

२४. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की क्या भूमिका है?

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन मार्च, २००७ में, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम २००५ के अन्तर्गत किया गया। आयोग का अधिकार क्षेत्र यह सुनिश्चित करना है कि देश में सभी कानून, नीतियाँ कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र, भारत के संविधान एवं सयुंक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति में अपेक्षित बाल अधिकार दृष्टिकाण के अनुरूप है। इसकी स्थापना देश में बाल अधिकार के संरक्षण, प्रोत्साहन व प्रतिरक्षण के लिए की गई।

आयोग को, किसी मामले की जाँच के लिए सामान्य प्रक्रिया संहिता १९०८ के अन्तर्गत दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो विशेषतः निम्न प्रकार हैः-

- किसी भी व्यक्ति को भारत के किसी भी भाग से बुलाने, उपस्थिति देने तथा शपथ दिलाकर पूछताछ करने,
- खोजबीन करने व कोई भी दस्तावेज माँगने,
- हलफनामे पर गवाही लेने,
- किसी भी कार्यालय या न्यायालय से कोई भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रति प्राप्त करने,
- दस्तावेजों एवं गवाहों की जाँच के लिए अधिकारी समूह को निर्देशित करने,
- संबंधित कार्य क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट को सुनवाई के लिए मामला भेजने,
- जाँच पूरी होने के बाद, आयोग को ये कदम उठाने के अधिकार हैं:-
  - जाँच में बाल अधिकार या अन्य किसी कानून का हनन पाए जाने पर संबंधित सरकार को मुकदमा शुरू करने या अन्य प्रकार की उचित कार्यवाही करने की सिफारिश करने,
  - सर्वोच्च न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय को आवश्यक आदेश, निर्देश या याचिका के लिए सम्पर्क करने,
  - संबंधित सरकार या अधिकृत संस्थान को यह सिफारिश करने कि वह पीड़ित या उसके परिवार के सदस्यों के लिए आवश्यक अन्तरिम सहायता की मंजूरी दे।

२५. राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या है?

राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन, राजस्थान सरकार द्वारा, फरवरी २०१० में स्वतंत्र राज्य स्तरीय संवैधानिक संस्थान के रूप में किया गया है। इसका गठन, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम २००५ (२००६ में संशोधित) की धारा १७ में प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत किया गया है। इस आयोग की भूमिका, शक्तियाँ, कार्य एवं अन्य कार्यविधियों का उल्लेख, राजस्थान सरकार बाल अधिकार, संरक्षण आयोग नियम २०१० जो अप्रेल २०१० में अधिसूचित किए गए, में किया गया है। राजस्थान सरकार का महिला एवं बाल विकास विभाग, आयोग का समन्वयक विभाग है। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का, कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य है और इसे वे समस्त शक्तियाँ व कार्य, प्रदान किए गए हैं जो देश के स्तर पर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को प्राप्त हैं।

२६. बाल संरक्षण कार्यों को सम्भालने के लिए, क्या राज्य में कोई मुख्य कार्यक्रम है?

समेंकित बाल संरक्षण योजना, अभी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर का, अब तक का सबसे बड़ा बाल संरक्षण कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम वर्ष २००९-१० में, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू किया गया था। राजस्थान सरकार ने इसे वर्ष २०१० में शुरू किया। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत बाल अधिकार निदेशालय, इस योजना एवं पालनहार योजना जैसी बच्चों से संबंधित अन्य योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व निगरानी का काम करता है। समेंकित बाल संरक्षण योजना, अलग-अलग स्तर पर चलने वाली विभिन्न योजनाओं को एक एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाकर राज्य सरकार के बाल संरक्षण के हस्तक्षेपों को जोड़ती है और व्यवस्थित व विकेन्द्रित दृष्टिकोण से संसाधनों के क्षरण को रोकती है। इसका उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति एवं किशोर न्याय (बाल सम्भाल व संरक्षण) अधिनियम २००० (२००६ व २०११ में संशोधित) के अनुरूप, बच्चों के लिए संरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। यह "बाल अधिकार संरक्षण" एवं "सर्वश्रेष्ठ बाल हित" के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। समेंकित बाल संरक्षण योजना से अपेक्षा है कि वह बाल संरक्षण को सक्षम व प्रभावी स्वरूप देने की सरकार की जिम्मेदारी को निभाने में महत्वपूर्ण सहयोग दे। इस प्रकार समेंकित बाल संरक्षण योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में उलझे बच्चों के हितों में सुधार में सहयोग करना और उन कार्यों, स्थितियों व कमजोरियों में कमी करना है जो बच्चों को उत्पीड़न, उपेक्षा, शोषण, अलगाव और बेसहारापन में धकेलती हैं। यह लक्ष्य पाने के लिए (१) बाल संरक्षण सेवाओं की गुणवत्ता व पहुँच में सुधार (२) भारत में बाल अधिकार संरक्षण की स्थिति, वास्तविकता व संरक्षण के बारे में उन्नत जनजागरण (३) बाल संरक्षण के लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित दायित्व व वास्तविक जवाबदेही (४) कठिन परिस्थितियों में उलझे बच्चों की सहायता के लिए सरकार के सभी स्तरों पर वैधानिक व कार्यकारी तंत्र (५) उपलब्ध सेवाओं के कार्यरत होने के सबूतों पर आधारित निगरानी व मूल्यांकन, जरूरी है।

२७. बाल संरक्षण के लिए राज्य सरकार के मुख्य प्रयास क्या रहे हैं?

राज्य में बाल संरक्षण को लेकर, हाल ही कई उत्साहजनक व सकारात्मक बदलाव लाए गए हैं एवं नए कदम उठाए गए हैं जिनसे बहुत आशाएँ हैं। केन्द्र सरकार के सहयोग से शुरू हुई, समेंकित बाल संरक्षण योजना को अपनाने के साथ ही राज्य सरकार के किशोर न्याय नियम २०११, राज्य व जिला स्तर पर बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्ड, के गठन व इनके प्रभावी संचालन, ब्लॉक व ग्राम पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण समितियों के गठन, राज्य बालिका नीति अपनाने, सभी उम्र के भिक्षावृत्ति में लगे लोगों के पुनर्वास की योजना लाने, बाल श्रमिकों को छुड़ाने व पुनर्वास के लिए मानक कार्य प्रक्रिया जारी करने, बाल व्यापार के लिए पुलिस अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी करने, बाल सम्भाल संस्थानों में शारीरिक दंड के उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश जारी करने और बच्चों के मामलों की खबरों, आदि के लिए प्रचार माध्यमों को दिशा निर्देश जारी करने, जैसे कदम उठाए गए हैं। पालनहार योजना के क्षेत्र और लाभान्वितों के विस्तार के साथ ही इसका नियमित मूल्यांकन किया जाता है। वर्ष २०१३ के दौरान राज्य में हुआ सबसे महत्वपूर्ण काम है- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत स्वतंत्र बाल अधिकार निदेशालय की स्थापना। वस्तुतः राजस्थान देश के सर्वाधिक अग्रणी राज्यों में है जिसने बाल संरक्षण के लिए नीतिगत और सकारात्मक वैधानिक रूपरेखा के निर्माण की पहल की है।

२८. क्या बाल संरक्षण और सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में कोई संबंध है?

बाल संरक्षण के मामले, हर एक सहस्त्राब्दी लक्ष्य से जुड़ते हैं। बाल श्रम राष्ट्र की मानव पूंजी की उपयोगिता घटाता है और नितान्त गरीबी के उन्मूलन (सहस्त्राब्दी लक्ष्य १) में बाधा डालता है। सशस्त्र संघर्ष, शारीरिक दण्ड और महिला-पुरुष भेदभाव, वैश्विक प्राथमिक शिक्षा (सहस्त्राब्दी लक्ष्य २) के लक्ष्य को पाने के प्रयासों को नाकारा करते हैं। बाल विवाह, बालिकाओं का स्कूल जाना छुड़वाता है और महिला-पुरुष समानता (सहस्त्राब्दी लक्ष्य ३) के लक्ष्य को पाने में बाधा डालता है। बाल विवाह के परिणाम स्वरूप जल्दी गर्भाधान से बाल मृत्यु (सहस्त्राब्दी लक्ष्य ४) और मातृ मृत्यु (सहस्त्राब्दी लक्ष्य ५) दर घटने की बजाय बढ़ती है। इसी तरह, माताओं से अलग हुए बच्चे, अगर संस्थागत तंत्र में आश्रय पाते हैं तो उनके लिए जल्दी मृत्यु के खतरे बढ़ जाते हैं, जो बाल मृत्यु दर घटाने (सहस्त्राब्दी लक्ष्य ४) के मार्ग को कठिन बनाते हैं।

यौन शोषण व उत्पीड़न, एचआईवी संक्रमण रोकने के (सहस्त्राब्दी लक्ष्य ६) लक्ष्य को पीछे धकेलते हैं और पर्यावरणीय संकट बच्चों के शोषण व उत्पीड़न की राह बनाते हैं और पर्यावरण सन्तुलन (सहस्त्राब्दी लक्ष्य ७) की जरूरत बताते हैं। बाल संरक्षण के लिए समाज के विभिन्न घटकों में निकट सहयोग की जरूरत है, जो विकास के लिए सार्वभौमिक भागीदारी की जरूरत को प्रकट करते हैं।

२९. किशोर न्याय क्या है?

किशोर न्याय (बच्चों की सम्भाल व संरक्षण) अधिनियम २००० (२००६ व २०११ में संशोधित) देश का प्रमुख कानून है जो कानून के समक्ष विचाराधीन बच्चों के बारे में कानून को संशोधित करके समग्रता देता है। यह, सम्भाल व संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों को उचित संभाल, संरक्षण व उपचार देने, उनकी विकास जरूरतों को पूरा करने में मदद करने, बच्चों के सर्वश्रेष्ठ हित व वास्तविक पुनर्वास के लिए, मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए मामलों को निपटाता है। राज्य सरकार ने राजस्थान किशोर न्याय नियम २०११ तैयार करके लागू किए हैं जो केन्द्र द्वारा निर्मित आदर्श किशोर न्याय नियम की पुष्टि है।

३०. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम क्या है?

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, यह मानते हुए कि बच्चों का यौन शोषण, अधिक स्पष्ट और कठोर कानून के अन्तर्गत निबटाया जाना चाहिए, एक विशेष कानून- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम २०१२ तैयार किया जिसे संसद के पारित करने के बाद, १९ जून, २०१२ को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। यह २० जून, २०१२ को, भारत सरकार के गजट में प्रकाशित हुआ और १४ नवम्बर, २०१२ से लागू हुआ। इस अधिनियम के अन्तर्गत बच्चों पर किए जाने वाले पाँच प्रकार के यौन अपराध-यौन हमला, अंग भेदन यौन हमला, विकृत अंगभेदन यौन हमला, यौन उत्पीड़न और अश्लील चित्रण शामिल किये गये हैं। इन अपराधों में मदद करने को भी दण्डनीय अपराध माना गया है। इन अपराधों में आर्थिक दण्ड सहित सामान्य करावास से आजीवन कठोर कारावास तक की सजा के प्रावधान हैं। इन अपराधों में पीड़ित व अपराधी के साथ महिला-पुरुष भेद नहीं किया गया है।

किशोर न्याय अधिनियम

सम्बन्धी

रोज के सवाल

१. किशोर या बच्चा कौन है?

किशोर न्याय अधिनियम २००० की धारा २(के) के अनुसार, "किशोर" या "बच्चे" से मतलब, उस व्यक्ति से है जिसने अपनी उम्र के १८ वर्ष पूरे नहीं किए हैं। यह परिभाषा, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति के अनुरूप है।

२. किशोर न्याय अधिनियम, किन बच्चों से सम्बन्धित है?

किशोर न्याय अधिनियम २००० दो तरह के बच्चों को सम्बोधित करता है:- पहले, कानून के अन्तर्गत आरोपित बच्चे-१८ वर्ष से कम उम्र का वह बालक/बालिका जिस पर किसी अपराध का अभियोग लगा है और दूसरा, सम्भाल व संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे- वे संवेदनशील बच्चे जिन्हें समुचित सम्भाल व संरक्षण के पात्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

३. कानून के अन्तर्गत आरोपित बच्चे कौनसे हैं?

किशोर न्याय अधिनियम २००० के अनुसार, वह बालक या बालिका जिस पर कानून के अन्तर्गत कोई अपराध करने का अभियोग लगा हो और उसने अपराध के दिन तक १८ वर्ष की उम्र पूरी न की हो। (धारा २ खण्ड १)

४. सम्भाल और संरक्षण चाहने वाला बच्चा कौन है?

- वह बच्चा जो बेघर और जीवननिर्वाह के सहारे के बिना पाया जाए।
- वह बच्चा जो किसी ऐसे व्यक्ति के (जो बच्चे का अभिभावक हो या नहीं) के साथ रहता हो जिसने उसे जान से मारने या चोट पहुँचाने की धमकी दी हो और उस धमकी के पूरे होने की आशंका हो। ऐसा बच्चा जिसने दूसरे बच्चे को जान से मार दिया हो, धमकी दी हो या उपेक्षा की हो और उसे खुद के मारे जाने, उत्पीड़ित किए जाने या उपेक्षा किए जाने की आशंका हो।
- शारीरिक या मानसिक रूप से नि:शक्त, मरणान्तक या लाइलाज बीमारी से ग्रसित बच्चा जिसकी देखभाल करने वाला कोई न हो।

- ऐसा बच्चा जिसके माता-पिता या अभिभावक उसकी सम्भाल में सक्षम न हों।
- बच्चा जिसके माता-पिता न हों और उसकी देखभाल करने वाला कोई न हो या उसके माता-पिता ने उसे त्याग दिया हो या जो बिछुड़ गया हो या भागा हुआ हो या उचित खोजबीन के बाद भी, उसके माता-पिता का पता न लगा हो।
- बच्चा जो बेघर, भीख मांगता हुआ या मजदूरी करता मिला हो।
- बच्चा जो यौन शोषण या किसी अन्य गैर कानूनी काम में लिप्त पाया जाए या जिसकी ऐसी स्थितियों का शिकार होने की आशंका हो।
- ऐसा बच्चा जो बुरी हालत में पाया जाए और उसको नशे या तस्करी के धन्धे में धकेले जाने की आशंका हो।
- बच्चा जो अनुचित लाभ के लिए उत्पीड़न का शिकार हो या उसकी शिकार होने की आशंका हो।
- बच्चा जो किसी सशस्त्र संघर्ष/दंगे या प्राकृतिक आपदा का शिकार हो।

५. वर्तमान किशोर न्याय अधिनियम कब और कैसे अस्तित्व में आया?

भारत में पहली बार वर्ष १९८६ में स्वतन्त्र "किशोर न्याय अधिनियम १९८६" अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति से पहले, बीजिंग नियम १९८५ की अनुपालना में, इसे लागू किया गया। भारत सरकार ने जब ११ दिसम्बर १९९२ को, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति को अंगीकार किया तो उसके मानदण्डों को पालन करना जरूरी हो गया। तब किशोर न्याय अधिनियम की समीक्षा की गई, उसे समाप्त किया गया और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति, किशोर न्याय प्रशासन के लिए मानक न्यूनतम नियम १९८५ (बीजिंग नियम), बाल अपराध-निषेध के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देश (रियाद दिशा निर्देश १९९०), और स्वतन्त्रता से वंचित किशोरों को संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र नियम (१९९०), आदि अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किशोर न्याय (सम्भाल व संरक्षण) अधिनियम २००० पारित किया गया। बाद में वर्ष २००६ और २०११ में, इस अधिनियम को संशोधित किया गया। भारत में वर्तमान किशोर न्याय अधिनियम के क्रमिक विकास की प्रमुख सीढियां, इस प्रकार रही हैं:-

- १८५०: द एप्रेंटिस एक्ट (प्रक्रिया अधिनियम) १८५० छोटे अपराधियों व आवारा लोगों के लिए काम में लिया जाता था। इसके अन्तर्गत १० से १८ वर्ष के उम्र के अदालत से सजायाफ्ता लोगों को काम-धन्धा सिखाया जाता था।
- १८६०: द इण्डियन पैनल कोड १८६० (भारतीय दण्ड संहिता १८६०) में आपराधिक जिम्मेदारी के लिए न्यूनतम आयु सीमा तय की गई और ७ वर्ष से कम उम्र वालों को इससे मुक्त रखा गया।
- १८६१: द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर (अपराध प्रक्रिया संहिता) १८६१ में १५ वर्ष से कम उम्र के आरोपितों की सुनवाई अलग से किए जाने और जेल के बजाय सुधार गृहों में रखे जाने का प्रावधान किया गया।
- १८९७: रिफार्मेट्री स्कूल्स एक्ट (सुधारक विद्यालय अधिनियम) लाया गया जो कम उम्र अपराधियों के लिए था।
- १९१९-१९२०: भारतीय जेल समिति ने ब्रिटिश सरकार से बच्चों के लिए अलग न्यायालय व संस्थान बनाने की सिफारिश की।
- १९२०: द मद्रास चिल्ड्रन एक्ट १९२० में पहली बार, किशोर न्यायालय का सिद्धान्त सामने आया जिसे वर्ष १९२२ के बंगाल चिल्ड्रन एक्ट, १९२४ के बाम्बे चिल्ड्रन एक्ट और बाद में आये अनेक बाल अधिनियमों में पालन किया गया।
- १९२३: बाल आरोपितों के आपराधिक मामलों में फैसला सुनाने की विशेष प्रक्रिया अपनाने के लिए अपराध प्रक्रिया अपनाने के लिए, अपराध प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया गया।
- १९६०: आदर्श कानून के रूप में, द चिल्ड्रन एक्ट पारित किया गया जिसे केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया।
- १९८६: द जूविनाइल जस्टिस एक्ट (किशोर न्याय अधिनियम) १९८६ लागू किया गया जिसने पुराने सभी बाल अधिनियमों को समाप्त कर, देश भर में किशोर न्याय कार्य के लिए, समान कानूनी ढ़ाँचा बनाया। इस कानून में अपराध से लिप्तता व उपेक्षाग्रस्त किशोरों के पुनर्वास, विकास, संभाल, संरक्षण व उपचार का प्रावधान किया गया।

- २०००: कुछ नए प्रावधानों के साथ द जूविनाइल जस्टिस (केयर एण्ड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट २००० लाया गया। यह अप्रेल २००१ में लागू किया गया और जून २००१ में केन्द्रीय नियम अधिसूचित किए गए।
- २००६: कुछ कमियों एवं विसंगतियों को दूर करने के लिए, किशोर न्याय अधिनियम २००० में शोध किया गया।
- २०११: वर्ष २०११ में, किशोर न्याय अधिनियम २००० में फिर से संशोधन किया गया।

६. किशोर न्याय अधिनियम में १९८६ के बाद क्या मुख्य संशोधन किए गए?

किशोर न्याय अधिनियम १९८६ को समाप्त कर, किशोर न्याय अधिनियम २००० लागू किया गया। फिर इसे बच्चों के सामाजिक पुनरेकीकरण के लिए अधिक उपयुक्त, प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए वर्ष २००६ और २०११ में संशोधित किया गया।

किशोर न्याय अधिनियम १९८६:

- संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति से पहले, बीजिंग नियम १९८५ की अनुपालना में, किशोर न्याय अधिनियम लागू किया गया।
- इसमें किशोर की उम्र - लड़कों के लिए १६ वर्ष और लड़कियों के लिए १८ वर्ष तय की गई।
- बच्चों को अपराध संलिप्त किशोर और उपेक्षित किशोर नाम की श्रेणियों में रखा गया।
- विचाराधीन जाँच पूरी होने तक, दोनों ही श्रेणियों के बच्चों को परिवीक्षा गृह में रखा जाना था।
- उपेक्षित बच्चों के लिए मामलों पर कार्रवाई के लिए किशोर कल्याण बोर्ड और अपराध संलिप्तता में निर्णय के लिए किशोर न्यायालय का गठन किया गया।
- उपेक्षित किशोरों को किशोर गृह और अपराध संलिप्त किशोरों को विशेष गृह में रखने का प्रावधान था।

- अधिनियम का नाम, ऊपर बताई गई दोनों ही श्रेणियों के बच्चों की सम्भाल व संरक्षण पर जोर देता है।
- बालकों व बालिकाओं के लिए समान उम्र- संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति की भावना के अनुरूप कोई भी बच्चा जिसने १८ वर्ष की उम्र पूरी नहीं की है, उस अधिनियम के दायरे में आता है।
- सम्भाल व संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे और अपराध के लिए आरोपित बच्चे - दोनों को अलग-अलग तरह से देखा गया है।
- सम्भाल व संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए बाल कल्याण समितियों तथा आरोपित बच्चों के लिए किशोर न्याय बोर्ड का गठन।
- सम्भाल व संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों में - सशस्त्र संघर्ष प्राकृतिक आपदा, दंगे, आदि से पीड़ित बच्चों और बेसहारा व नशे, आदि में धकेले जाने की आशंका वाले बच्चों को भी शामिल किया गया।
- आरोपित बच्चों के अधिक वैधानिक संरक्षण की सुनिश्चितता जैसे - बन्दी बनाए जाने को आखिरी विकल्प के रूप में देखना, पिछले रेकॉर्ड का महत्व न होना और गोपनीयता बनाए रखना, आदि।
- सम्भाल व संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों की पुर्नस्थापना की आवश्यकता, इस कानून का एक नवाचार है, जिसमें बच्चों को मुख्य केन्द्र में रखा गया है। पुर्नस्थापना में माता-पिता, गोद के माता-पिता या पालन करने वाले माता-पिता का विचार किया गया है।
- कानून में शिशु गृह व विशेष गृह वाले बच्चे की पुर्नस्थापना के चार विकल्प रखे गए हैं - गोद, लालन-पालन, प्रायोजकता और बाद की सम्भाल।

किशोर न्याय (बच्चों की सम्भाल व संरक्षण) संशोधन अधिनियम २००६ :

- किशोर न्याय (बच्चों की सम्भाल व संरक्षण) अधिनियम २००० में वर्ष २००६ में मोटे-मोटे २६ संशोधन किए गए।
- संशोधित अधिनियम में, दोनों श्रेणियों (उपेक्षित व आरोपित) के बच्चों की सम्भाल, संरक्षण, उपचार व पुनर्वास के लिए कानूनी ढाँचे के गठन का प्रावधान किया गया।
- इसमें आरोपित बच्चों की परिभाषा, अपराध होने की तारीख से मानी गई है।
- हर जिले के लिए किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना की व्यवस्था की गई।
- किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन मामलों के समय पर निस्तारण पर जोर।
- आरोपित किशोर की पहचान प्रकट करने के प्रतिबन्ध का उल्लंघन करने पर बढ़ी हुई सजा।

किशोर न्याय (बच्चों की संभाल व संरक्षण) संशोधन अधिनियम २०११:

इसमें मूल अधिनियम की धारा ४८ की उप धारा २ को हटा दिया गया और धारा ५८ में उप धारा १ व २ को जोड़ा गया। इससे कानून में मानसिक रूप से बीमार, पुरानी बीमारी से पीड़ित और नशे के आदी बच्चों के बेहतर इलाज एवं पुनर्वास के प्रावधान उपलब्ध हो गए। इससे मानसिक रूप से बीमार बच्चों का इलाज करते समय, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम १९८७ का ध्यान रखना भी जरूरी हो गया।

७. किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार, किशोर न्याय के मुख्य सिद्धान्त क्या हैं?

राजस्थान किशोर न्याय नियम २०११ के अनुसार, किशोर न्याय अधिनियम के पालन के दिशा निर्देशक सिद्धान्त, इस प्रकार हैं :-

१. निर्दोषिता की धारणा का सिद्धान्त

२. गरिमा एवं महत्व का सिद्धान्त

३. सुने जाने के अधिकार का सिद्धान्त

४. श्रेष्ठतम हित का सिद्धान्त

५. परिवारिक दायित्व का सिद्धान्त

६. सुरक्षा का सिद्धान्त (न नुकसान, न उत्पीड़न, न उपेक्षा, न शोषण और न दुर्व्यव्हार)

७. बच्चे के हित संवर्धन, दुर्बलता दलन एवं बच्चे की पहचान के विकास के उद्देश्य से सकारात्मक कदम

८. वचन, निर्णय और कर्म से अनिन्दात्मकता का सिद्धान्त

९. अधिकारों के लिए दावा करने का सिद्धान्त

१०. समानता एवं भेदनिर्पेक्षता का सिद्धान्त

११. निजता एवं गोपनीयता के अधिकार का सिद्धान्त

१२. अन्तिम शरण का सिद्धान्त

१३. घर वापसी एवं पुर्नस्थापना का सिद्धान्त

१४. नए सिरे से कार्यारम्भ का सिद्धान्त

८. किशोर न्याय अधिनियम के उद्देश्य क्या हैं?

- देश में किशोर न्याय पद्धति के लिए कानूनी ढ़ाँचे का निर्माण
- किशोरों के संरक्षण एवं सुधार के लिए, एक विशेष दृष्टिकोण प्रस्तुत करना
- किशोरों की सम्भाल, संरक्षण, सुधार, विकास एवं पुनर्वास के लिए वांछित आधारभूत संसाधनों व कार्मिकों की रूपरेखा बनाना
- किशोर न्याय प्रशासन के लिए मूल्य एवं मानदण्ड स्थापित करना

- किशोर न्याय के औपचारिक तन्त्र और किशोर कल्याण के स्वैच्छिक प्रयासों के बीच सेतु व समन्वय स्थापित करना
- किशोरों के सम्बन्ध में विशेष अपराध चिह्नित करना और सजा दिलवाना।

९. किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत किस तरह के मुद्दे लिए जाते हैं?

किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत सम्बोधित किए जाने वाले मुख्य मुद्दे, ये हैं:-

- फैसला सुनाते समय बाल मित्रता दृष्टिकोण अपनाना
- बच्चे के श्रेष्ठतम हित में विवाद को निपटाना और बच्चे या किशोर का शैक्षणिक, शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिकीकरण और नैतिक विकास सुनिश्चित करना।
- कानून के तहत स्थापित विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से मुक्ति पश्चात अनुगमन, आश्रय एवं पूर्ण पुनर्वास
- न्यायिक प्रक्रियो को दुष्प्रभावित किए बिना, पीड़ित बच्चों का पुनरेरीकरण और सभी प्रकार के उत्पीड़न, शोषण, हिंसा, उपेक्षा और दुर्व्यवहार से उनका संरक्षण।

१०. किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी कौन हैं?

- कानून के समक्ष विचाराधीन किशोरों के मामलों में, किशोर न्याय बोर्ड सक्षम अधिकारी है।
- सम्भाल व संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के मामलों में, बाल कल्याण समिति सक्षम अधिकारी है।

११. किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के बच्चों की सम्भाल व सहयोग के लिए निर्मित संस्थागत तन्त्र क्या है?

किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत, कानून के समक्ष विचाराधीन (आरोपित) बच्चों के लिए पर्यविक्षण गृह(ऑब्जर्वेशन होम) व विशेष गृह (स्पेशल होम) और सम्भाल व संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए बाल गृह (चिल्ड्रन्स होम) एवं आश्रय गृह (शेल्टर होम) की व्यवस्था है।

बाल गृह या विशेष गृह से छोड़े जाने के बाद, बच्चों/किशोरों को संस्थागत जीवन से गरिमामय स्वतन्त्र जीवन में प्रवेश की तैयारी के लिए, बाद की सम्भाल संगठन (आफ्टर केयर ऑर्गेनाइजेशन) में रहने की सुविधा है। इसके लिए अधिकतम अवधि तीन वर्ष या २१ वर्ष की आयु पूरी रहने तक निर्धारित है। मामले की जरूरत के हिसाब से, किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति किसी बच्चे या किशोर को बाद की सम्भाल कार्यक्रम में शामिल कर सकती है। राज्य सरकार हर जिले या कुछ जिलों के समूह में, ऐसी संस्थाओं का गठन कर सकती है या किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त स्वेच्छिक संस्था को, इन कार्यों के लिए अधिकृत कर सकती हैं। इस तन्त्र को समझने के लिए यह तालिका मददगार हो सकती है :-

कानून से आरोपित बच्चे
(किशोर न्याय बोर्ड द्वारा निर्धारित स्थल)

- **पर्यविक्षण गृह**
(जाँच के दौरान अस्थायी परिवीक्षा के लिए)
- **विशेष गृह**
(जाँच पूरी होने के बाद पुनर्वास व आश्रय के लिए)
- **सम्भाल बाद संगठन**
(१८-२१ आयु वालों के लिए, विशेष गृह से स्वतंत्र जीवन की ओर बढ़ाने वाला आवश्यकता आधारित कार्यक्रम)

सम्भाल व संरक्षण चाहने वाले बच्चे
(बाल कल्याण समिति द्वारा निर्धारित स्थल)

- **आश्रय गृह**
(तत्काल सहायता के इच्छुक बेघर या घर से भागे बच्चों को रखने के लिए कार्यरत)
- **बाल गृह**
(जाँच के दौरान और जाँच के बाद सम्भाल व उपचार के लिए)
- **सम्भाल बाद संगठन**
(१८-२१ आयु वालों के लिए, बाल गृह से स्वतंत्र जीवन की ओर बढ़ाने वाला आवश्यकता आधारित कार्यक्रम)

१२. क्या, बच्चों को आवास, शिक्षा, सम्भाल आदि सहायता देने वाले संस्थानों/संगठनों का, अधिनियम में पंजीयन जरूरी है?

हाँ, जरूरतमंद बच्चों को सम्भाल व संरक्षण सेवाएं उपलब्ध कराने वाले सभी सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को बनाने के लिए किशोर न्याय अधिनियम की धारा ३४ (उप धारा ३) के अन्तर्गत पंजीयन कराना जरूरी है।

१३. बाल कल्याण समिति का गठन कैसे किया जाता है और इसका कार्यकाल कितना है?

बाल कल्याण समिति के गठन की सिफारिश के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सुझाव के आधार पर, राज्य सरकार, हर जिले में बाल कल्याण समिति में नियुक्तियाँ करती हैं। जरूरत होने पर, राज्य सरकार, एक जिले में एक से ज्यादा बाल कल्याण समितियाँ भी गठित कर सकती है। अधिकृत राजपत्र में अधिसूचना के जरिए, ये नियुक्तियाँ की जाती हैं। बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष और चार सदस्य, जिनमें से कम से कम एक महिला हो, नियुक्त किए जाते हैं। समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होता है और अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल एक साथ समाप्त होता है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की लगातार नियुक्ति, अधिकतम दो कार्यकाल के लिए की जा सकती है। चयन समिति की सिफारिश एवं जिला बाल संरक्षण इकाई व राज्य सरकार के मूल्यांकन के आधार पर, सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया जाता है। अधिनियम की धारा २०(उप धारा ४) के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्य, एक माह की लिखित पूर्व सूचना देकर, समिति से त्यागपत्र दे सकते हैं या हटाये जा सकते हैं। समिति में हुए खाली पद, चयन समिति द्वारा तैयार सूची में से चयनित नामों द्वारा, शेष अवधि के लिए नियुक्ति देकर भरे जा सकते हैं।

१४. बाल कल्याण समिति की शक्तियाँ और कार्य क्या हैं?

बाल कल्याण समिति की शक्तियाँ एवं कार्यों को, किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत बने, राजस्थान किशोर नियम २०११ के नियम २५ और सम्बन्धित विभागीय आदेशों में अच्छी तरह बताया गया है। बाल कल्याण समिति के कार्य (दिनांक १८ जनवरी २०१२ को अधिसूचित) और बाल श्रमिकों की पहचान, बरामदगी, संरक्षण व पुनर्वास सम्बन्धी मानक कार्यविधि (दिनांक २१ अगस्त २०१२ को अधिसूचित) आदेश स्वयं स्पष्ट है। मानक कार्यविधि के अनुसारः-

(क) बाल कल्याण समिति, सम्भाल व संरक्षण चाहने वाले बच्चों की सम्भाल, संरक्षण, उपचार, विकास एवं पुनर्वास के मामलों को सुलझाने के लिए सक्षम रूप से अधिकृत है। समिति बच्चों के मानव अधिकारों के संरक्षण और उनकी प्राथमिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी अधिकृत है।

(ख) समिति के समक्ष प्रस्तुत बच्चें का संज्ञान लेना व उन्हें सम्भाल में लेना।

(ग) समिति के सामने लाए गए मामलों को सुलझाना और बच्चों से सम्बन्धित तथा उनकी सुरक्षा और हितों को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में आवश्यक जाँच करना।

(घ) सम्भाल व सुरक्षा की ज़रूरत वाले, उन बच्चों तक पहुँचना जो समिति के समक्ष लाए जाने की स्थिति में नहीं होंगा।

(ङ.) बाल कल्याण अधिकारियों, पर्यवेक्षण अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों को सामाजिक जाँच कर, समिति को रिपोर्ट देने के लिए निर्देश देना।

(च) बाल गृह के प्रभारी अधिकारी को, उन बच्चों को संरक्षण में लेने के निर्देश देना जिन्हें आश्रय और सम्भाल की ज़रूरत हो।

(छ) बच्चों की सम्भाल व संरक्षण के लिए उपयुक्त व्यक्तियों और उपयुक्त संस्थाओं की घोषणा करना एवं राज्य सरकार को उनकी सिफरिश करना।

(ज) बच्चे को दत्तक ग्रहण के लिए, कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करना।

(झ) अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत गुमशुदा बच्चों की जानकारी रखना और उनके मामले में आवश्यक कार्यवाही करना।

(ञ) कम से कम हर तीसरे महीने उन संस्थानों एवं ठिकानों को जाकर देखना और वहाँ सम्भाल, संरक्षण या दत्तक ग्रहण के लिए सौंपे गए बच्चों की स्थिति की समीक्षा करना।

(ट) समिति के कार्यक्षेत्र में, बच्चों से सम्बन्धित कार्य करने वाली संस्थाओं एवं एजेन्सियों की निगरानी करना ताकि बच्चों का शोषण व उत्पीड़न रोका जा सके।

(ठ) पुलिस, श्रम विभाग और बच्चों की सम्भाल व संरक्षण से जुड़े अन्य विभागों/एजेंसियों से तालमेल रखना ।

(ड) समिति एवं सम्बद्ध संस्थानों में सुझाव पेटी रखवाना ताकि बच्चे और बड़े सुझाव देने के लिए आगे आ सकें और उन सुझावों पर आवश्यक कार्यवाही करना।

(ढ) पुलिस को विभिन्न ठिकानों पर कार्यरत बाल श्रमिकों (१८ वर्ष की आयु तक) की बरामदगी के निर्देश देना और चाइल्ड लाइन (१०९८) व किसी स्थानीय स्वैच्छिक संगठन को बरामदगी की कार्यवाही में पुलिस की मदद करने के लिए कहना। ऐसी कार्यवाही के दौरान बाल कल्याण समिति के एक सदस्य की मौजूदगी भी ज़रूरी है। बाल बल्याण समिति को बालश्रम कराने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज कराने और बरामद किये गए बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश देने का अधिकार है।

राज्य सरकार की १८ जनवरी, २०१२ की अधिसूचना के अनुसार, बाल कल्याण समिति की हर सप्ताह में कम से कम तीन बैठक होनी ज़रूरी है। हर बैठक की अवधि कम से कम चार घंटे होनी चाहिए। समिति की बैठक जिले के किसी पंजीकृत बालगृह में होनी चाहिए और बैठक में सदस्यों की उपस्थिति तथा बैठक की कार्यवाही का रेकॉर्ड रखा जाना चाहिए। बाल कल्याण समिति को अपनी तिमाही रिपोर्ट, जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से, राज्य बाल संरक्षण समिति को देनी होती है।

१५. बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है?

किशोर न्याय अधिनियम २००० की धारा २९, उपधारा ४ के अनुसार, राज्य सरकार बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति, जाँच के बाद, रद्द कर सकती है। अगर:-

- उन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त शक्ति के दुरूपयोग का दोषी पाया जाए।
- उन्हें, नैतिकता के विरूद्ध अपराध के लिए दण्डित किया गया है और उस दण्ड को वापस नहीं लिया गया है या पूरी तरह क्षमा नहीं किया गया है।
- उन्होंने, बिना किसी उपयुक्त कारण के लगातार तीन माह तक, समिति की कार्यवाही में भाग नहीं लिया या एक वर्ष में हुई समिति की तीन-चौथाई बैठकों में भाग नहीं लिया।

१६. किशोर न्याय बोर्ड का गठन कैसे किया जाता है और इसका कार्यकाल कितना है

राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, किशोर न्याय बोर्ड का गठन करती है। यह कानून द्वारा आरोपित बच्चों के मामलों के निपटारे के लिए सक्षम अधिकरण है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा ४ और राजस्थान किशोर न्याय नियम २०११ के नियम ५ के अनुसार, हर जिले में एक या ज़रूरत हो तो ज्यादा भी किशोर न्याय बोर्ड का गठन होना चाहिए।

- बोर्ड में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का जूडिशियल मजिस्ट्रेट तथा दो सामाजिक कार्यकर्त्ता, होंगे। दो में कम से कम एक महिला सामाजिक कार्यकर्त्ता होनी चाहिए। यह पीठ होगी।
- ऐसी हर पीठ को अपराध प्रक्रिया संहिता संहिता (सी.आर.पी.सी.) १९७३ (१९७४ का केन्द्रीय अधिनियम संख्या २ द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी।)
- बाल मनोविज्ञान या बाल कल्याण में विशेष ज्ञान या प्रशिक्षण प्राप्त एक मजिस्ट्रेट को बोर्ड का प्रधान मजिस्ट्रेट पद स्थापित किया जाएगा।
- दो सामाजिक कार्यकर्त्ताओं (जिनमें से कम से कम एक महिला होना जरूरी है) की नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी।
- सदस्यता के लिए, कम से कम ३५ वर्ष की आयु और समाज कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोविज्ञान, बाल विकास या समाज विज्ञान के किसी अन्य विषय में स्नातक होने के साथ, बाल कल्याण सम्बन्धी कार्यों के नियोजन, क्रियान्वयन व प्रशासन से न्यूनतम सात वर्ष की संलग्नता होना जरूरी है।

बोर्ड का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और सदस्यों का कार्यकाल भी बोर्ड के अनुरूप ही होगा। सामाजिक कार्यकर्त्ता लगातार दो कार्यकाल तक, बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति पा सकते हैं। सदस्यों के कार्यकाल का विस्तार, राज्य सरकार की जिला बाल संरक्षण इकाई के मूल्यांकन व चयन समिति की सिफ़ारिश पर किया जाएगा।

सदस्यों का कार्यमूल्यांकन, बोर्ड में मामलों को निपटाने में, उनकी भागीदारी के आधार पर किया जाएगा। बोर्ड के सदस्य एक महीने की अग्रिम लिखित सूचना देकर कभी भी स्वेच्छा कार्यमुक्त हो सकते हैं। किशोर न्याय अधिनियम की धारा ५ उपधारा ४ के अन्तर्गत किसी सदस्य को हटाया भी जा सकता है। बोर्ड में खाली हुए सदस्य के पद को, चयन समिति की सूची में से, किसी व्यक्ति को नियुक्ति देकर भरा जा सकता है। ऐसे सदस्य का कार्यकाल, बोर्ड के कार्यकाल तक ही रहेगा।

१७. किशोर न्याय बोर्ड की क्या भूमिका है?

राजस्थान किशोर न्याय नियम २०११ के नियम १० के अन्तर्गत, किशोर न्याय बोर्ड को दी गई, जिम्मेदारियाँ इस प्रकार हैं:-

- कानून से आरोपित किशोरों के मामलों में सुनवाई करके फैसला सुनाना।
- किशोर न्याय अधिनियम की धारा २३ से २८ में वर्णित अपराधों में संज्ञान लेना।
- कानून से आरोपित किशोरों के लिए कार्यरत संस्थानों की निगरानी करना, उनके कार्य में पाई गई कमियों को दूर करवाना और बोर्ड के सुझावों के अनुसार सुधार करवाना।
- निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार संबंधित सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों के कर्मियों द्वारा काम न करने के मामलों को देखना।
- जिला अधिकारियों एवं पुलिस को आवश्यक आधारभूत ढाँचा व सुविधाएं सृजित करने के निर्देश देना ताकि अधिनियम की भावना के अनुरूप न्याय व उपचार के न्यूनतम मानकों का पालन हो सके।
- सम्भाल व संरक्षण की ज़रूरत वाले मामलों के लिए, बाल कल्याण समिति से तालमेल रखना।
- निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार, मामलों की जाँच में तेजी बनाए रखने एवं उनके निपटान के लिए अन्य जिला बोर्डों से समन्वय रखना।
- कानून के क्रियान्वयन के दौरान सामने आई अकल्पित स्थिति के मुकाबले में उपयुक्त कदम उठाना और किशोर के सर्वश्रेष्ठ हित में कठिनाइयों को दूर करना।

- कानून द्वारा आरोपित किशोरों के, अपने सामने लाए गए मामलों की तिमाही सूचना, जिला व राज्य बाल संरक्षण इकाइयों एवं राज्य सरकार को भेजना। यह सूचना, अधिनियम की धारा १४, उपधारा २ के अन्तर्गत पुनरावलोकन के लिए चीफ जूडिशियल मजिस्ट्रेट चीफ मेट्रोपांलिटन मजिस्ट्रेट को भी भेजना।

कानून द्वारा आरोपित बच्चों के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बताए गए, अन्य कार्य करना।

इसके अलावा, किशोर न्याय बोर्ड के कामकाज को प्रभावी बनाने की दृष्टि से, राज्य सरकार ने ११ जनवरी, २०१२ को मार्गदर्शिका जारी की है। इस मार्गदर्शिका में कहा गया है कि किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों को, भी अधिकृत कार्यदिवसों को रोज़ाना कम से कम पांच घंटे काम पर बैठना चाहिए ताकि मामलों का शीघ्रतापूर्ण निपटारा हो सके। विचाराधीन मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए किशोर न्याय बोर्ड अपनी बैठकों की संख्या बढ़ा सकता है। बोर्ड को अपनी बैठकें और कार्यवाही, जिले के किसी पंजीकृत सरकारी परिवीक्षा गृह में करनी चाहिए। ये काम, परिवीक्षा गृह के निकटस्थ किसी अन्य उपयुक्त स्थान या संस्थान, जो अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत न हों पर भी किए जा सकते हैं। किशोर न्याय बोर्ड, किसी भी हालत में अपनी बैठक, किसी अदालत में नहीं करेगा। बोर्ड अपने कार्य की तिमाही रिपोर्ट, निर्धारित प्रपत्र में, जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से, राज्य बाल संरक्षण समिति को करेगा।

१८. कानून द्वारा आरोपित बच्चों के मामले निपटाने या अन्तिम देश देने के लिए क्या, किशोर न्याय बोर्ड को कोई समय सीमा दी गई है?

राजस्थान किशोर न्याय नियम २०११ के नियम १३, उपनियम ६,७ और ८ के अनुसारः-

- बोर्ड को, प्राथमिक संक्षिप्त जाँच के बाद, चार माह में हर मामले की जाँच पूरी कर लेनी चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिकता, आरोपितों की बड़ी संख्या और गवाहों की प्रस्तुति में असाधारण देरी, जैसे अपवादों को रेकॉर्ड में लेने पर, जाँच की अवधि दो माह और बढ़ाई जा सकती है।
- जिन मामलों में घटित अपराध की प्रकृति गम्भीर हो, उनको छोड़कर अन्य मामलों में जाँच अवधि चार से छः माह से ज्यादा होने पर, कार्यवाही निरस्त की जा सकती हैं।

- अपराध की गम्भीरता के कारण, किसी मामले की कार्यवाही अवधि छ: माह से अधिक होने पर बोर्ड, उस मामले की सावधिक रिपोर्ट, चीफ जूडिश्यिल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को भेजेगा। इस रिपोर्ट में देरी के कारण और मामले के निपटाने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख होना ज़रूरी है।

१९. क्या किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट या सदस्यों को हटाया जा सकता है?

हाँ, राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय अधिनियम २००० की धारा ४, उपधारा ५ के अन्तर्गत जाँच के बाद, बोर्ड के किसी भी सदस्य की नियुक्ति रद्द की जा सकती है। अगर:-

- उसे अधिनियम में प्रदत्त शक्ति के दुरूपयोग का दोषी पाया जाए।
- उसे नैतिकता के विरूद्ध अपराध के लिए दण्डित किया गया है, और उस दण्ड को वापस नहीं लिया गया है या पूरी तरह क्षमा नहीं किया गया है।
- उसने बिना किसी उपयुक्त कारण के, लगातार तीन माह तक बोर्ड की कार्यवाही में भाग नहीं लिया या एक वर्ष में हुई बोर्ड की तीन-चौथाई बैठकों में भाग नहीं लिया।

२०. क्या बच्चों को जेल या पुलिस लॉकअप में रखा जा सकता है?

नहीं। किसी भी हालत में बच्चों को पुलिस लॉक अप या जेल में नही रखा जा सकता है। पकड़ने के तत्काल बाद बच्चे या किशोर को, नज़दीकी पुलिस थाने के बाल/किशोर कल्याण अधिकारी को सुपुर्द करना होता है। बाल/किशोर कल्याण अधिकारी, उसे २४ घंटे के भीतर (यात्रा समय के अलावा) किशोर न्याय बोर्ड, चाहे एक ही सदस्य हो, के समक्ष पेश करेगा। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, बाल/किशोर कल्याण अधिकारी, यदि आरोपित बच्चे/किशोर को २४ घंटे में किशोर न्याय बोर्ड के सामने प्रस्तुत न कर सके तो उसे सरकारी मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन या सुरक्षित स्थान पर हिरासत में रखा जा सकता है।

२१. क्या किशोर न्याय अधिनियम में वर्णित अपराध, संज्ञान योग्य हैं?

हाँ। अधिनियम की धारा २३ (बच्चों/किशोरो के प्रति क्रूरता), धारा २४ (भीख माँगने के काम पर रखना), धारा २५ (नशा कराना), धारा २६ (रोज़गार पर रखना व शोषण करना) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञान योग्य हैं। इसका मतलब है कि पुलिस, इन मामलों में, बिना अदालती आदेश के अपनी पहल पर जाँच शुरू कर सकती है और बिना वारंट के अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सकती है।

२२. सुरक्षित स्थान का मतलब क्या है?

सुरक्षित स्थान का मतलब पुलिस लॉकअप या जेल नहीं है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा १२-उपधारा ३ और धारा १६-उपधारा १ अनुसार, मान्यता प्राप्त वह स्थान जिसका प्रभावी व्यक्ति, आरोपित बच्चे को अस्थायी तौर पर अपनी सुरक्षा में लेने व संभालने को तैयार हो तथा सक्षम अधिकारी की राय में, वह स्थान बच्चे/किशोर के लिए सुरक्षित हो, सुरक्षित स्थान माना गया है।

२३. कानून द्वारा आरोपित बच्चे/किशोर को पकड़ने की प्रक्रिया क्या है?

एक बच्चे या किशोर को पकड़ने और उसे नियमानुसार किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति के सामने पेश करने के लिए, पुलिस को कुछ प्राथमिक नियमों का पालन करना होता है-

- हर एक पुलिस थाने में, एक नामित किशोर/बाल कल्याण अधिकारी होना चाहिए जो बच्चों व किशोरों के मामलों को देखने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित व अधिकृत हो।
- यदि किसी बच्चे या किशोर को, सामान्य पुलिस द्वारा पकड़ा गया है तो मामले को सम्भालने के लिए, उसे शीघ्र किशोर/बाल कल्याण अधिकारी को सुपुर्द करना चाहिए।
- बच्चे या किशोर को पकड़ने के समय के अलावा, इन मामलों में, पुलिसकर्मी को अपनी पुलिस वर्दी के बजाय सादे कपड़े पहनने चाहिए।
- किसी बच्चे या किशोर को न हथकड़ी लगाई जायेगी न बाँधा जायेगा।

- किसी बच्चे या किशोर को पकड़ते समय, पुलिस, राज्य सरकार द्वारा संरक्षण के लिए मान्य, स्वैच्छिक संगठन का सहयोग लेगी।
- पुलिस, किसी बच्चे या किशोर को पकड़ने के साथ ही, उसके माता-पिता या अभिभावकों, सम्बद्ध परिवीक्षा अधिकारी और अन्य संबंधित पक्षों को जानकारी देगी और यह भी बताएगी कि उसे किशोर न्याय बोर्ड के सामने किस दिन व किस समय पेश किया जायेगा।
- बच्चे या किशोर को पकड़ने के बाद २४ घंटे के भीतर, सक्षम अधिकारी के सामने पेश किया जायेगा।

२४. दोष सिद्ध होने पर, किसी बच्चे/किशोर के खिलाफ, किस तरह के आदेश जारी किये जा सकते हैं?

किशोर न्याय अधिनियम की धारा १५ के अनुसार, किशोर न्याय बोर्ड, सामाजिक जाँच रिपोर्ट व पूछताछ में दोष सिद्ध होने पर, आगे बताए, जैसे आदेश पारित कर सकता हैं-

- बच्चे/किशोर के माता-पिता या अभिभावक की समझाइश के बाद, उसे सलाह या चेतावनी देकर घर जाने की अनुमति दे सकता है।
- उसे समूह समझाइश या इसी तरह की गतिविधियों में शामिल करने के निर्देश दे सकता है।
- उसे समाज सेवा में समय लगाने के निर्देश दे सकता है।
- अगर उसकी उम्र १४ साल के ऊपर है और वह कमाता है तो उस पर आर्थिक दंड लगा सकता है।
- अच्छे आचारण के प्रोबेशन पर छोड़ सकता है और माता-पिता, अभिभावक या किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति या अधिकतम ३ वर्ष की अवधि तक, किसी उपयुक्त संस्थान की संभाल में सौंप सकता है।
- अधिकतम तीन वर्ष के लिए विशेष गृह, अन्य उपयुक्त जगह या परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी में भेज सकता है।

२५. क्या एक ही मामले में आरोपित बच्चे या किशोर और वयस्क की सुनवाई एक साथ (संयुक्त रूप से) की जा सकती है?

किशोर न्याय अधिनियम की धारा १८ के अनुसार, एक ही मामले में आरोपित किसी बच्चे या किशोर और वयस्क की सुनवाई एक साथ नहीं की जा सकती। अगर किसी मामले में ऐसा होना पाया जाता है तो, किशोर न्याय बोर्ड संज्ञान लेकर, आरोपित बच्चे/किशोर की अलग सुनवाई के निर्देश दे सकता है।

२६. किशोर के खिलाफ़, किस तरह के आदेश पारित नहीं किए जा सकते हैं?

किशोर न्याय अधिनियम की धारा १६ के अनुसार किसी दोष सिद्ध किशोर को मृत्यदण्ड नहीं दिया जा सकता। उसे तीन वर्ष से अधिक कारावास की सजा भी नहीं सुनाई जा सकती। जुर्माना अदा न करने या जमानत न देने पर जेल भी नहीं भेजा जा सकता।

२७. विशेष किशोर पुलिस इकाई कैसे गठित की जाती है?

विशेष किशोर पुलिस इकाई में विशेष रूप से प्रशिक्षित और नामित पुलिस अधिकारी होते हैं। हर पुलिस थाने में, कम से कम एक पुलिस अधिकारी को सहज रूचि, उपयुक्त प्रशिक्षण व आमुखीकरण के आधार पर किशोर/बाल कल्याण अधिकारी पद पर नामित किया जाता है। शहर या जिले के ऐसे किशोर/बाल कल्याण अधिकारियों से "विशेष किशोर पुलिस इकाई" बनती है। जिला स्तर पर, विशेष किशोर पुलिस इकाई के कार्यालय में पुलिस निरीक्षक स्तर का किशोर/बाल कल्याण अधिकारी और दो वैतनिक सामाजिक कार्यकर्त्ता, (जिनमें से एक महिला होना आवश्यक) होते हैं। सामाजिक कार्यकर्त्ता, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा भेजे गए होते हैं और उनको समेकित बाल संरक्षण योजना द्वारा वेतन दिया जाता है। पुलिस अधीक्षक, विशेष किशोर पुलिस इकाई का प्रमुख होता है। नामित किशोर/बाल अधिकारियों के स्थानान्तरण और नियुक्तियाँ, विशेष किशोर पुलिस इकाई वृत्त में ही होती है। पदोन्नति, जैसे अपवादों में रिक्ति हुए, किशोर/बाल कल्याण अधिकारी के पद पर जल्दी ही दूसरे अधिकारी को नामित किया जाता है। हर राज्य में, कम से कम महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी को समन्वय अधिकारी नामित किया जाता है जो अधिनियम के अन्तर्गत बच्चों व किशोरों की सम्भाल व संरक्षण के मामलों में समन्वय तथा पुलिस की भूमिका को बेहतर बनाने का काम करता है।

२८. विशेष किशोर पुलिस इकाई की क्या भूमिका है?

राजस्थान किशोर न्याय नियम २०११, नियम ८४ में, विशेष किशोर पुलिस इकाई की विशिष्ट भूमिका, इस प्रकार बताई गई हैं:-

१. बच्चों को सभी प्रकार की निर्दयता, उत्पीड़न एवं शोषण से कानूनी संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए समन्वय करना एवं प्रहरी की तरह काम करना।

२. बच्चों के प्रति अपराध करने वाले वयस्कों का गम्भीरता से संज्ञान लेना और देखना कि ऐसे तत्वों को तत्काल पकड़ा जाए और उनके खिलाफ़ समुचित कानूनी कार्यवाही की जाए। इसके लिए पुलिस थानों की अन्य इकाइयों से भी सम्पर्क रखा जाए।

३. कानून के खिलाफ़ काम करने वाले बच्चों को पहचानने के लिए, स्वैच्छिक संगठनों, पंचायतों, ग्राम सभाओं और मोहल्ला समितियों की मदद ली जाए। बच्चों के प्रति उपेक्षा, उत्पीड़न और हिंसा की सूचनाएं प्राप्त करने में भी, इनकी मदद ली जाए।

४. कानून के खिलाफ़ काम करने वाले बच्चों को पकड़ते समय, आवश्यक रिपोर्ट तैयार करने, उन्हें किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश करने से पहले निगरानी में रखने और पेश करते समय विशेष किशोर पुलिस इकाई व पुलिस थानों की मदद के लिए, राज्य सरकार द्वारा मान्य स्वैच्छिक संगठनों से तालमेल बनाए रखना।

५. विभिन्न दूकानों व काम के ठिकानों में कार्यरत बाल श्रमिकों को (१८ वर्ष की आयु तक के) पहचान करना एवं बाल कल्याण समिति, श्रम विभाग के अधिकारियों और स्वैच्छिक संगठनों की मदद से, उन्हें बरामद करना तथा उनसे काम कराने वालों के खिलाफ़ कानूनी कार्यवाही करना।

२९. किशोर/बाल कल्याण अधिकारी कौन है?

किशोर न्याय अधिनियम की धारा ६३ (२) के अनुसार, पुलिस व बच्चों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी, किशोर/बाल कल्याण अधिकारी पर है। इसके लिए हर पुलिस थाने में, कम से कम एक अधिकारी जो सहज रूप से बाल संरक्षण में रूचि रखने वाला हो और जिसने उचित प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, को किशोर/बाल कल्याण अधिकारी नामित किया जाता है।

३०. अपराध में लिप्तता के आरोपित बच्चों को, पुलिस कहाँ पेश करती है?

अपराध में लिप्तता के आरोपित बच्चे को पकड़े जाने के तुरन्त बाद, नज़दीकी पुलिस थाने के किशोर/बाल कल्याण अधिकारी के सपुर्द किया जाता है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा १० उपधारा एक के अनुसार, किशोर/बाल कल्याण अधिकारी, इस बच्चे को २४ घंटे के भीतर, किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश करता है। अधिनियम की धारा ६३ उपधारा २ की पालना में, यदि कहीं, किशोर/बाल कल्याण अधिकारी नामित नहीं किया गया है या उपलब्ध नहीं है तो बच्चे को पकड़ने वाला अधिकारी ही उसे २४ घंटे के अंदर, किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश करेगा।

३१. अपराध लिप्तता के आरोपित बच्चों की जमानत के क्या प्रावधान हैं?

किशोर न्याय का सिद्धान्त और किशोर न्याय अधिनियम की भावना, अपराध लिप्तता के आरोपित बच्चे को अमानत राशि की गारंटी या उसके बिना भी जमानत दिए जाने पर जोर देती है। उसे परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी या उपयुक्त संस्थान या उपयुक्त व्यक्ति की सम्भाल में भी रखा जा सकता है। लेकिन उसको खुला छोड़ा जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह जाने-माने अपराधियों की संगति में आ जाए या शारीरिक, नैतिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में आ जाए और न्याय का उद्देश्य ही खत्म हो जाए। जमानत खारिज करने का आधार, भौतिक या रेकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य को बनाया जाना चाहिए। कुछ प्रगतिशील एवं उदार अदालती फैसलों से ही संकेत मिलता है कि जमानत नियम होना चाहिए, अपवाद नहीं।

३२. केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी की क्या भूमिका है?

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन स्वायत्तशासी संस्थान है। यह भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए समन्वयक संस्था के रूप में काम करती है और इसे अन्तर्देशीय व अन्तर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण के नियमन व निगरानी का काम सौंपा गया है। यह अपनी मान्य सहायक दत्तक ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से, प्राथमिक तौर पर अनाथ, बेघर और समर्पित बच्चों को गोद देने का काम करती है। केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी की भूमिका एवं दायित्व, इस प्रकार हैं:-

- देश के हर दत्तक ग्रहण योग्य बच्चे को अनुकूल परिवार में पहुँचाने की राह बनाना।
- राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण नीति के निर्माण एवं क्रियान्वयन में सहयोग करना।
- देश में त्वरित, पारदर्शी और बच्चे के अनुकूल दत्तक ग्रहण पद्धति के समग्र विकास का प्रयास करना।
- राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी की मदद से, बच्चों के अवैध स्थापन को रोकने के लिए अधिकाधिक पारदर्शिता और नैतिक आचरण सुनिश्चित करना।
- दत्तक ग्रहण में जाँच के द्वारा दुराचरण को रोकना और उचित कार्यवाही करना।
- दत्तक ग्रहण के काम में लगे संस्थानों के निरीक्षण व निगरानी के लिए बाल-सम्भाल के गुणवत्तापूर्ण मानक एवं संकेतकों का विकास करना।
- भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण की निगरानी के दिशा-निर्देशों, नियमों एवं कानूनों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना एवं उनकी समीक्षा करना।
- हर स्तर पर जिम्मेदारी तय करना और अगर बच्चे जरूरत से ज्यादा समय तक संस्थाधीन हों तो हस्तक्षेप करना।
- पालन पोषण और प्रयोजन, जैसे गैर संस्थागत एवं परिवार-आधारित संभाल कार्यों के विकास को बढ़ावा देना।
- देश के भीतर और बाहर, दत्तक ग्रहण से जुड़े बच्चों एवं माता-पिता की व्यवस्थित सूचना रखना ताकि मूल स्रोत शोध और अनुगमन आसान हो।
- दत्तक ग्रहण में एकरूपता बनाए रखने के लिए मानक दस्तावेजों एवं प्रक्रियाओं का विकास करना।
- देश के भीतर व बाहर, दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी रूप से मुक्त बच्चों के वर्गीकृत रेकॉर्ड (जैसे राज्यवार, एजेंसीवार, लिंगानुसार, आयु-अनुसार, आदि) तैयार करना व रखना।

- पंजीकृत भारतीय एवं विदेशी सम्भावित दत्तक ग्रहण माता-पिता का विस्तृत ब्यौरा तैयार करना व रखना।
- दत्तक ग्रहण पद्धति में निरन्तर सुधार के लिए, गैर संस्थागत व वैकल्पिक सम्भाल और दत्तक ग्रहण पर शोध एवं दस्तावेजीकरण करना।
- देश के भीतर गोद लेने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने और इसके अनुकूल वातावरण बनाने के लिए जन वकालत व जन जागरण सहित सूचना, शिक्षा व संचार गतिविधियाँ चलाना।
- दत्तक ग्रहण से जुड़े सभी पक्षों/हित धारकों के लिए-प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण सहित विशेषीकृत प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन कार्यक्रम चलाना।

३३. राज्य दत्तक ग्रहण संसधान एजेंसी की क्या भूमिका है?

अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहन एवं अन्तर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण के नियमन में केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी की मदद के लिए-समेकित बाल संरक्षण योजना देश के सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी की स्थापना में सहयोग करती है। राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी की स्थापना, राज्य बाल संरक्षण समिति के अन्तर्गत, एक इकाई के रूप में की जाती है। उसे दत्तक ग्रहण कार्य के समन्वय, निगरानी और विकास के साथ, राज्य दत्तक ग्रहण सलाहकार सीमिति का सचिवालय और प्रशासनिक सेवा देने की जिम्मेदारी दी जाती है। समेकित बाल संरक्षण योजना में, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी से जिस विशेष भूमिका व दायित्व की अपेक्षा की जाती है, वह इस प्रकार है:-

- राज्य में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के समन्वय, निगरानी एवं विकास के लिए, राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना।
- विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसियों की स्थापना करना, उन्हें कानूनी मान्यता दिलाना और ऐसी एजेंसियों की सघन सूची बनाना।

- यह सुनिश्चित करना कि बच्चों के सभी दत्तक ग्रहण या स्थायी स्थापन भारत सरकार के कानूनों एवं सर्वोच्च न्यायलय के दिशा-निर्देशों के अनुसार हुए हैं।
- केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी के समन्वय में, अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहन देना एवं अन्तर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण का नियमन करना।
- बाल सूचना पद्धति के अन्तर्गत, जिला बाल संरक्षण इकाई व विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसियों की मदद से, अपने राज्य के दत्तक ग्रहण योग्य बच्चों का केन्द्रीकृत वेब आधारित रेकॉर्ड रखना।
- जिला बाल संरक्षण इकाई और विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेन्सियों की मदद से सम्भावित दत्तक ग्रहण माता पिता का वेब आधारित रेकॉर्ड रखना।
- विशेषकृत दत्तक ग्रहण एजेंसियों के काम का निरीक्षण करना और राज्य में समन्वय सुनिश्चित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि दत्तक ग्रहण के इच्छुक सभी माता-पिताओं का जिला बाल संरक्षण इकाई/विशेषकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी/राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी में पंजीयन हो।
- केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी को हर माह दत्तक ग्रहण के विस्तृत आँकड़े उपलब्ध कराना।
- सभी सम्बद्ध एजेंसियों व तंत्रों में संवेदनशीलता का स्तर बढ़ाना/सुनिश्चित करना।
- दत्तक ग्रहण से जुड़ी मान्यता प्राप्त व लाइसेंस प्राप्त और बिना मान्यता व बिना लाइसेंस कार्यरत एजेंसियों व व्यक्तियों का दुराचरण पाए जाने पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करना।
- राज्य में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए जन वकालत व जन जागरण करना।
- सूचना, शिक्षा व संचार सामग्री तैयार करना व प्रसारित करना।

राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी का कार्यालय, राज्य बाल संरक्षण समिति में होगा। समेकित बाल संरक्षण योजना की ओर से, इसमें कार्यक्रम प्रबंधक, कार्यक्रम अधिकारी, कार्यक्रम सहायक और लेखाकार की व्यवस्था की जाती है। सभी सम्बद्ध एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि वे अपनी सम्भाल में रह रहे बच्चों में से दत्तक ग्रहण के लिए मुक्त सभी बच्चों का रेकॉर्ड रखें और उसे केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी व राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी को पहुँचाएं। इस रेकॉर्ड में बाल कल्याण समिति द्वारा जारी अधिकृत दस्तावेज, आदि सभी प्रमाण शामिल होंगे।

३४. विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी क्या है?

किशोर न्याय अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि अनाथ, बेघर और समर्पित बच्चों के दत्तक ग्रहण को आसान बनाने के लिए, राज्य सरकार हर जिले में अपने किसी संस्थान या स्वैच्छिक संगठन को विशेषकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी के रूप में मान्यता दे सकती है। एक जिले में एक से ज्यादा संस्थान/संगठन को यह मान्यता दी जा सकती है। केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, अन्तर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण में लगी विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी को "हेग सहमति" के अनुसार, विशेष अधिस्वीकृति दे सकती है। विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी और जिला बाल संरक्षण समिति (राजस्थान में यह जिला बाल संरक्षण इकाई कहलाती है) की सम्पूर्ण निगरानी में काम करती है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, समेकित बाल संरक्षण योजना, हर जिले में विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी की स्थापना और संचालन के लिए आर्थिक व अन्य प्रकार का सहयोग उपलब्ध कराती है।

विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी का काम, नए परिवार में स्थापन से पूर्व, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण सम्भाल सुविधाएं और परिवार आधारित सम्भाल उपलब्ध करवाना भी है। बच्चे के सर्वश्रेष्ठ हित को ध्यान में रखते हुए, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी, अपने दायरे के हर बच्चे के लिए, विशेष सम्भाल योजना तैयार करेगी। विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी की भूमिका एवं दायित्वों में, ये चीजें शामिल हैं:-

- अनाथ, बेघर एवं समर्पित बच्चों का प्रवेश एवं पंजीयन।
- बाल कल्याण समिति को बच्चे के आगमन की सूचना देना और आवश्यकतानुसार उसकी जाँच में सहयोग देना।

- प्रवेश किए गए सभी बच्चों का ऑन लाइन डाटा बेस रखना।
- बच्चे की अध्ययन रिपोर्ट और शारीरिक जाँच रिपोर्ट तैयार करना।
- बच्चे की दत्तक ग्रहण पूर्व एवं पश्चात् समझाइश।
- बच्चे एवं दत्तक ग्रहण के इच्छुक माता-पिता का मिलान।
- जिला बाल कल्याण अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्थापन समिति की मदद से बच्चे को गोद देना या गोद पूर्व पालन-पोषण के लिए सौंपना।
- बच्चे के दत्तक ग्रहण या स्थापन के लिए अदालती कार्यवाही पूरी करना और दत्तक ग्रहण पश्चात् का अनुगमन।
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना।
- बच्चे व बच्चे को जन्म देने वाले माता-पिता का रेकॉर्ड, स्वास्थ्य रेकॉर्ड और दत्तक ग्रहण माता-पिता का संबंधित रेकॉर्ड रखना।
- जिला बाल कल्याण इकाई और राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी को, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी में भर्ती हर एक बच्चे की पुनर्वास योजना सहित तिमाही रिपोर्ट देना।

३५. जिला बाल कल्याण इकाई क्या है और यह समेकित बाल कल्याण योजना में बताई गई जिला बाल कल्याण समिति से, कैसे भिन्न है?

किशोर न्याय अधिनियम की धारा ६२ (ए) की पालना में, हर एक राज्य सरकार को राज्य स्तर पर, राज्य बाल संरक्षण इकाई और जिला स्तर पर, जिला बाल संरक्षण इकाई गठित करनी है। इसी प्रकार समेकित बाल विकास परियोजना में, राज्य बाल संरक्षण समिति और उसके सहयोगी के रूप में जिला बाल संरक्षण समिति की कल्पना की गई है। इनमें ऐसे कार्मियों की नियुक्ति की कल्पना की गई है जो सम्भाल व संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों तथा कानून से संघर्षरत बच्चों की आवश्यकताओं में रूचि रखकर, किशोर न्याय अधिनियम का क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकें।

इनके जिम्मे सम्बन्धित विभिन्न गृहों की स्थापना व रख-रखाव, इन बच्चों के पुनर्वास व विभिन्न सम्बद्ध सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों से समन्वय भी शामिल है।

समेकित बाल विकास योजना जिसका प्राथमिक उद्देश्य किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों सहित सभी बाल संरक्षण तंत्रों व मजबूत करता है, ने हर जिले में बाल संरक्षण समितियों का गठन जरूरी माना है। ये जिला समितियाँ, राज्य बाल सरंक्षण समिति के रूप में कार्य करेंगी। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति ने २६ जून, २०११ को एक अधिसूचना जारी करके, हर जिला दण्डनायक के प्रशासनिक नियंत्रण व निगरानी में जिला बाल संरक्षण इकाई गठित की है इससे राजस्थान में यह व्यवस्था बन गई है कि जिला बाल संरक्षण इकाई ही जिला बाल संरक्षण समिति का काम करेगी।

३६. जिला बाल सरंक्षण इकाई की क्या भूमिका है?

जिला बाल संरक्षण इकाई से अपेक्षा की गई है कि वह जिला स्तर पर सभी बाल अधिकार और संरक्षण गतिविधियों का क्रियान्वयन और समन्वय करेगी। किशोर न्याय नियम २०११, नियम ८१ में जिला बाल सरंक्षण इकाई/समिति के विशिष्ट कार्य, इस प्रकार बताए गए हैं:-

- जिला एवं शहर स्तर पर, किशोर न्याय अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। इसके लिए आधारभूत ढाँचे के निर्माण में सहयोग करना जिसमें किशोर न्याय बोर्ड, सम्बद्ध समितियाँ, विशेष किशोर पुलिस इकाइयों और विभिन्न गृहों का गठन शामिल है।
- ज़ोखिम में रह रहे, परिवारों और सम्भाल व संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों की पहचान करना।
- कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की संख्या जानना और उनकी प्रवृत्ति एवं पद्धतियों की निगरानी के लिए जिला स्तरीय डाटाबेस तैयार करना।
- जिला स्तर पर बच्चों संबंधी सभी सेवाओं की सामयिक एवं निरन्तर संदर्भ निर्देशिका तैयार करना और संबंधित समितियों व बोर्ड को सूचनाएं उपलब्ध कराना।
- प्रायोजन, पालन-पोषण दायित्व दत्तक ग्रहण एवं बाद की सम्भाल, जैसी असंस्थागत और परिवार आधारित सेवाओं का क्रियान्वयन।

- कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समितियों का गठन सुनिश्चित करना।
- सभी स्तरों पर बच्चे का उनके परिवारों में पुनरेकीकरण या दत्तक ग्रहण, पालन-पोषण दायित्व, प्रायोजना या संस्थागत पुनर्वास सुगम बनाना।
- राज्य दत्तक ग्रहण एजेंसी को जिला स्तर पर असंस्थागत-परिवार आधारित सेवाओं के क्रियान्वयन में सहयोग देना।
- बाल संरक्षण मुद्दों पर-स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, मूलभूत शहरी सुविधाएं, पिछड़ी जाति व अल्पसंख्यक, युवा सेवाएं, पुलिस, न्यायिक, श्रमिक और राज्य एड्स नियंत्रण, आदि सहित सभी सरकारी विभागों/एजेंसियों से तालमेल करना।
- किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत शिष्ट समाज संगठनों से संबंध एवं तालमेल रखना।
- बाल कल्याण विशेषज्ञों के निरन्तर परामर्श से जिले में कार्यरत सम्बद्ध एजेंसियों एवं संस्थानों की प्रभावी निगरानी एवं निरीक्षण के मानदण्ड और उपकरण विकसित करना।
- जिले में बच्चों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने वाले सभी संस्थानों एवं एजेंसियों की निगरानी और निरीक्षण करना।
- अधिनियम के क्रियान्वयन में लगे सभी सरकारी व गैर सरकारी कर्मियों को क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण दिलाना।
- अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए-चाइल्ड लाइन, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी, विभिन्न गृहों के प्रभारी, गैर सरकारी संगठन एवं जन प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारियों के साथ तिमाही बैठक करना।
- राज्य बाल सरंक्षण इकाई/समिति, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी और अन्य जिलों की जिला बाल संरक्षण इकाई/समितियों से संवाद कायम रखना।

३७. परिवीक्षा अधिकारी की क्या भूमिका है?

राज्य सरकार द्वारा, अभियुक्तों की परिवीक्षा अधिनियम १९५८ के तहत परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। राजस्थान किशोर न्याय नियमों में परिवीक्षा अधिकारी के लिए ''बाल कल्याण अधिकारी'' व ''वाद कार्यकर्ता'' शब्द काम में लिए गए हैं। नियम ८७ के अन्तर्गत, परिवीक्षा अधिकारी, बाल कल्याण अधिकारी या वाद कार्यकर्त्ता की जिम्मेदारी-बोर्ड समिति या अन्य सम्बद्ध अधिकरण के सभी निर्देशों का पालन करने के साथ, आगे बताए गए कार्य करना हैं:-

- विचाराधीन किशोर से व्यक्तिगत साक्षात्कार, परिवार और अन्य सम्बद्ध पक्षों से बातचीत के जरिए, उसकी सामाजिक जाँच करना।
- बोर्ड व समिति की कार्यवाही में भाग लेना और आवश्कतानुसार रिपोर्ट देना।
- किशोरों की समस्याओं का समाधान करना और उनके संस्थागत जीवन की कठिनाइयों को सम्भालना।
- आमुखीकरण, निगरानी, शिक्षा, व्यवसाय और पुनर्वास कार्यक्रम में भाग लेना।
- किशोर एवं कार्यप्रभारी के बीच समझ व सहयोग बनाना।
- किशोर एवं उसके परिवार के बीच संबंध बढ़ाना व परिवार के सदस्यों को सहयोग देना।
- हर बच्चे से विस्तृत बातचीत के बाद, उसकी सम्भाल योजना बनाना व उसके क्रियान्वयन को देखना।
- किशोर के मुक्तिपूर्व कार्यक्रमों में भाग लेना और मुक्ति पश्चात् उसे भावनात्मक व सामाजिक सहयोग देने में मददगार लोगों व संस्थाओं से सम्पर्क बनाने में मदद करना।
- किशोर के पुनर्वास व सामाजिक पुनरेकीकरण के लिए स्वैच्छिक कार्यकर्त्ताओं व संगठनों से सम्पर्क बनाना और क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाना।

- किशोरों को मुक्ति पश्चात् अनुगमन और उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन व सहयोग देना।
- अपनी निगरानी में मौजूद बच्चों के घरों/स्कूलों व कार्यस्थलों पर नियमित रूप से जाना और पाक्षिक रिपोर्ट देना।
- जहाँ तक सम्भव हो, किशोरों को बोर्ड के दफ्तर से परिवीक्षा गृह, विशेष गृह, बाल गृह या उपयुक्त व्यक्ति तक जैसा भी मामला हो, साथ में लेकर पहुँचना।
- केस फाइल या समय-समय पर निर्धारित, ऐसे ही रजिस्टर, आदि रखना।

परिवीक्षा अधिकारी - पुलिस या पुलिस के किशोर बाल कल्याण अधिकारी से किसी किशोर या बच्चों को पकड़े जाने की सूचना पाकर, उसकी पृष्ठभूमि, पारिवारिक जानकारी और परिस्थिति जन्य तथ्यों की खोज़बीन करेगा और जितनी जल्दी सम्भव हो, बोर्ड को सामाजिक जाँच रिपोर्ट देगा। राजस्थान किशोर न्याय नियम २०११, नियम ८५ के अन्तर्गत, सक्षम अधिकारी वर्तमान परिवीक्षा सेवा को बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों या सामाजिक कार्यकर्त्ताओं में से भी मानद या स्वैच्छिक कल्याण अधिकारी व परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त कर सकता है और क्रियान्वयन तंत्र में उनकी सेवाओं का उपयोग कर सकता है।

३८. प्रायोजन क्या हैं?

किशोर न्याय अधिनियम एवं समेकित बाल संरक्षण योजना की भावना के अनुसार प्रायोजन, कमज़ोर स्थिति वाले बच्चों के लिए पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण कार्यक्रम का एक भाग है। बाल गृह, विशेष गृह या निर्धन परिवारों में रहने वाले बच्चों के लिए पूरक मासिक आर्थिक सहायता का कार्यक्रम है। परिवार की कमज़ोर सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के कारण जो बच्चे उपेक्षा, शोषण, अनाथपन या बेघरपन के ज़ोखिम के नज़दीक हैं या विभिन्न गृहों में साधनों की कमी के शिकार हो रहे हैं, उनकी चिकित्सा, पोषण, शिक्षा, जैसी अन्य प्राथमिक ज़रूरतों को पूरा करके, उनके जीवन-स्तर को सुधारने में, यह कार्यक्रम मददगार है। परिवारों में रह रहे बच्चों के लिए, यह जोखिम से बचाव का और संस्थाओं में रह रहे बच्चों के लिए (उनको फिर से अपने परिवार में बसाने हेतु) पुनर्वास कार्यक्रम हैं।

३९. पालन–पोषण देखभाल क्या है?

पालन-पोषण-देखभाल के अन्तर्गत, बच्चा प्रायः अस्थायी तौर पर, निकटवर्ती परिवार या रिश्ते से भिन्न परिवार के साथ रहता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत जनक-जननी (जैविक पिता-माता) के सन्तान पर से प्राकृतिक अधिकार व दायित्व समाप्त नहीं होते। इससे उन बच्चों को बेहतर सुविधाओं के साथ सरंक्षण मिलता है जो कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र नहीं हैं पर जिनके जनक-जननी बीमारी, मृत्यु अलगाव या अन्य किसी संकट के कारण बच्चों को मुश्किल से सम्भाल पाते हैं। इस तरह कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चे संस्थागत जीवन से दूर रह सकते हैं, अब परिवार में बेहतर जीवन स्तर के साथ विकास कर सकते हैं तथा स्थितियों में सुधार के बाद पुनः अपने परिवार में जा सकते हैं। किशोर न्याय अधिनियम एवं इनके राजस्थान नियमों के अनुसार, पालन-पोषण-देखभाल के अन्तर्गत उन बच्चों को भी रखा जा सकता है जिन्हें अन्ततः दत्तक ग्रहण के लिए सौंपना हो। बच्चे को ''पालन-पोषण के लिए माता-पिता'' को सौंपने से पहले समिति उपयुक्त व्यक्ति घोषित करेगी। यह घोषणा अधिनियम की धारा २(प) के अन्तर्गत बाल कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्त्ता की पूरी जाँच के बाद की जाती है।

४०. दत्तक ग्रहण क्या है?

दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के जरिए, एक बच्चा अपने जनक-जननी से मुक्त होकर अन्य माता-पिता का कानूनी बच्चा बन जाता है। दत्तक ग्रहण किया गया, बच्चा अपने नए परिवार में सभी अधिकारों, सुविधाओं एवं दायित्वों को पा लेता है। इसके लिए, बच्चे को पहले, बाल कल्याण समिति द्वारा ''दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी रूप से मुक्त'' घोषित किया जाता है। देश में दत्तक ग्रहण के लिए, स्थापित कानूनी प्रक्रिया और दिशा-निर्देश हैं जिनका नियमन व निगरानी, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी के पास है। देश में, अन्तर्देशीय व अन्तर्राष्ट्रीय, दो तरह के दत्तक ग्रहण होते हैं। हमेशा ऐसी कोशिश की जाती है कि दत्तक ग्रहण, बच्चे के गृह राज्य एवं देश में, भारतीय माता-पिता द्वारा की जाए। दत्तक ग्रहण में बच्चे के सर्वश्रेष्ठ हित का ध्यान रखा जाता है।

४१. किशोर न्याय अधिनियम के पालन में, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की क्या भूमिका है?

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना, देश में बाल अधिकारों के संरक्षण, प्रोत्साहन और प्रतिरक्षण के लिए की गई है। किशोर न्याय अधिनियम के पालन में इसकी भूमिका ऐसे देखी जा सकती हैं-

- बाल अधिकार संरक्षण के लिए, अधिनियम में प्रस्तावित सावधानियों का परीक्षण व समीक्षा तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करना।
- अधिनियम के उल्लंघन की जाँच करना और आगे की कार्यवाही की सिफारिश करना।
- आतंकवाद, साम्प्रदायिक दंगे, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, एचआईवी/एड्स, अवैध व्यापार, दुर्व्यव्हार, उत्पीड़न, शोषण, नग्न प्रदर्शन और वेश्यावृत्ति, जैसे बच्चों के अधिकारों के अतिक्रमण के मामलों में तथ्यों की जाँच करना एवं उचित उपचारात्मक कदम उठाने के सुझाव देना।
- विशेष संभाल व संरक्षण की ज़रूरत वाले बच्चों, कठिनाई में फंसे, सीमान्त व वंचित बच्चों, कानून से आरोपित किशोर व बच्चों, अनाथ व बंदी माता-पिताओं के बच्चों के मामलों को देखना और उनको राहत पहुँचाने के लिए सुझाव देना।
- अन्तर्राष्ट्रीय सहमतियों व समझौतों का अध्ययन करना, अधिनियम की सावधिक समीक्षा करना और बच्चों के सर्वश्रेष्ठ हित में, इनके पालन के लिए सुझाव देना।
- समाज के विभिन्न वर्गों में बाल अधिकारों की जानकारी फैलाना और प्रकाशनों, संचार माध्यमों, सभा वार्ताओं, आदि उपलब्ध साधनों के जरिए इन अधिकारों के संरक्षण के प्रावधानों के बारे में जागरूकता का प्रसार करना।
- केन्द्र या राज्य सरकार या गैर सरकारी संस्था द्वारा बच्चों को रोकने, रहने, उपचार करने, सुधार करने या संरक्षण करने के चलाए जा रहे गृह या संस्थान का निरीक्षण करना और आवश्यक सुधार के निर्देश देना।
- शिकायतों की जाँच करना और स्वप्रेरणा से जाँच व सुधार की कार्यवाही करना।

४२. किशोर न्याय अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की क्या भूमिका है?

राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का राज्य स्तरीय सहयोगी है। इसलिए राजस्थान राज्य के क्षेत्र में, उसकी वही भूमिका है जो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की है और जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है।

४३. किशोर न्याय अधिनियम के पालन में, गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है?

देश में किशोर न्याय पद्धति के प्रशासन, निगरानी और सशक्तिकरण में गैर सरकारी या स्वैच्छिक संगठनों की बड़ी सक्रिय और निर्णायक भूमिका है। समेकित बाल विकास योजना, जो बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिला बाल संरक्षण इकाई आदि वैधानिक तंत्रों को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है, वह शिष्ट समाज की सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें सम्भाल व सरंक्षण की जरूरत वाले बच्चों की पहचान से लेकर, आरोपित किशोरों को पकड़ने, जाँच रिपोर्ट तैयार करने, बच्चों की सम्भाल, परामर्श, पुर्नवास, एकीकरण सेवा देने, बाल संरक्षण तंत्र की क्षमता संवर्धन, सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार करने जैसे कामों में गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों की बड़ी भूमिका है। इनके कुछ कार्य इस प्रकार हैंः-

- कमजोर स्थिति वाले और सम्भाल व संरक्षण की तत्काल ज़रूरत वाले बच्चों की पहचान में सरकार की मदद करना।
- किशोर न्याय अधिनियम एवं राज्य में लागू नियमों के अनुसार, सम्भाल व संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों तथा कानून से आरोपित बच्चों की सम्भाल के लिए संस्थानों की स्थापना, प्रबंधन और निगरानी करना।
- बच्चों को काम-धंधे के प्रशिक्षण, शिक्षा, मनोरंजन और परामर्श, आदि सहयोग देना। प्रायोजन, पालन-पोषण, देखभाल, दत्तक ग्रहण और बाद की सम्भाल सेवाओं को प्रोत्साहन व सहयोग देना।

- कानून से आरोपित बच्चों को पकड़ने और उन्हें सक्षम अधिकारियों के सामने पेश करने में मदद करना।
- सक्षम अधिकारियों के अनुरोध पर सामाजिक जाँच रिपोर्ट, वाद इतिहास और बाल सम्भाल योजना तैयार करना।
- पुनरेकीकरण, दत्तक ग्रहण, पुर्नवास आदि प्रक्रियाओं व परिणामों का अनुगमन और सक्षम अधिकारियों को सूचना देना।
- बच्चों को जमानत पर लेने एवं उनकी देखभाल के उपयुक्त संस्थान के रूप में कार्य करना।
- कानून से आरोपित बच्चों को सभी प्रकार का आवश्यक सहयोग देना, विशेषतः बच्चों व उनके माता-पिता या अभिभावकों के बीच सम्पर्क स्थापित करना।
- किशोर न्याय पद्धति में उलझे बच्चों को मुख्य धारा में लाने एवं उनके विकास के लिए विशेष नवाचार परियोजनाएँ एवं कार्यक्रम बनाना।
- देश के बच्चों के सरंक्षण, बच्चों की स्थिति, किशोर न्याय अधिनियम, समेकित बाल विकास योजना और अन्य संबंधित कानूनों व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर प्रहरी की सी नज़र रखना व पैरवी और लॉबिंग करना।
- जागरूकता प्रसार, क्रियान्वयन तंत्र की क्षमता संर्वधन और निगरानी में तकनीकी सहयोग देना।
- बच्चों की स्थिति पर शोध करना, उपलब्ध मानव संसाधन की क्षमता संवर्धन करना और निपुण कार्यकर्त्ताओं का समुदाय तैयार करना।
- किशोर न्याय अधिनियम एवं समेकित बाल संरक्षण योजना की सामायिक समीक्षाओं में भाग लेना और संरक्षण वातावरण और सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए सूचनाएँ एवं सुझाव देना।

४४. किशोर न्याय अधिनियम के क्रियान्वयन में संचार माध्यमों की क्या भूमिका है?

- बच्चों के अधिकारों एवं बाल संरक्षण मामलों को संवेदना के साथ प्रोत्साहन देना और संचार माध्यमों में संवाद बनाये रखना।
- किशोर न्याय अधिनियम की धारा २१ के अनुसार, किसी भी समाचार पत्र, पत्रिका, दृश्य/श्रव्य माध्यमों में कानून से आरोपित या संभाल व संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे का नाम, पता, स्कूल या उसकी पहचान उजागर करने वाली जानकारी या फोटो प्रकाशित नहीं की जायेगी। जाँच अधिकारी द्वारा, बच्चे के हित में होने व सबूत के तौर पर रखे जाने के लिए, ऐसे प्रकाशन की अनुमति दी जा सकती है।
- संचार माध्यम कानून व कार्य पद्धति में मौजूद कमियों को उजागर कर सकते हैं और उन्हें दूर करने के लिए सुझाव दे सकते हैं।

४५. किशोर न्याय अधिनियम के पालन में पंचायत राज संस्थानों की क्या भूमिका है?

बच्चों को सुरक्षित, संरक्षित एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाने में, पंचायतराज संस्थानों की महत्वपूर्ण प्राथमिक भूमिका है। वे बाल संरक्षण सेवाओं के क्रियान्वयन और निगरानी में जागरूक प्रहरी का काम कर सकती है तथा ग्राम व ब्लॉक स्तर पर बाल संरक्षण समितियों में भाग लेकर बच्चों के हित साधन कार्य को प्रभावी बना सकती है।

४६. किशोर न्याय अधिनियम की निगरानी के लिए कौन जिम्मेदार है?

किशोर न्याय अधिनियम, इसके राज्य नियम और सम्बद्ध विभागीय अधिसूचनाओं व दिशा-निर्देशों में तथा समेकित बाल विकास योजना में निगरानी के अनेक तंत्र बताये गये हैं। खुद समेकित बाल विकास योजना किशोर न्याय अधिनियम के विभिन्न पहलुओं की निगरानी करती है। जैसे किशोर न्याय बोर्ड, कानून से आरोपित बच्चों की प्रक्रियाओं व संस्थाओं की निगरानी करता है।

बाल कल्याण समिति, संभाल व संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी और राज्य दत्तक ग्रहण सलाहकार समिति दत्तक ग्रहण संबंधी मामलों में प्रक्रियाओं की निगरानी करती है। इसी तरह जिला बाल संरक्षण इकाई-बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड व बाल सम्भाल संस्थाओं आदि की निगरानी करती है।

समेकित बाल विकास योजना और राजस्थान किशोर न्याय नियमों में सुझाया गया है कि राज्य बाल संरक्षण समिति, राज्य में निर्धारित मानदंड़ों के अनुसार, किशोर न्याय अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी। राज्य बाल संरक्षण समिति में राज्य सचिव को अध्यक्ष मनोनीत कर, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, आवासन, न्याय, गृह, रेलवे, आदि सम्बद्ध विभागों, पंचायत व नगरीय स्वायतशासी संस्थाओं और गैर सरकारी, स्वैच्छिक या शिष्ट समाज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सदस्य बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

इसके अलावा, समेकित बाल विकास योजना में अपेक्षित राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियाँ अपने-अपने कार्य क्षेत्र में, किशोर न्याय अधिनियम और समेकित बाल विकास योजना के क्रियान्वयन की निगरानी में मददगार हो सकती हैं।

समेकित बाल विकास योजना

सम्बन्धी

रोज के सवाल

१. समेकित बाल विकास योजना क्या है?

समेकित बाल विकास योजना, भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत योजना है। इसका उद्देश्य देश भर के सभी बच्चों के लिए संरक्षण का सुरक्षा कवच निर्माण करना है लेकिन कमजोर स्थिति वाले बच्चों पर इसका खास ध्यान है। सरकार व शिष्ट समाज संगठनों की सहभागिता- इस योजना का महत्वपूर्ण अंग है और इसका अधिकांश खर्च केन्द्र सरकार उठाती है। कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के कल्याण को बढ़ाने और बच्चों को उपेक्षा, उत्पीड़न, शोषण, अनाथपन व बेघरपन की ओर धकेलने वाली कमजोरी को दूर करने में सहयोग के लिए, समेकित बाल विकास योजना की शुरूआत की गई। बाल अधिकारों का संरक्षण और बच्चों का सर्वश्रेष्ठ हित, इसका मुख्य सिद्धान्त है।

२. समेकित बाल संरक्षण योजना की शुरूआत कब हुई?

समेकित बाल संरक्षण योजना २६ फरवरी, २००९ को शुरु की गई।

३. क्या समेकित बाल संरक्षण योजना, सारे भारत में चल रही है?

हाँ, समेकित बाल संरक्षण योजना, पूरे भारत में लागू है। इसके लिए हर राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश को केन्द्र सरकार के साथ सहमति पत्र हस्ताक्षर करना होता है। नवम्बर २०१३ तक देश के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों (सिर्फ चंडीगढ़ को छोड़कर) की सरकारें, भारत सरकार के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।

४. राजस्थान में समेकित बाल संरक्षण योजना कब शुरू हुई?

राजस्थान सरकार ने ६ जनवरी, २०१० को, भारत सरकार के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस दिन को ही राज्य में समेकित बाल संरक्षण योजना का शुरूआती दिन माना जा सकता है।

५. समेकित बाल संरक्षण योजना के विशिष्ट उद्देश्य क्या है?

समेकित बाल संरक्षण योजना के लिए विशिष्ट उद्देश्य हैं:-

(अ) सम्भाल व संरक्षण की जरूरत और कानून से आरोपित बच्चों के लिए आवश्यक सेवाओं का संस्थानीकरण तथा ढाँचों का सशक्तीकरण।

(आ) सभी सेवा प्रदाता तंत्रों एवं व्यक्तियों का क्षमता संवर्धन।

(इ) बाल संरक्षण सेवाओं के लिए गणना- आधार (डाटाबेस) और ज्ञान- आधार (नॉलिजबेस) तैयार करना।

(ई) परिवार व समुदाय के स्तर पर बाल संरक्षण को मजबूत करना।

(उ) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों के साथ समन्वय व गठबन्धन।

(ऊ) बच्चों की कमजोर स्थिति, बाल संरक्षण सेवाओं एवं बाल अधिकारों के बारे में जन-जागरण करना।

६. समेकित बाल संरक्षण योजना के लिए धन प्रबन्धन किस प्रकार किया गया है?

समेकित बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन के लिए, भारत सरकार और राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच व्यय भार, नीचे बताए अनुसार बाँटा गया है-

- जम्मू व कश्मीर और सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों में सभी मदों पर खर्च का वितरण, भारत सरकार तथा राज्य के बीच क्रमशः ९०:१० रहेगा।

- योजना के सभी मुद्दों पर, भारत सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं का योगदान ९०:१० के अनुपात में होगा।

- राष्ट्रीय जन सहयोग व बाल विकास संस्थान व इसके क्षेत्रीय केन्द्रों, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, चाइल्ड लाइन सेवा, केन्द्रीय परियोजना सहयोग इकाई और राज्य परियोजना सहयोग इकाई, जैसे आधार तंत्र व सेवाओं के लिए १०० प्रतिशत व्यय भार केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
- किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत नियमन निकायों जैसे-किशोर न्यायबोर्ड, बाल कल्याण समिति और विशेष किशोर पुलिस इकाई के लिए केन्द्र व राज्य जम्मू-कश्मीर व उत्तर-पूर्वी राज्यों को छोड़कर, की भागीदारी ३५:६५ के अनुपात में होगी।
- राज्यों में (जम्मू-कश्मीर और उत्तरी-पूर्वी राज्यों के अलावा) अन्य आधारभूत मदों के लिए ७५:२५ के अनुपात में व्यय भागीदारी है।
- केन्द्र से राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों को हर वर्ष दो किश्तों में निर्धारित राशि आवंटित की जाती है।

७. समेकित बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन के लिए, केन्द्र व राजस्थान सरकार के कौन से मंत्रालय व विभाग जिम्मेदार हैं?

समेकित बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी, केन्द्र सरकार के स्तर पर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास है। राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज्य में योजना के क्रियान्वयन का मध्यवर्ती विभाग है जबकि इसी विभाग के अन्तर्गत बाल अधिकार निदेशालय पर, इसके क्रियान्वयन का दायित्व है।

८. समेकित बाल संरक्षण योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं?

समेकित बाल संरक्षण योजना के मूल मार्गदर्शी सिद्धांत इस प्रकार हैं:-

- बाल संरक्षण, परिवार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, इसमें समुदाय, सरकार और शिष्ट समाज का सहयोग होना चाहिए।

- प्यार से सम्भाल करने वाला परिवार, बच्चे के लिए सर्वोत्तम स्थान है, इसलिए परिवार को मजबूत किया जाना ज़रूरी है।
- बच्चे की निजता व गोपनीयता का सम्मान किया जाना जरूरी है।
- बच्चों के साथ व्यव्हार में निन्दात्मक व भेदभावात्मक दृष्टिकोण न हो।
- योजना के परिणाम असुरक्षा कमजोरी की रोकथाम केन्द्रित होने चाहिए।
- बच्चे की संस्था-निर्भरता, अंतिम उपाय के रूप में मानी जानी चाहिए।
- बच्चे के सर्वश्रेष्ठ हित को सुरक्षित रखने के लिए बाल केन्द्रित नियोजन व क्रियान्वयन होना चाहिए।
- उच्च नैतिक आचरण वाले निपुण व कुशलकर्मियों को ही सेवाएं देने का अवसर मिलना चाहिए।
- स्थानीय व वैयक्तिक जरूरतों की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए, कार्यक्रमों में लचीलेपन व सेवाओं में परम्परा के पालन की गुजाइश।
- सरकार व शिष्ट समाज संगठनों के बीच सहभागिता।
- सभी स्तरों पर सुशासन, विश्वसनीयता एवं दायित्व बोध।

९. समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत किन बच्चों पर ध्यान दिया जाता है?

समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत आने वाले बच्चों को मोटे तौर पर चार तरह से देखा जा सकता है:-

(अ) सम्भाल व संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे

(ब) कानून से आरोपित बच्चे

(स) पीड़ित या गवाह के रूप में कानून के सम्पर्क में आए बच्चे और

(द) अन्य असुरक्षित बच्चे।

समेकित बाल संरक्षण योजना और किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत १८ वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति बच्चा है तथा वह इस योजना का लाभान्वित हो सकता है। विशेष मामलों में, बाद की सम्भाल कार्यक्रमों के अन्तर्गत १८ से २१ वर्ष के लोग भी, योजना के अधीन लाभान्वित हो सकते हैं।

(अ) सम्भाल व संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे

(क) वह बालक/बालिका जो बिना घर या निश्चित ठिकाने और जीवन निर्वाह के साधन के बिना पाया गया हो।

(ख) ऐसे व्यक्ति के साथ रहता हो (चाहे वह अभिभावक हो या नहीं) जिसने बच्चे को मारने या घायल करने की धमकी दी हो। उसने अन्य किसी बच्चे को मार दिया हो, उत्पीड़न किया हो या उपेक्षा की हो। उस धमकी के कारगर होने की आशंका हो। उससे बच्चे को मार डालने, उत्पीड़न या उपेक्षा का खतरा हो।

(ग) शारीरिक या मानसिक रूप से नि:शक्त बच्चा या असाध्य या मरणान्तक बीमारी से ग्रस्त बच्चा जिसको सम्भलने वाला कोई न हो।

(घ) ऐसे माता-पिता या अभिभावक से संरक्षित बच्चे जो शारीरिक या मानसिक रूप से अनुपयुक्त हों या जिनकी बच्चे को सम्भालने की सामर्थ्य न हो।

(ङ) बच्चे के माता-पिता या दोनों में से कोई एक न हो और उसको सम्भालने को कोई तैयार न हो। जिसके माता-पिता ने उसे घर से निकाल दिया हो। गुमशुदा या घर से भागा हुआ हो और उचित खोजबीन के बाद भी जिसके माता-पिता का पता न लगा हो।

(च) यौन उत्पीड़न या अवैध कार्यों में धकेले जाने के लिए उत्पीड़ित, प्रताड़ित या शोषित किया गया हो या ऐसा खतरा हो।

(छ) असुरक्षित पाया गया हो या जिसे नशे या अवैध व्यापार में लगाने की आशंका हो।

(ज) जिसे अनुचित लाभ के लिए उत्पीड़ित किया गया हो या उत्पीड़ित किया जाने वाला हो।

(झ) किसी सशस्त्र संघर्ष, नागरिक अव्यवस्था या प्राकृतिक आपदा का शिकार हो।

(ब) कानून से आरोपित बच्चा या किशोर

वह व्यक्ति जिस पर किसी अपराध का आरोप लगा हो और जिसने अपराध के दिन तक १८ वर्ष की उम्र पूरी न की हो-कानून से आरोपित बच्चा या किशोर है। किशोर न्याय अधिनियम धारा-२ खण्ड-१ में कानून से आरोपित बच्चे को "विधि से संघर्षरत किशोर" कहा गया है।

(स) कानून के सम्पर्क में बच्चा

वह बच्चा या किशोर जो किसी वाद में पीड़ित होने या गवाह होने या अन्य किसी परिस्थिति में फँसकर, कानून की पहुँच में आया है, भी समेकित बाल संरक्षण योजना से सहायता पा सकता है।

(द) अन्य असुरक्षित बच्चा

समेकित बाल संरक्षण योजना अन्य असुरक्षित बच्चों को भी सम्भाल, पुनर्वास, बचाव व कानूनी सेवाएं देती हैं। अन्य असुरक्षित बच्चों में जोखिम में फंसे परिवारों के बच्चे, प्रवासी परिवारों के बच्चे, अत्यन्त निर्धनता में जी रहे परिवारों के बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ी जातियों के बच्चे, घुमक्कड़ जातियों के बच्चे, भेदभाव के शिकार परिवारों के बच्चे, अल्प संख्यक बच्चे, एचआईवी/एड्स से ग्रसित या प्रभावित बच्चे, अनाथ, नशा पीड़ित, उत्पीड़कों के बच्चे, भिक्षावृत्ति में लगे बच्चे, अवैध व्यापार या यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चे, कैदियों के बच्चे, बेघर या मज़दूरी में लगे बच्चे शामिल किए जा सकते हैं। सिर्फ यह ही नहीं, कोई अन्य संकट ग्रस्त या जरूरतमंद बच्चे भी, समेकित बाल संरक्षण योजना के कार्य का विषय हो सकते हैं।

१०. समेकित बाल संरक्षण योजना के मुख्य घटक या सेवाएँ क्या हैं?

समेकित बाल संरक्षण योजना में निर्धारित सेवाओं को मौटे रूप में तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है ये हैः-

(अ) सम्भाल, सहयोग और पुनर्वास सेवाऐं

(ब) वैधानिक सहयोग निकाय सेवाएँ

(स) अन्य गतिविधियाँ

(अ) सम्भाल, सहयोग और पुनर्वास सेवाएँ

- चाइल्ड लाइन १०९८ (संकट में मदद के लिए नि:शुल्क फोन पर उपलब्ध सेवा),
- शहरी व अर्द्ध-शहरी इलाकों में, जरूरत मंद बच्चों के लिए आश्रय स्थल,
- प्रायोजन, पालन-पोषण-देखभाल, दत्तक ग्रहण एवं बाद की सम्भाल,
- निम्नलिखित संस्थानिक सेवाओं को सहयोग।
- **आश्रय गृह** - किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत एक जिले या जिलों के समूह में, सम्भाल व संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए अस्थायी दिन भर का या आवसीय संभाल गृह चलाया जाता है। समेकित बाल संरक्षण योजना इसके लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है।
- **बाल गृह** - किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत एक जिले या जिलों के समूह में चलाया जाने वाला आवसीय स्थल है। इसमें सम्भाल व संरक्षण की जरूरत वाले, उन बच्चों को रखा जाता है जिन्हें बाल कल्याण समिति भेजती है और जिनकी जाँच की जा रही होती है या जिन्हें बाद की सम्भाल या पुनर्वास की जरूरत होती है। बालगृह के लिए, समेकित बाल संरक्षण योजना द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- **परिवीक्षा गृह** - किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत एक जिले या जिलों के समूह में परिवीक्षा गृह चलाया जाता है। इसमें कानून से आरोपित बच्चों को जाँच के दौरान अस्थायी आवासीय सम्भाल व संरक्षण के लिए रखा जाता है। किशोर न्याय बोर्ड, परिवीक्षा गृह में बच्चों को भेजता है। समेकित बाल संरक्षण योजना-परिवीक्षा गृह के संचालन का व्यय भार उठाती है।
- **विशेष गृह** - विशेष गृह का संचालन एक जिले या जिला समूह में किया जाता है। किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत इसमें कानून से आरोपित उन बच्चों को लम्बी अवधि के लिए रखा जाता है जिन्हें किशोर न्याय बोर्ड भेजता है। समेकित बाल संरक्षण योजना, विशेष गृह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है।

विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए विशेषकृत सेवाएँ–

समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत एचआईवी/एड्स प्रभावित, मानसिक व शारीरिक रूप से नि:शक्त, उत्पीड़न के शिकार, आदि बच्चों को विशेषीकृत संस्थागत सम्भाल व उपचार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह सेवा, ऊपर बताये गए विभिन्न गृहों के साथ अलग भवनों या कमरों में उपलब्ध कराई जाती है। आवश्यकानुसार अलग स्थलों व अलग भवनों का भी प्रबंध किया जाता है।

आवश्यकता आधारित या नवाचार हस्तक्षेप के लिए सामान्य सहायता–

कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए, किसी भी जिले या शहर में किसी आवश्यकता आधारित या नवाचार कार्यक्रम के लिए, समेकित बाल संरक्षण योजना आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है।

(ब) वैधानिक सहयोग निकाय सेवाएँ

समेकित बाल संरक्षण योजना, किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत गठित वैधानिक निकायों को आर्थिक सहयोग देती हैं-

- बाल कल्याण समितियों (सम्भाल व संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए),
- किशोर न्याय बोर्ड (कानून से आरोपित बच्चों/किशोरों के लिए),
- विशेष किशोर पुलिस इकाइयाँ।

(स) अन्य गतिविधियाँ

- परामर्श सेवाओं के सशक्तीकरण के लिए मानव संसाधन विकास (राष्ट्रीय जन सहयोग व बाल विकास संस्थान द्वारा)
- प्रवर्तन अधिकारियों का प्रशिक्षण एव क्षमता संवर्धन (राष्ट्रीय जन सहयोग व बाल विकास संस्थान द्वारा),

- पैरवी, जनशिक्षा और संचार (राज्य बाल संरक्षण समिति, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी और जिला बाल कल्याण समिति द्वारा),
- ज्ञान-आधार को मजबूत करना,
- शोध एवं दस्तावेजीकरण (राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, राज्य बाल संरक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण समिति और राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी द्वारा),
- बच्चों की सम्पूर्ण सूचना पद्धति (वेब आधारित बाल संरक्षण सूचना पद्धति एवं गुमशुदा बच्चों की वेबसाइट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा),
- केन्द्र, राज्य एवं जिला स्तर पर निगरानी,
- मूल्यांकन

११. समेकित बाल संरक्षण योजना का क्रियान्वयन ढाँचा क्या है?

समेकित बाल संरक्षण योजना का क्रियान्वयन, अभियान के तरीके से करने की भावना से केन्द्र से जिला स्तर का क्रियान्वयन ढाँचा तैयार किया गया है, जो इस प्रकार है-

केन्द्रीय स्तर पर

- केन्द्रीय परियोजना सहयोग इकाई जो भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मिशन निदेशक के अधीन कार्यरत है।
- बाल संरक्षण विभाग जो राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान में सक्रिय है।
- केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी।
- चाइल्ड लाइन इण्डिया फाण्डेशन, मुम्बई।

क्षेत्रीय स्तर पर

- राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के बेंगलुरू, गुवाहाटी, इन्दौर और लखनऊ स्थित चार क्षेत्रीय केन्द्र।
- चाइल्ड लाइन इण्डिया फाण्डेशन के नई दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई स्थित चार क्षेत्रीय केन्द्र।

राज्य स्तर पर

- राज्य बाल संरक्षण समिति।
- राज्य परियोजना सहयोग इकाई।
- राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी।

जिला स्तर पर

- जिला बाल संरक्षण समिति।
- विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी।
- बाल कल्याण समिति (किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत गठित)।
- किशोर न्याय बोर्ड (किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत गठित)।

१२. समेकित बाल संरक्षण योजना का निगरानी ढाँचा क्या है?

इस योजना में केन्द्र, राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर पर निर्धारित मनदण्डों का समूह, मानकीकृत प्रपत्र और प्रमाण आधारित निगरानी का ढ़ाँचा तैयार किया गया है, जो इस प्रकार है:-

स्तर	ढाँचा
केन्द्र	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राज्य	समेकित बाल संरक्षण योजना से सम्बद्ध राज्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य बाल संरक्षण समिति।
जिला	जिला प्रमुख अध्यक्षता और जिला कलेक्टर की सह अध्यक्षता में कार्यरत जिला बाल संरक्षण समिति।
ब्लॉक	ब्लॉक बाल संरक्षण समिति, राजस्थान में पंचायत समिति प्रधान, इसके अध्यक्ष और ब्लॉक विकास अधिकारी, सदस्य सचिव होंगे।
ग्राम पंचायत / ग्राम	ग्राम पंचायत/ग्राम बाल संरक्षण समिति में सरपंच अध्यक्ष एवं पचांयत सचिव सदस्य सचिव होंगे।

१३. राजस्थान में राज्य बाल संरक्षण समिति के सदस्य कौन हैं?

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य बाल संरक्षण समिति का ढाँचा इस प्रकार बनाया गया है:-

क्र.सं.	घटक	पद
१.	प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय व अधिकारिता	अध्यक्ष
२.	आयुक्त/निदेशक, बाल अधिकार	सदस्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
३.	प्रमुख शासन सचिव, गृह	सदस्य
४.	प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास	सदस्य

क्र.सं.	घटक	पद
५.	प्रमुख शासन सचिव, श्रम व रोजगार	सदस्य
६.	प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा	सदस्य
७.	प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	सदस्य
८.	प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	सदस्य
९.	प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	सदस्य
१०.	प्रमुख शासन सचिव, आदिवासी कल्याण	सदस्य
११.	प्रमुख शासन सचिव, विधि	सदस्य
१२.	प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण	सदस्य
१३.	प्रमुख शासन सचिव, वित्त	सदस्य
१४.	प्रमुख शासन सचिव, योजना	सदस्य
१५.	प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा	सदस्य
१६.	क्षेत्रीय निदेशक, नेहरू युवा केन्द्र, राजस्थान	सदस्य
१७.	अध्यक्ष,राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	सदस्य
१८.	बाल संरक्षण विशेषज्ञ, यूनिसेफ	सदस्य
१९.	दो प्रतिनिधि,बाल संरक्षण गैर सरकारी संगठन / संस्थान	मनोनीत सदस्य
२०.	एक प्रतिनिधि, बच्चों से सम्बन्धित शैक्षणिक पृष्ठभूमि से	मनोनीत सदस्य

१४. राज्य बाल संरक्षण समिति के क्या कार्य है?

राज्य बाल संरक्षण समिति को जो काम सौंपे गए हैं, उनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं:-

- राज्य स्तर पर समेकित बाल संरक्षण योजना, किशोर न्याय अधिनियम, हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं गुजारा भत्ता अधिनियम, बाल अधिनियम श्रम, आदि बाल संरक्षण से संबंधित कानूनों, नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, निरीक्षण और निगरानी करना।
- किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत बच्चों की सम्भाल व संरक्षण के लिए, संस्थागत या गैर संस्थागत गतिविधियां चलाने वालों के लिए अनिवार्य अनुज्ञा की शुरूआत और सुनिश्चितता करना।
- संस्थागत सम्भाल और परिवार-आधारित गैर संस्थागत सम्भाल में शामिल सभी बच्चों का गणना आधार तैयार करना व उसे अद्यतन करते रहना।
- भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से आंवटित धनराशि प्राप्त करना, उसे निदेशालय, जिला बाल संरक्षण समिति व गैर सरकारी संगठनों तक पहुँचाना और हिसाब रखना।
- जिला बाल संरक्षण समितियों का गठन, सहयोग और कार्य की निगरानी करना तथा उन्हें समेकित बाल संरक्षण योजना व अन्य स्रोतों से प्राप्त सहायता के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करना।
- बाल संरक्षण मामलों पर, सभी सरकारी विभागों और स्वैच्छिक संगठनों से समन्वय व जुड़ाव रखना।
- आवश्यकता आधारित शोध एवं दस्तावेजीकरण ताकि बच्चों की स्थितियों, पद्धतियों और प्रवृत्तियों की अद्यतन जानकारियाँ, कार्यक्रमों के विकास में मददगार हो सकें।
- बाल संरक्षण तंत्र में कार्यरत सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मियों का प्रशिक्षण एवं क्षतमावर्धन करना।

- कार्यक्रम क्रियान्वयन व आवंटित राशि के उपयोग पर हर तीन माह में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को रिपोर्ट देना।
- भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग और विभिन्न राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों की बाल संरक्षण समितियों से सम्पर्क रखना।
- राज्य बाल संरक्षण समिति और परियोजना स्वीकृति समिति को कार्यालय सेवाए उपलब्ध कराना।
- राज्य में राज्य बाल संरक्षण समिति की गतिविधियों में सहयोग करने और आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय एवं अवित्तीय संसाधन जुटाना।
- राज्य में समेकित बाल संरक्षण योजना के कार्यों को बेहतर बनाने के सुझाव आमंत्रित करने के लिए, प्रशिक्षण कार्यशाला, सभा, वार्ता, संगोष्ठी, नीति पुनरावलोकन अध्ययन या सर्वेक्षण और अन्तर्राज्य अध्ययन भ्रमण विनिमय, आदि आयोजन करना।

१५. राज्य परियोजना सहयोग इकाई के क्या कार्य हैं:–

राज्य परियोजना सहयोग इकाई, पूरी तरह, केन्द्रीय परियोजना सहयोग इकाई के निर्देशन में काम करती है। केन्द्रीय परियोजना सहयोग इकाई एवं राज्य केन्द्रीय परियोजना सहयोग इकाई, हर राज्य में योजना के सही क्रियान्वयन होने तक, कार्य करेंगी। समेकित बाल संरक्षण योजना के अनुसार, राज्य परियोजना सहयोग इकाई के विशिष्ट दायित्व इस प्रकार हैं:-

- राज्य में समेकित बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन की शुरूआत के लिए कार्य योजना बनाना।
- योजना के अन्तर्गत वांछित बाल संरक्षण ढाँचों व तंत्रों, जैसे राज्य बाल संरक्षण समिति, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, जिला बाल संरक्षण समिति, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी, राज्य बाल संरक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण समिति, आदि के गठन की राह बनाना।
- राज्य में बाल संरक्षण संस्थानों व जिलों में उनके काम के बारे में सूचना संग्रहण, वर्गीकरण और अद्यतनीकरण करना।

- जिला बाल सरंक्षण समितियों की मदद से राज्य स्तरीय बाल सूचना पद्धति और गुमशुदा बच्चों के बारे में वेबसाइट बनाना और चलाना।
- समेकित बाल विकास योजना के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए चयनित जिलों में आधारभूत सर्वेक्षण कराना ताकि क्रियान्वयन में सुधार किया जा सके।
- राज्य सरकार के सम्बद्ध विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं संवेदनीकरण के लिए आयोजन करना।
- समेकित बाल संरक्षण योजना के बारे में जन जागरण सामग्री का निर्माण एवं प्रसार करना।
- अच्छे अनुभवों का दस्तावेजीकरण एवं प्रसार करना।
- राज्य में समेकित बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन की निगरानी व मूल्यांकन करना।

१६. राजस्थान में राज्य परियोजना सहयोग इकाई के सदस्य/कर्मी कौन है?

समेकित बाल संरक्षण योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में, केन्द्रीय परियोजना सहयोग इकाई का सहयोग करने के लिए, राज्य परियोजना सहयोग इकाई के गठन का प्रस्ताव किया गया है। यह इकाई, सीधी केन्द्रीय परियोजना सहयोग इकाई और भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्थित मिशन निदेशक को रिपोर्ट करती है।

राजस्थान में राज्य परियोजना सहयोग इकाई एक कार्यक्रम प्रबन्धक के नेतृत्व में निपुण लोगों के छोटे समूह के रूप में काम करती है और राज्य सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत बाल अधिकार निदेशक के साथ मिलकर कार्य करती है।

१७. राज्य बाल संरक्षण समिति की क्या भूमिका है?

हर राज्य में समेकित बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए सम्बद्ध शासन सचिव की अध्यक्षता में राज्य बाल संरक्षण समिति का गठन प्रस्तावित है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा,श्रम, आवासन, न्याय, गृह, रेल्वे, आदि सम्बद्ध सरकारी विभागों, पंचायत व नगरीय शासन निकायों तथा स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। यह समिति क्रियान्वयन के दौरान विकसित मानदंडों के आधार पर, योजना की निगरानी करती है।

१८. राजस्थान में जिला बाल संरक्षण समिति के सदस्य/कर्मी कौन होते हैं?

जिला बाल संरक्षण समिति का अध्यक्ष, जिला प्रमुख और सह अध्यक्ष जिला दण्डनायक होता है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, आवासन, न्याय, गृह, रेल्वे आदि विभागों, स्थानीय पंचायत व शहरी निकायों तथा स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं।

१९. जिला बाल संरक्षण समिति के क्या कार्य हैं?

हर जिले में जिला बाल संरक्षण समिति का गठन किया जाता है। इस पर, समेकित बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन की निगरानी की जिम्मेदारी है। राजस्थान में, जिला बाल संरक्षण समिति के बजाय, जिला बाल संरक्षण इकाई का गठन किया गया है।

२०. राजस्थान में ब्लॉक बाल संरक्षण समिति के सदस्य/कर्मी कौन हैं?

राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज विभाग ने ४ दिसम्बर, २०१२ को एक अधिसूचना जारी कर, ब्लॉक बाल संरक्षण समिति के गठन की जरूरत बताई है। इसमें सम्बद्ध पंचायत समिति के प्रधान को अध्यक्ष और विकास अधिकारी को सदस्य सचिव बनाना निर्धारित है। अन्य सदस्यों में, ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों के अध्यक्ष, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई, ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा, श्रम व पुलिस विभाग के प्रतिनिधि और दो समुदाय या स्वैच्छिक ७०संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगें। इन दो में से एक महिला का होना जरूरी है। इनकी सदस्यता की अवधि तीन वर्ष है।

२१. राजस्थान में ब्लॉक बाल संरक्षण समिति के क्या कार्य हैं ?

राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास व पंचायतीराज विभाग की ४ दिसम्बर २०१२ की अधिसूचना के अनुसार, ब्लॉक बाल संरक्षण समिति को सौंपी गई जिम्मेदारियाँ इस प्रकार हैं :-

- विभिन्न सम्बद्ध विभागों के घनिष्ठ समन्वय से बाल संरक्षण कार्यों को प्रभावी बनाना।

- ब्लॉक में सम्भाल व संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों की पहचान करना और निरन्तर निगरानी के द्वारा विभिन्न गृहों, विद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं की सेवाओं में सुधार करना।
- ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति के जरिए, यह सुनिश्चित करना कि विभिन्न विभागों व संस्थाओं एवं बच्चों के विकास व संरक्षण के लिए चलाई जा रही योजनाएं व सेवाएँ, सभी जरूरतमंद बच्चों की पहुँच में हो।
- बच्चों से सम्बन्धित मामलों को बाल कल्याण समिति व विशेष किशोर, पुलिस इकाई, जैसेकि समुचित मंच के पास पहुँचाकर, बच्चों को हिंसा, उत्पीड़न,उपेक्षा और शोषण से बचाना।
- बाल अधिकारों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना और ब्लॉक के गॉव को बालमित्र गॉव बनाना।
- ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति के सुझावों एवं क्षेत्र के बच्चों की जरूरतों के आधार पर कार्य योजना बनाना।
- बलॉक बाल संरक्षण समिति, हर माह अपनी मीटिंग करेगी, कार्रवाई का रेकॉड रखेगी और जिला बालसंरक्षण इकाई को प्रस्तुत करेगी।
- समिति द्वारा लिया गया निर्णय तभी मान्य होगा जब वह कम से कम ५० प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति में पारित किया गया हो। समिति द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय या उठाया गया कदम सदस्यों द्वारा पहले या बाद में पारित किया जाना जरूरी है।
- ब्लॉक बाल संरक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई के सम्पूर्ण मार्ग दर्शन एवं निगरानी में काम करेगी। सामाजिक, न्याय व अधिकारिता विभाग, इसका प्रशासनिक विभाग होगा।

२२. समेकित बाल संरक्षण योजना की निगरानी का अन्तिम जमीनी तन्त्र क्या है?

समेकित बाल संरक्षण योजना के अनुसार, सबसे जमीनी इकाई के रूप में, हर गाँव में ग्राम बाल संरक्षण समिति होगी। उस गॉव की ग्राम पंचायत के सरपंच, इसके अध्यक्ष होंगे। इसमें बच्चों के दो प्रतिनिधि, जिला बाल संरक्षण समिति, स्कूल शिक्षक, ए.एन.एम., स्वैच्छिक संगठन के प्रतिनिधि और गणमान्य ग्रामजन सदस्य होंगे। यह समिति, ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण सेवाओं की निगरानी करेगी, उनमें सुधार के लिए अपने सुझाव देगी।

२३. राजस्थान में, समेकित बाल संरक्षण योजना का सबसे निचला निगरानी निकाय कौनसा है?

राजस्थान में ग्राम बाल संरक्षण समिति के बजाय, ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति को, समेकित बाल संरक्षण योजना का सबसे निचला निगरानी निकाय माना गया है। इसका ढाँचा व कार्य, ग्राम बाल संरक्षण समिति के समान ही है। ग्राम पंचायत के सरपंच, इसके अध्यक्ष और सचिव, पदेन सचिव होंगे। पंचायत के सभी वार्ड पंच, सरकारी प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक, एक बालिका सहित बच्चों के दो प्रतिनिधि (प्रधानाध्यापक द्वारा नामित), जिला बाल संरक्षण इकाई का एक सदस्य, सम्बन्धित पुलिस थाने का किशोर बाल कल्याण अधिकारी, विद्यालय प्रबन्धन समिति का अध्यक्ष और गांव के दो गणमान्य प्रतिनिधि या स्वैच्छिक संगठन के प्रतिनिधि, सदस्य होंगे।

२४. राजस्थान में ग्राम बाल संरक्षण समिति या ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति की क्या भूमिका है?

राजस्थान में, समेकित बाल संरक्षण योजना के बिल्कुल जमीनी पायदान के रूप में, ग्राम बाल संरक्षण समिति के स्थान पर, ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति का प्रावधान किया गया है। राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभाग की अधिसूचना- दिनांक ४ दिसम्बर २०१२ में, ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति के कार्य, इस प्रकार बताए गए हैं :-

- पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण कार्यक्रमों एवं सेवाओं का समन्वय, निरीक्षण और निगरानी के जरिए, क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- पंचायत क्षेत्र में सम्भाल व संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों की पहचान करना और निरन्तर निगरानी के माध्यम से विभिन्न गृहों, विद्यालयों, आदि संस्थानों की सेवा में सुधार करना।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी जरूरतमंद बच्चों तक उनके संरक्षण एवं विकास के लिए उपलब्ध सेवाओं और योजनाओं का लाभ पहुँचे।

- मामलों को, बाल कल्याण समिति, विशेष किशोर पुलिस इकाई, आदि उचित मंच तक पहुँचा कर, बच्चों की उपेक्षा, उत्पीड़न, शोषण और हिंसा से बचाना।

- बाल अधिकारों पर जन-जागरण करना और पंचायत क्षेत्र में बाल मित्र गाँव बनाना।

- ग्राम पंचायत, इस समिति के प्रभावी कामकाज के लिए सभी तरह का सहयोग करेगी और बाल संरक्षण सम्बन्धी कार्यों में, इसके सुझावों को प्राथमिकता देगी।

- समिति हर माह अपनी सभा करेगी, कार्रवाई का रेकॉर्ड रखेगी और उसे ब्लॉक बाल संरक्षण समिति व जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रस्तुत करेगी।

- समिति का कोई भी निर्णय सभा में ५० प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति में पारित किया जाएगा। इसका हर एक निर्णय या कार्रवाई, सदस्यों द्वारा, पहले या बाद में पारित किया जाना जरूरी है।

- ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति ब्लॉक बाल संरक्षण समिति और जिला बाल संरक्षण इकाई के पूर्ण मार्गदर्शन व निरीक्षण में काम करेगी। राज्य सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा।

२५. जिला बाल संरक्षण समिति क्या है?

जिला बाल संरक्षण समिति, समेकित बाल संरक्षण का जिला स्तरीय क्रियान्वयन निकाय है। जिला प्रमुख इसका अध्यक्ष और जिला दण्डनायक, सह अध्यक्ष होता है। अन्य सदस्यों में, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी(संस्थागत सम्भाल), संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत सम्भाल), विधि व परिवीक्षा अधिकारी, परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्त्ता, लेखापाल, सहायक प्रगणक, विश्लेषक आदि समूह के सदस्य होते है यह सदस्या अनुबंध आधारित है। समिति जिला दण्डनायक के सम्पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण एवं निगरानी में होगी। वहीं जिला स्तर पर समेकित बाल संरक्षण योजना एवं बाल संरक्षण सम्बन्धी अन्य नीतियों व कायक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन व समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा।

२६. जिला बाल संरक्षण इकाई क्या है और राजस्थान में इसके सदस्य व कर्मचारी कौन हैं?

जिला बाल संरक्षण इकाई, राजस्थान में जिला बाल संरक्षण समिति का विकल्प है। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति ने २५ जून २०११ को अधिसूचना जारी कर, जिला बाल संरक्षण समिति की भूमिका निभाने और जिला स्तर पर समेकित बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला बाल संरक्षण, इकाई का गठन किया। यह कलेक्टर/जिला दण्डनायक के अधीन काम करती है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी- जिला बाल संरक्षण अधिकारी, इसका कार्यकारी प्रमुख होता है। वे सभी लोग जो जिला बाल संरक्षण समिति में नामित किए जाते हैं, जिला बाल संरक्षण इकाई में सदस्य होते हैं।

२७. जिला बाल संरक्षण इकाई के क्या कार्य हैं?

समेकित बाल संरक्षण योजना में जो काम, जिला बाल संरक्षण समिति को सौंपे गए हैं, वे सभी राजस्थान में जिला बाल संरक्षण इकाई को दिए गए हैं। इसका मुख्य काम, जिला स्तर पर सभी बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण कार्यों का क्रियान्वयन और समन्वय है। ऐसा माना गया है कि जिला बाल संरक्षण इकाई, विशेष रूप से, आगे बताए गए काम करेगी:-

- बाल संरक्षण कानूनों, योजनाओं और बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना २००५ के बाल संरक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग देगी। यह अपने कार्य में राष्ट्रीय व राज्य की प्राथमिकताओं, नियमों व दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
- यह सुनिश्चित करेगी कि सम्भाल की जरूरत वाले हर बच्चे के लिए व्यक्तिगत सम्भाल योजना हो और उसकी समयानुसार समीक्षा हो। योजना के क्रियान्वयन की निगरानी भी करेगी।
- समन्वित बाल विकास योजना, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी, बाल संरक्षण में लगे गैर सरकारी संगठनों और पंचायत व शहरी शासन इकाईयों के सहयोग से जोखिम में फँसे परिवारों एवं सम्भाल व संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों की पहचान करना।

- कठिनाई में फँसे बच्चों की संख्या का अनुमान करना और उनका गणना- आधार तैयार करना ताकि पद्धतियाँ और प्रवृत्तियों की निगरानी की जा सके।

- सन्दर्भ निर्देशिका बनाने के लिए, जिले की बच्चों सम्बन्धी सेवाओं व सेवा प्रदाताओं की सूचना एकत्र करना।

- समेकित बाल संरक्षण योजना के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए विश्वसनीय स्वैच्छिक संगठनों की पहचान करना और उन्हें सहयोग करना।

- प्रायोजन, पालन-पोषण, देखभाल, दत्तक ग्रहण और बाद की सम्भाल, जैसी परिवार आधारित गैर संस्थागत सेवाओं को बढ़ावा देना।

- हर जिले या जिला समूह में किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, विशेष किशोर पुलिस इकाई, आदि ढाँचागत तन्त्र के गठन में सहयोग करके, किशोर न्याय अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

- कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण समितियों का गठन करवाना।

- जरूरतमंद बच्चों को, उनके परिवारों में फिर से बसाना या अल्प अथवा दीर्घकालीन पुनर्वास के लिए प्रयोजन, सगोत्रीय सम्भाल, अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण, पालन-पोषण-देखभाल, अन्तर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण या संस्थाओं में स्थापन में पदद करना।

- हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं गुजारा भत्ता अधिनियम १९५६, अभिभावक व संरक्षित अधिनियम १८९०, बाल श्रमिक (निषेध व नियमन) अधिनियम १९८६, बाल विवाह निषेध अधिनियम, अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम १९८६, गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंगचयन रोकथाम) अधिनियम १९९४, आदि और बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए आने वाले अन्य कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग करना।

- शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, प्राथमिक नगरीय सेवाएं, पिछड़ी जातियाँ, व अल्प संख्यक, युवा सेवाएँ, पुलिस, न्याय, श्रम आदि बाल संरक्षण से जुडे सभी सरकारी विभागों में तथा राज्य एड्स नियंत्रण समिति, जैसी संस्थानों में अन्तर्क्षेत्रीय सम्पर्क बनाना व बढ़ाना।

- बाल अधिकार व बाल संरक्षण कार्यो में लगे स्वैच्छिक संगठनों से समन्वय व सम्बन्ध बनाना।

- जिले में समेकित बाल संरक्षण योजना कार्यों की प्रभावी निगरानी के लिए संकेतक व उपकरण विकसित करना।

- जिले में बच्चों को आवसीय सुविधा उपलब्ध करा रही संस्थाओं व एजेंसियों का निरीक्षण व निगरानी करना। बाल संरक्षण कार्यों में संलग्न सभी सरकारी व गैर सरकारी लोगों को प्रशिक्षण देना व उनका क्षमता संवर्धन करना ताकि बच्चों को उपलब्ध सेवाओं में निरन्तर सुधार हो।

- बाल संरक्षण कार्यों में युवा स्वयं सेवकों को जोड़ना व प्रोत्साहन देना।

- बाल संरक्षण गतिविधियों में प्रगति व उपलब्धियों के प्रसार और समीक्षा के लिए जिला स्तरीय चाइल्ड लाइन, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी, विभिन्न गृहों के अधीक्षक, स्वैच्छिक संगठनों व जनता के लोगों के साथ तिमाही बैठक करना।

- अन्य जिलों की जिला बाल संरक्षण समिति/इकाई, आदि संस्थाओं से अनुभवों व सुविधाओं का आदान-प्रदान करना।

- जिला बाल संरक्षण समिति को कार्यालयीय सहयोग देना।

- जिला स्तर पर संस्थागत और गैर संस्थागत सम्भाल के अन्तर्गत मौजूद बच्चों का गणना-आधार तैयार करना ताकि देशभर के सम्भाल व संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों का कारगर गणनाधार तैयार करने में मदद मिल सके।

२८. समेकित बाल संरक्षण योजना में बाल कल्याण समिति के लिए क्या प्रावधान है?

समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत, हर जिले में बाल कल्याण समिति के गठन तथा प्रभावी कार्य संचालन के लिए राज्य सरकार को समुचित ढ़ाँचा व आर्थिक सुविधा दी जाएगी। योजना की ओर से बाल कल्याण समिति के लिए दो प्रकार की सहायता दी जाती है।

(१) निर्माण एवं रख-रखाव सहायता- इसके अन्तर्गत योजना द्वारा राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश में बाल कल्याण समिति के नए कार्यालय भवन के निर्माण के लिए सहायता दी जाती है।

(२) रख रखाव सहायता - इसके अन्तर्गत राज्य सरकार के बाल कल्याण समिति के दिन-प्रतिदिन खर्चों के लिए मदद दी जाती है।

किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार बाल कल्याण समिति को अपनी सभा बालगृह परिसर में करनी चाहिए।

२९. समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत बाल कल्याण समिति के क्या कार्य है?

किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार, हर जिले में एक बाल कल्याण समिति की स्थापना करना जरूरी है जो सम्भाल व संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों की सम्भाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के मामलों को निपटाए तथा उनकी बुनियादी जरूरतों व अधिकारों के संरक्षण पर ध्यान दे। समेकित बाल विकास योजना के अनुसार, बाल कल्याण समिति के मुख्य कार्यों में पालन-पोषण-देखभाल, प्रायोजन, दत्तक ग्रहण, दत्तक ग्रहण के लिए बच्चे को कानूनी रूप से स्वतन्त्र घोषित करना, व्यक्तियों व संस्थाओं को उपयुक्त घोषित करना तथा विशेषीकृति दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा प्रस्तावित व्यक्तिगत बाल सम्भाल योजना को स्वीकृत करना है।

३०. समेकित बाल विकास योजना के तहत किशोर न्याय बोर्ड के क्या कार्य हैं?

किशोर न्याय अधिनियम में यह प्रावधान गया है कि कानून द्वारा आरोपित बच्चों/किशोरों के मामलों को सुलझाने के लिए, हर जिले में एक किशोर न्याय बोर्ड होना जरूरी है। हर जिले में किशोर न्याय बोर्ड के गठन और उसके प्रभावी ढ़ंग से काम में मदद देने लिए, समेकित बाल संरक्षण योजना द्वारा राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार को समुचित ढ़ाँचा और आर्थिक सहयोग देने की व्यवस्था की गई है। योजना द्वारा किशोर न्याय बोर्ड के लिए दो तरह की सहायता तय की गई है:-

(१) निर्माण व रख-रखाव सहायता - इसके अन्तर्गत किशोर न्याय बोर्ड को अपना नया कार्यालय भवन बनाने के लिए सहायता दी जाती है।

(२) रख-रखाव सहायता- इस मद के अन्तर्गत किशोर न्याय बोर्ड के दैनिक खर्चों का प्रबन्ध किया जाता है।

३१. समेकित बाल संरक्षण योजना में, विशेष किशोर पुलिस इकाई के क्या दायित्व तय किए गए हैं?

किशोर न्याय अधिनियम में, बच्चों व पुलिस के बीच के व्यव्हार में समन्वय कायम करने और उसको बेहतर बनाने के लिए, हर जिले व शहर में विशेष किशोर पुलिस इकाई रखना ज़रूरी बताया गया है। हर थाने में, एक पुलिस अधिकारी को किशोर/बाल कल्याण अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है। जिला या शहर स्तर पर इन, किशोर/बाल कल्याण अधिकारियों से मिलकर ही विशेष किशोर पुलिस इकाई गठित होती है।

वैधानिक प्रावधान के अनुसार, समेकित बाल संरक्षण योजना की ओर से, हर विशेष किशोर पुलिस इकाई को दो वैतनिक सामाजिक कार्यकर्त्ता प्रदान किए जाते हैं, जो इसके काम को आगे बढ़ाते हैं। जिला बाल संरक्षण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई (जो भी अधिकृत की गई हो), इन सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति करती है और उन्हें आवश्यकतानुसार विशेष किशोर पुलिस इकाई में प्रतिनियुक्त करती है। इन दो सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की बाल संरक्षण में विशेषज्ञता और रूचि होनी चाहिए। इनमें से एक महिला होना ज़रूरी है। इन दोनों सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का वेतन, जिला बाल संरक्षण इकाई में से आता है।

३२. समेकित बाल संरक्षण योजना में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है?

देश के करोड़ों बच्चे, कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं। सरकार भी यह मानती है कि उनकी स्थितियों में सुधार करना, अकेले सरकार के बस की बात नहीं है। इसलिए समेकित बाल संरक्षण योजना सरकार और शिष्ट समाज संगठनों की सहभागिता में कार्यरत है। इसमें विभिन्न सरकारी विभागों, गैर सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों, सामुदायिक संगठनों, शिक्षाविदों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से परिवारों व बच्चों सहित ज्यादा से ज्यादा हितसाधकों की भागीदारी की बात सोची गई है ताकि सबके सहयोग से, देश के बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध हो सके।

योजना में, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को सीमित नहीं किया गया है, फिर भी माना गया है कि वेः-

(अ) देश में बच्चों के संरक्षण के लिए पक्षधर समूह बनाए और बाल संरक्षण नीति व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में प्रहरी की भूमिका निभाऐं।

(आ) जरूरतमंद बच्चों की पहचान, परामर्श, सम्भाल व पुनर्वास के लिए जीवन्त, जिम्मेदार और बच्चों के लिए मित्रतापूर्ण सेवाएं दें।

(इ) जागरूकता प्रसार और क्षमता संवर्धन के लिए तकनीकी सहयोग दें।

(ई) बाल संरक्षण के लिए नए ढंग से सोचें और नवाचारी परियोजनाएँ चलाऐं।

(उ) गाँव, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर बाल संरक्षण समितियों को तकनीकी व क्षमता संवर्धन सहयोग उपलब्ध कराएं।

(ऊ) निगरानी करें।

योजना के अन्तर्गत, सरकार द्वारा, इन सभी कार्यों के लिए आर्थिक सहयता स्वीकृत की जा सकती है।

३३. समेकित बाल संरक्षण योजना में संचार माध्यमों की क्या भूमिका है?

समाज को बेहतर बनाने के प्रयासों में लगे संचार माध्यम बाल अधिकारों और बाल संरक्षण मामलों को संवेदनापूर्वक उठा सकते हैं तथा संवाद को जीवन्त बनाए रख सकते हैं। वे योजना के क्रियान्वयन और प्रभावों पर पैनी निगाह रख सकते हैं। साथ ही कमियों व उपलब्धियों को सार्वजनिक करके बाल संरक्षण कार्यों को गति दे सकते हैं।

३४. समेकित बाल संरक्षण योजना में शैक्षणिक या शोध संस्थानों का क्या स्थान हैं?

शैक्षणिक, शोध और प्रशिक्षण संस्थान, देश में बच्चों की स्थिति, कठिनाइयों वे समाधान कार्यों पर शोध, बाल संरक्षण कार्यों में लगे मानव संसाधन के क्षमता संवर्धन और निपुण लोगों का दल-बल तैयार करने में मदद कर सकते हैं। वे विभिन्न स्तरों पर छात्रों, शिक्षकों, प्रशिक्षकों और स्वयं सेवकों और कर्मियों के लिए पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं। इन संस्थानों की वार्ता, संगोष्ठी, कार्यशाला और प्रकाशन, बाल संरक्षण विषयों के महत्व को बहुआयामी और सर्वव्यापी बना सकते हैं।

बाल संरक्षण विषयों पर संख्यात्मक और तथ्यात्मक सूचनाओं की कमी को पूरी करने में, इन संस्थाओं की बड़ी भूमिका हो सकती है। शैक्षणिक व शोध संस्थानों द्वारा तैयार किया जाने वाला गणनाधार (डाटाबेस) अधिक कारगर योजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन का आधार हो सकता है।

३५. समेकित बाल संरक्षण योजना के साथ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का क्या संबंध हैं?

राष्ट्रीय बाल अधिकार सरंक्षण आयोग, देश का सर्वोच्च वैधानिक स्वतंत्र अधिकरण है जो यह सुनिश्चित करने में लगा है कि सारे कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र, देश के संविधान और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति की भावना के अनुरूप बाल अधिकार दृष्टिकोण को केन्द्र में रखें। आयोग को बाल अधिकार हनन के सभी मामलों की निगरानी और जाँच का अधिकार है। समेकित बाल संरक्षण योजना भी, बच्चों से संबंधित है। इसलिए आयोग को, उसमें दखल, निगरानी, खोज, शोध का पूर्ण अधिकार है। आयोग आवश्यकतानुसार, इस योजना या इसके क्रियान्वयन ढाँचे में बदलाव कर सकता है। बच्चे या उनके प्रतिनिधि, इस योजना, या अन्य किसी समस्या को लेकर, आयोग के पास पहुँच सकते हैं।

३६. क्या समेकित बाल संरक्षण योजना में, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की भी कोई भूमिका है?

इस योजना में, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की भूमिका, बिल्कुल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जैसी ही है।

३७. क्या समेकित बाल संरक्षण योजना में कोई जन समस्या निवारण तंत्र भी बनाया गया है?

समेकित बाल संरक्षण योजना में, समस्या निवारण के लिए कोई तंत्र नहीं बनाया गया है, लेकिन ग्राम स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक- ग्राम बाल संरक्षण समिति, ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति, ब्लॉक बाल संरक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण समिति, राज्य बाल संरक्षण समिति, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जैसे निगरानी तंत्र अभाव-अभियोग निवारण में मददगार हो सकते हैं। निगरानी के दौरान पायी जाने वाली कमियों की शिकायत व सुधार के सुझाव, उपयुक्त अधिकारियों तक पहुँचाये जा सकते हैं। योजना या उसके क्रियान्वयन में दिखाई देने वाली अनुपयुक्तता की सूचना राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी दी जा सकती है।

३८. समेकित बाल संरक्षण योजना में पंचायत राज संस्थाओं की क्या भागीदारी है?

जिला बाल संरक्षण समिति, ब्लॉक बाल संरक्षण समिति, ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति और ग्राम बाल संरक्षण समिति में पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को स्थान दिया गया है और अपेक्षा की गई है कि वे, योजना के अन्तर्गत बाल संरक्षण की विभिन्न गतिविधियों में तो सहयोग करें ही। निकटवर्ती निगरानी के द्वारा योजना एवं क्रियान्वयन की कमियों को भी सामने लाकर दूर करायें ताकि उनका लाभ ज़रूरतमंद बच्चों तक निर्बाध रूप से पहुँच सके। पंचायतराज संस्थाओं और उनके निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की सक्रिय भूमिका से ही बच्चों को संरक्षित व मैत्रीपूर्ण वातावरण मिलना सुनिश्चित हो सकता है।

३९. पालन-पोषण-देखभाल कार्यक्रम क्या है और किसी बच्चे को, इसमें कब और कैसे भेजा जाता है?

कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए पालन-पोषण-देखभाल गैर संस्थागत, परिवार आधारित और थोड़े समय का उपयुक्त कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चे को प्रायः अस्थायी तौर पर दूर के रिश्तेदारों या बिना रिश्ते वाले परिवार में रखा जाता है। परिवार का चयन, बाल कल्याण समिति करती है। इनमें वे बच्चे भेजे जाते हैं जिन्हें या तो बाद में अपने परिवार में शामिल किया जाता है या दत्तक ग्रहण कराया जाता है। जो बच्चे दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी रूप से मुक्त नहीं होते या जो माता-पिता की बीमारी, मृत्यु या अलगाव के कारण, पारिवारिक संभाल से वंचित होते हैं, वे भी पालन-पोषण-देखभाल के लिए उपयुक्त परिवार को सौंपे जाते हैं। बच्चे ऐसे परिवार में रूकने की अवधि का निर्धारण बच्चे की जरूरत के हिसाब से किया जाता है।

राजस्थान में पालन-पोषण-देखभाल कार्यक्रम, किशोर न्याय अधिनियम की धारा-४२, राजस्थान किशोर न्याय नियम ३४, ३५ व ३६ और समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत आता है। बाल कल्याण समिति स्वयं या विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी की मदद से व्यक्तिगत बाल सम्भाल योजना के आधार पर, उपयुक्त मामलों की पहचान करती है। इसके लिए परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्त्ता या वाद कार्यकर्त्ता की देखभाल में राजस्थान किशोर न्याय नियम फार्म-१७ पर आदेश जारी किया जाता है। इस आदेश की प्रतियाँ, आर्थिक सहयोग के लिए, जिला बाल संरक्षण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई को और अनुगमन व निगरानी के लिए, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी को भी जारी की जाएँगी। परिवीक्षा अधिकारी या विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी, निश्चित समय पर बाल कल्याण समिति और जिला बाल संरक्षण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रगति से अवगत कराते रहेंगे।

पालन-पोषण माता-पिता का चयन करते समय जाति, धर्म, समुदाय, निःशक्तता या स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर भेद-भाव नहीं किया जायेगा बल्कि बच्चे के सर्वश्रेष्ठ हित का ध्यान रखा जायेगा। बाल कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्त्ता द्वारा, राजस्थान किशोर न्याय नियम प्रपत्र-१६ के अनुरूप, पूरी जाँच के आधार पर बाल कल्याण समिति जिन्हें उपयुक्त व्यक्ति घोषित करेगी उन्हें ही, बच्चे के पालन-पोषण की जिम्मेदारी दी जायेगी।

४०. बच्चे के पालन-पोषण-देखभाल की जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति को कितना आर्थिक सहयोग दिया जाएगा?

समेकित बाल विकास योजना के अनुसार, पालन-पोषण देखभाल की जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति को प्रति बच्चा रूपये ७५०/- प्रतिमाह दिया जाएगा। इस पर योजना व राजस्थान किशोर न्याय नियमों की शर्तें लागू रहेंगी। राजस्थान सरकार की पालनहार योजना, कुछ विशेष श्रेणी के बच्चों के लिए प्रायोजन व पालन-पोषण देखभाल योजनाओं का मिल-जुला रूप है। पालनहार योजना के अन्तर्गत ५ वर्ष तक की आयु के बच्चे के लिए रूपये ५००/- प्रतिमाह और उसके बाद १८ वर्ष की आयु तक रूपये १०००/- प्रतिमाह, आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा कपड़े-जूते व किताबों, आदि के लिए प्रति वर्ष रूपये २०००/- की रकम अलग से दी जाती है।

४१. समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत प्रायोजन व पालन-पोषण-देखभाल कोष के लिए कितनी रकम प्रस्तावित है?

समेकित बाल संरक्षण योजना में, प्रायोजन व पालन-पोषण-देखभाल कोष की स्थापना का प्रावधान हैं। जो जिला बाल संरक्षण समिति या जिला बाल, संरक्षण इकाई के अधीन रहेगा। फिलहाल यह प्रयोगात्मक कार्य है। इसके अन्तर्गत हर जिले को प्रारम्भिक कोष के रूप में ५ लाख रूपये दिये जाएंगे। राज्य सरकार को, इस कार्य के लिए राज्य बाल सरंक्षण समिति को अतिरिक्त सहायता देने के लिए, प्रोत्साहित किया जा रहा है।

४२. प्रायोजन व पालन-पोषण-देखभाल स्वीकरण समिति क्या है?

समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत एक प्रायोजन व पालन-पोषण-देखभाल स्वीकरण समिति का प्रावधान किया गया है। इस समिति का गठन, हर जिले में किया जाना है और इस पर प्रायोजन व पालन-पोषण-देखभाल कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व निगरानी की जिम्मेदारी है। इसका गठन, निम्न लोगों से होगा-

(१) जिला बाल संरक्षण अधिकारी - अध्यक्ष

(२) संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत सम्भाल) - सदस्य

(३) बाल कल्याण समिति अध्यक्ष/सदस्य - सदस्य

(४) विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी प्रतिनिधि - सदस्य

(५) क्षेत्र में बाल संरक्षण कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठन का प्रतिनिधि - सदस्य

४३. प्रायोजन क्या है और इसका प्रबंधन कैसे किया जाता है?

अपने परिवार की खराब सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण, बहुत सारे बच्चे उपेक्षा, शोषण, परित्याग और बेसहारापन के किनारे पर हैं। कई बार निर्धन परिवार, बच्चे के हित की दृष्टि से या अपनी गरीबी से लड़ने के लिए, बच्चे को संस्थागत सम्भाल में छोड़ देते हैं। कभी-कभी उत्पीड़न व शोषण से बचने के लिए, बच्चे घर से भाग जाते हैं और वापस अपने परिवार में शामिल नहीं होना चाहते। बच्चों को अपने परिवारों में बनाए रखने और सरंक्षित रखने के लिए भारत सरकार परिवारों, बाल गृहों और विशेष गृहों को पूरक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। यह सहायता बच्चों की शिक्षा, पोषण, इलाज, आदि में मदद कर उनके जीवन की गुणवत्ता के सुधार में मदद करती है। प्रायोजना सहायता दो प्रकार से उपलब्ध है:-

१. निरोधक- यह सहायता, बच्चे को परिवार में ठहराए रखने, पढ़ाई चालू रखने, जैसे कामों में मदद के लिए दी जाती है। इन बच्चों को घर से भागकर बेघर-बेसहारा होने, बाल विवाह के कुचक्र से, बचाने आदि में सहायक होती है।

२. पुनर्वासीय-इस सहायता से, किन्हीं नियम कानूनों के तहत सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी गृहों में रह रहे बच्चों को वापस, अपने घरों में स्थापित करने के लिए, प्रायोजन सहायता दी जाती है।

राजस्थान किशोर न्याय नियम, उपनियम ३७ के अनुसार, किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति प्रपत्र-१८ में आदेश जारी करते हैं। किसी बच्चे या किशोर के प्रायोजन के लिए, यह प्रपत्र जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार को भेजा जाता है।

समेकित बाल संरक्षण योजना में किए गए प्रावधान के अनुसार, जिला बाल संरक्षण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई, विशेष प्रायोजन व पालन-पोषण-देखभाल कोष में से, यह सहायता उपलब्ध कराती है। विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी या परिवीक्षा अधिकारी (गैर संस्थागत सम्भाल) नियमित निगरानी के ज़रिए, इस कार्यक्रम पर नजर रखेंगे और सम्बन्धित अधिकारियों को रिपोर्ट देंगे। यह निगरानी बच्चे की व्यक्तिगत सम्भाल योजना के आधार पर की जाएगी।

राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही पालनहार योजना में ५ वर्ष तक की उम्र के हर चयनित बच्चे को रूपये ५००/- प्रतिमाह और उसके बाद १८ वर्ष की उम्र तक रूपये १०००/- प्रति माह सहायता दी जाती है। जूते-कपड़े किताबों के लिए हर बच्चे को हर साल रूपये २०००/- की मदद अलग से दी जाती है।

४४. कानून से आरोपित बच्चों को सम्भालने व पुनर्वास के लिए विशेष गृह चलाने के लिए अधिकृत एजेंसी कौनसी है?

किशोर न्याय बोर्ड द्वारा सौंपे गए, कानून से आरोपित बच्चों को सम्भालने एवं उनके पुनर्वास हेतु विशेष गृहों की स्थापना व संचालन के लिए, राज्य सरकार अधिकृत है। ये विशेष गृह, आवश्यकतानुसार हर जिले या जिलों के समूह में खोले जा सकते हैं। इन्हें राज्य सरकार स्वयं या सहमति के अधीन स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से चला सकती है। समेकित बाल संरक्षण योजना के द्वारा, इन गृहों के खर्च के लिए, राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को आर्थिक सहायता देती है।

४५. विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी क्या है?

किशोर न्याय अधिनियम की पालना में, राज्य सरकार हर जिले में किसी सरकारी या गैर सरकारी बाल सम्भाल संस्था को, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी के रूप में मान्यता देती है। इसका काम, अनाथ, परित्यक्त या समर्पित बच्चों का दत्तक ग्रहण कराना है। यह एजेंसी, अपने पास बच्चों को पहुँचने के २४ घंटों के भीतर (यात्रा समय के अलावा), उन्हें दत्तक ग्रहण के लिए मुक्त घोषित कराने के लिए बाल कल्याण समिति के सामने पेश करेगी। एजेंसी, बाल कल्याण समिति के कहने पर सम्भावित पालन-पोषण-देखभाल या दत्तक ग्रहण माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट भी तैयार करेगी। विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी और जिला बाल संरक्षण समिति/जिला बाल संरक्षण इकाई के सम्पूर्ण निरीक्षण में काम करेगी।

समेकित बाल संरक्षण योजना, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी की स्थापना व संचालन के लिए आर्थिक व अन्य सहयोग प्रदान करेगी। एजेंसी बच्चे के स्थापन से पहले गुणवत्तापूर्ण सम्भाल में रखेगी। यह बच्चे के सर्वश्रेष्ठ हित को ध्यान में रखते हुए, उसकी व्यक्तिगत सम्भाल योजना तैयार करेगी। व्यक्तिगत सम्भाल योजना में, सम्भाल क्रम, इस प्रकार होगा।

१. जैविक परिवार का संरक्षण
२. रिश्तेदारी में सम्भाल
३. अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण
४. पालन-पोषण देखभाल
५. अन्तर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण
६. संस्थागत सम्भाल

४६. क्या समेकित बाल संरक्षण योजना में परित्यक्त या समर्पित नवजात/छोटे शिशुओं की सेवा या लाभ का प्रावधान है?

समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत हर जिले में, पालना शिशु स्वागत केन्द्र खोलने का प्रावधान किया गया है, जहाँ बच्चे की, उसके माता-पिता का पता लगने तक या उसका दत्तक ग्रहण हो जाने तक पूरे प्रेम से सम्भाल की जा सके। पालना शिशु स्वागत केन्द्र, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा, अपने परिसर में चलाया जाता है और इसमें शिशुओं की आवश्यकता की सभी प्राथमिक सुविधा उपलब्ध होगी। पालना शिशु स्वागत केन्द्र को प्राथमिक केन्द्र, अस्पताल, नर्सिंग होम, स्वाधार इकाई, अल्पाश्रय गृह और जिला बाल संरक्षण समिति/जिला बाल संरक्षण इकाई, जैसे शिशु स्वागत बिन्दुओं से भी जोड़ा जा सकता है। पालना शिशु स्वागत केन्द्र में, बच्चे के पहुँचते ही, उसकी व्यक्तिगत सम्भाल योजना पर काम शुरू किया जाएगा और सम्भावनाएँ तलाश की जाएगी कि बाल कल्याण समिति के द्वारा अधिकृत किए जाने के बाद, उसे कहाँ रखा जाएगा।

जिला बाल संरक्षण समिति/जिला बाल संरक्षण इकाई शिशु स्वागत बिन्दुओं के लिए पालनों का प्रबन्ध करेगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की ओर से, एक नर्स को, उन बिन्दुओं से जोड़ा जाएगा। बिन्दु पर शिशु के पहुँचते ही, नर्स उसके लिए, चिकित्सा का प्रबन्ध करेगी और बाल कल्याण समिति व विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी को, शिशु को ले जाने के लिए सूचना देगी। नर्स, शिशु के बारे में सभी उपलब्ध जानकारी, रजिस्टर में लिखेगी। इसी जानकारी के आधार पर, चिकित्सा अधिकारी, शिशु को पालना शिशु स्वागत केन्द्र को सौंपे जाने का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी करेगा। राज्य स्तर पर समेकित बाल संरक्षण योजना का प्रभारी सचिव, राज्य के स्वास्थ्य सचिव के साथ, यह व्यवस्था करेगा कि शिशु की सम्भाल में नियुक्त नर्स के कार्य को उसके पद भार का भाग माना जाए।

४७. केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी क्या है?

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन स्वतंत्र निकाय है। यह भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण के लिए मध्यवर्ती संगठन है और अन्तर्देशीय व अन्तर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण का नियमन व निगरानी, इसका मुख्य काम है। अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण पर हेग सहमति १९९३ की अनुपालना में यह भारत में अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए केन्द्रीय अधिकरण का दर्जा प्राप्त है। केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी अपनी सहायक एजेंसियों के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त और समर्पित बच्चों के दत्तक ग्रहण के मामले देखती है। यह राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियों के काम की देखभाल करती है। समेकित बाल संरक्षण योजना में, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी और इसके कार्यक्रमों को सशक्त बनाने के विशेष प्रावधान हैं।

४८. राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी क्या है?

अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने तथा अन्तर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण का नियमन करने में, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी को सहयोग करने के लिए, समेकित बाल संरक्षण योजना ने हर राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश में, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी का गठन करना तय किया है। राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी का गठन, राज्य बाल संरक्षण समिति की एक इकाई के रूप में किया गया है और उसमें दत्तक ग्रहण कार्य के समन्वय, निगरानी व विकास के साथ, राज्य दत्तक ग्रहण सलाहकार समिति को प्रशासनिक सहयोग करने की जिम्मेदारी दी गई है।

इसको जिला बाल संरक्षण समितियों/जिला बाल संरक्षण इकाइयों से सम्पर्क बनाए रखने तथा बाल कल्याण समितियों को बच्चों के पुनर्वास सामाजिक पुनरेकीकरण में तकनीकी सहयोग देने को भी कहा गया है। बच्चों के पुनर्वास व सामाजिक पुनरेकीरण में प्रायोजन, पालन-पोषण-देखभाल, अन्तर्देशीय व अन्तर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण शामिल है।

४९. राज्य दत्तक ग्रहण सलाहकार समिति का क्या कार्य है?

हर एक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश में एक राज्य दत्तक ग्रहण सलाहकार समिति का गठन प्रस्तावित है। इस पर प्रायोजन, पालन-पोषण-देखभाल, अन्तर्देशीय व अन्तर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जैसे गैर संस्थागत-परिवार आधारित कार्यक्रमों को लागू करने, बढ़ावा देने, निरीक्षण व निगरानी करने की जिम्मेदारी है। इस समिति की सभा, हर तीसरे महीने होने और सभा की कार्यवाही केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी को भेजे जाने का नियम है। राज्य दत्तक ग्रहण सलाहकार समिति का कार्यकाल तीन वर्ष रखा गया है।

बाल श्रम

सम्बन्धी

रोज के सवाल

१. बालश्रमिक कौन है?

दुनिया में बालश्रम की परिभाषा एक जैसी नहीं है। बच्चों को काम पर लगाने से सम्बन्धित, विभिन्न भारतीय कानूनों में भी, इसका कोई एक स्वरूप नहीं है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति की धारा ३२ में कहा गया है कि- आर्थिकं शोषण का कोई भी रूप या कोई ऐसा काम जो बच्चे के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक या सामाजिक विकास के लिए जोखिम भरा या नुकसानदेह हो, प्रतिबन्धित होना चाहिए। भारत इस सहमति का हस्ताक्षर-कर्त्ता है। हमारे देश का बालश्रम (निषेध व नियमन) अधिनियम १९८६, १४ वर्ष से कम उम्र के बच्चों को "जोखिमपूर्ण" घोषित कुछ खास धन्धों और प्रक्रियाओं में, काम लगाये जाने से रोकता है। साथ ही बिना जोखिम के काम धन्धों मे ंभी, ऐसे बच्चों को लगाए जाने का नियमन करता है। इस अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन की भावना है कि १४ वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, किसी भी धन्धे या प्रक्रिया में नियोजित नहीं किया जाए तथा १५ से १८ वर्ष उम्र, वालों को भी जोखिम भरे धन्धों और प्रक्रियाओं में काम पर नहीं लगाया जाए।

किशोर न्याय (बच्चों की सम्भाल व संरक्षण) अधिनियम २०००, १८ वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्ति को बच्चा मानता है और "काम में लगे बच्चे" को सम्भाल व संरक्षण की जरूरत वाला बच्चा मानता है। राजस्थान सरकार, इस परिभाषा को मानकर, १८ वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को रोजगार पर लगाने का निषेध करती है और अगस्त २०१२ में अधिसूचित मानक संचालन प्रक्रिया के अन्तर्गत ऐसे बच्चों को काम पर पाए जाने पर, बरामद कर पुनर्वास जरूरी मानती है।

२. बच्चों को रोजगार से क्यों रोका जाता है?

ऐसी सार्वभौमिक मान्यता है कि बच्चे दुनिया व देश की धरोहर है। किसी देश का भविष्य, मुख्य रूप से मानव सम्पदा की गुणवत्ता और क्षमताओं पर ही निर्भर हैं। हमारे यहाँ इस मानव सम्पदा का लगभग आधा हिस्सा बच्चे है। बचपन, वह उम्र है जब मस्तिष्क, शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण विकास की नींव रखी जा रही होती है। उस समय, बच्चे को काम की कठिनाईयों और रोजगार की झझटों में डालकर, उसके विकास को खतरे में नहीं डाला जा सकता है।

बालश्रम, बच्चों को न केवल, उनके बचपन से वंचित करता है बल्कि उन्हें स्वस्थ व गरिमापूर्ण तरीके से बढ़ने से भी रोकता है और उत्पीड़न, निर्दयता, शोषण और काम की जोखिम भरे माहौल में भी धकेलता है। कोई शिष्ट समाज और कल्याणकारी राज्य, बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करके उनकी उम्र और सामर्थ्य के प्रतिकूल काम-धन्धों में लगाने को बाध्य नहीं कर सकता। बालश्रम, गरीबी को भी टिकाए रखता है।

३. बालश्रम के क्या कारण हैं?

बालश्रम के मुख्य कारणों में हैं -

१. बालश्रम निषेध कानूनों का पालन न होना,
२. समाज में बालश्रम की सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक स्वीकार्यता,
३. माता-पिता की निरक्षरता/अशिक्षा व उपेक्षा,
४. माता-पिता को न्यूनतम मजदूरी भी न मिलना,
५. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की कमजोर पहुँच,
६. स्कूलों का पहुँच से दूर होना,
७. स्कूल-शिक्षा का अनाकर्षक व असंदर्भित होना,
८. बच्चों, माता-पिता व नियोजक के तात्कालिक आर्थिक-भौतिक लाभ,
९. सस्ते व असंगठित श्रम के शोषण की मानसिकता, आदि।

बालश्रम, खुद गरीबी के कुचक्र को जीवित रखता है। किसी खास धन्धे में पारिवारिक कुशलता भी बच्चों को बालश्रम के घेरे में लेती है और उन्हें अन्य कुछ भी सीखने देने के अवसर खत्म कर देती है।

४. बालश्रम के बारे में प्रचलित मिथ्या धारणाएं क्या हैं?

कानून की कमजोरियों के अलावा समाज में प्रचलित कुछ अवधारणाएं ही हैं जो बालश्रम को कायम रखे हुए हैं। इनमें से गलत साबित की जा चुकी, कुछ धारणाएं, इस प्रकार हैं :-

१. कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले बच्चे काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या,

२. हम काम देकर बच्चों व परिवारों की मदद करते हैं,

३. बच्चे काम नहीं करेंगे तो आवारा और अपराधी हो जाएंगे,

४. कमजोर परिवारों के बच्चे पढ़-लिखकर, क्या कलेक्टर बनेंगे,

५. पढ़-लिखकर भी भाड़ झोंकना है तो बच्चों को अभी से काम सिखाना अच्छा है,

६. गरीबी खत्म हुए बिना बालश्रम खत्म नहीं हो सकता,

७. विकसित देशों में ही बालश्रम नहीं बंद हुआ, विकासशील देशों में क्या होगा, आदि।

५. बालश्रम महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बना है?

बच्चे ऐसे मनुष्य हैं जिन्हें सबसे ज्यादा सम्भाल व संरक्षण की जरूरत है। बालश्रम इनको बचपन व बाल अधिकारों से वंचित करता है। बालश्रम मानव विकास को रोकता है और बच्चों को हिंसा, शोषण व यौन-उत्पीड़न के जोखिम में धकेलता है। इससे वयस्कों की बेरोजगारी और सामाजिक अशान्ति भी बढ़ती है। शोध व अध्ययन बताते हैं कि बालश्रम से गरीबी कायम रहती है।

भारत में, १४ वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिकों की संख्या, दुनिया में सबसे ज्यादा है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एन.एस.एस.ओ.) के अनुसार, राजस्थान में देश के १० प्रतिशत बाल श्रमिक हैं। ये कारण और यह संख्या, स्वतः ही बालश्रम को महत्वपूर्ण विषय बना देते हैं।

६. क्या गरीबी बालश्रम को बढ़ाने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारणों में है?

नहीं, बालश्रम को बनाए रखने व बढ़ाने वाले कारणों में, गरीबी का सबसे बड़ा योगदान नहीं है बल्कि बालश्रम गरीबी को बनाए रखता है। बच्चे को बालश्रम में धकेलने का कारण, परिवार की निर्धनता ही नहीं बल्कि सही दृष्टिकोण की कमी, बच्चों के प्रति सामाजिक अन्याय को बरदाश्त करना और सरकारी व सामाजिक गैर जिम्मेदारी भी है।

७. बच्चों को किन कामों में लगाया जाता है?

बच्चों को खेती, कारखानों में निर्माण व उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रों में लगाया जाता है। ये जोखिमपूर्ण व जोखिम रहित, दोनों तरह के काम हैं। इतना ही नहीं सशस्त्र संघर्षों में भी उन्हें हथियार थमा दिए जाते हैं। संगठित गिरोहों द्वारा उन्हें भिक्षावृत्ति, यौनकार्यों, नशे के कारोबार, कचरा बीनने१ जैसे कामों में भी लिया जाता है। किशोर न्याय अधिनियम का लाभ उठाने के लिए उन्हें हत्या व बलात्कार जैसे अपराधों से भी जोड़ा जाने लगा है।

८. क्या बच्चों के लिए सभी काम ज़ोखिम भरे हैं?

बच्चों के लिए कोई भी काम ज़ोखिम भरा हो सकता है, खास तौर पर अगर वह पैसे के बदले कराया जाता हैं। ऐसे भी उदाहरण है कि घरेलू काम या छोटे बच्चों की देखभाल में रखे बच्चों को नियोजक के शारीरिक-मानसिक उत्पीड़न, घातक सजा और बलात्कार जैसे अत्याचार का शिकार होना पड़ता है। वस्तुतः बालश्रम बच्चों की शारीरिक-मानसिक व आध्यात्मिक वृद्धि को बाधित करता है।

९. दुनिया में कितने बाल श्रमिक हैं?

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि दुनिया में १८ वर्ष के कम उम्र के लगभग साढ़े इक्कीस करोड़ बाल श्रमिक हैं। उप सहारा क्षेत्रीय अफ्रीका में ५ से १७ वर्ष के ४ में से १, प्रशान्त क्षेत्रीय एशिया में ८ में से १ और लेटिन अमेरीका में १० में से १ बच्चा काम में लगा है। यूनिसेफ का अनुमान है कि विकासशील देशों में ५ से १४ वर्ष के १५ करोड़ बच्चे मजदूरी में लगे हैं। प्राप्त गणनाएँ बताती हैं कि लड़कियों से ज्यादा लड़के मजदूरी में लगे हैं जबकि बहुत से ऐसे काम प्रायः सामने नहीं आते जिनमें लड़कियाँ लगी है। ऐसा भी अनुमान है कि घरेलू कामों में लगे बच्चों में ९० प्रतिशत लड़कियाँ हैं।

१०. भारत में कितने बाल श्रमिक हैं?

भारत में बालश्रम की समस्या पूरी तरह स्थापित हैं। विभिन्न अवधारणाओं और अनुमान पद्धतियों के कारण, बाल श्रमिकों की संख्या के अनुमान भी अलग-अलग हैं। वर्ष २००१ की जनगणना के अनुसार, ५ से १४ वर्ष के कुल २१ करोड़ बच्चों में से १ करोड़ २६ लाख बालश्रमिक है।

इनमें ५७ लाख ७० हजार मुख्य कामगारों तथा ६८ लाख ८० हजार सीमान्त कामगारों के रूप में माने गये हैं। देश की कुल श्रमिक संख्या में, ५ से १४ वर्ष उम्र के श्रमिकों की संख्या ३.१५ प्रतिशत है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के अनुसार वर्ष २००९-१० में, ५ से १४ वर्ष आयु समूह के श्रमिकों की संख्या का अनुमान ४९ लाख लगाया गया है। इंटरनेशनल फाउण्डेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन्स की एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के कृषि, उद्योग व वाणिज्यिक क्षेत्रों में करीब ६ करोड़ बाल श्रमिक लगे हुए हैं। एक अनुमान है कि अगर स्कूल न जाने वाले सभी बच्चों को भी बाल श्रमिक मान लिया जाये तो यह संख्या १० करोड़ भी पहुँच सकती है।

११. बालश्रमिकों के मामले में, राजस्थान का देश में क्या स्थान है?

जनगणना २००१ के अनुसार, ५ से १४ वर्ष आयु के अधिकतम बाल श्रमिकों के मामले में, राजस्थान का देश में तीसरा स्थान हैं। यहाँ इस आयु समूह के बाल श्रमिकों की कुल संख्या १२,६२,५७० बताई गयी है। यह देश के कुल बाल श्रमिकों की संख्या का १० प्रतिशत है। प्रदेश के अलवर, जालोर और चूरू जिले उस मामले में सबसे ऊपर हैं।

१२. क्या भारत में बाल श्रमिकों से संबंधित कोई संवैधानिक प्रावधान, नीतियाँ और कानून हैं?

हाँ, भारत में बालश्रम की रोकथाम के लिए संवैधानिक प्रावधान, नीतियाँ और कानून हैं। वे इस प्रकार हैं:-

संवैधानिक प्रावधानः

- भारतीय संविधान की धारा २१- में ६ से १४ वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है जिसमें बालश्रम को रोकने की भावना निहित है।
- धारा २३- मानव के दुव्यापार, बेगार व बलात् श्रम को प्रतिबन्धित करती है।
- धारा २४- १४ वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खानों, कारखानों या अन्य ज़ोखिम पूर्ण कामों में लगाने से रोकती है।

- धारा ३९- सरकार को निर्देशित करती है कि बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों।
- धारा ३९- में ही सरकार को यह भी कहा गया है कि वह बच्चों को स्वतंत्र व गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर व सुविधाएँ उपलब्ध कराये तथा उनकी शोषण एवं नैतिक व आर्थिक परित्याग से रक्षा करे।

नीतियाँ

- वर्ष १९८७ में राष्ट्रीय बालश्रम नीति घोषित की गई थी जिसका उद्देश्य बालश्रम को समाप्त करना और शोषण से बच्चों का संरक्षण करना है। देश की राष्ट्रीय बालश्रम नीति के तीन मुख्य तत्व हैं:-

  १. बालश्रम से संबंधित कानूनी प्रावधानों के अधिक प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वैधानिक कार्ययोजना,

  २. बच्चों एवं उनके परिवारों को लाभ पहुँचाने के लिए सामान्य विकास कार्यक्रमों पर जोर,

  ३. राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना के ज़रिए सघन बालश्रम केन्द्रित क्षेत्रों के लिए परियोजना आधारित कार्य योजना।

कानून

बालश्रम का निषेध और नियमन करने वाले प्रमुख कानून हैं:-

- बालश्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम १९८६
- कारखाना अधिनियम १९४८
- खनन अधिनियम १९५२
- बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम १९७६
- ठेका मजदूरी (नियमन व उन्मूलन) अधिनियम १९७०

१३. बच्चों के लिए कितने व्यवसाय और प्रक्रियाएँ प्रतिबंधित हैं?

बालश्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम १९८६ के अंतर्गत १८ धंधों और ६५ प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन को प्रतिबंधित किया गया है। इस सूची को समय-समय पर पुर्न निर्धारित किया जाता है और इसमें नये व्यवसायों व प्रक्रियाओं को जोड़ा जाता है।

१४. क्या बच्चों को काम पर लगाने वाले माता-पिता व संरक्षक दंड के भागीदार हैं?

माता-पिता या संरक्षक को सजा देने से बच्चे और कमजोर हो जायेंगे- इस विश्वास के कारण, कानून, कामगार बच्चों के माता-पिता व संरक्षकों के प्रति सद्भावना रखता है। बालश्रम अधिनियम में एक संशोधन प्रस्तावित है जिसमें कहा गया है कि माता-पिता व संरक्षक तब तक दंड के भागीदार नहीं होंगे जब तक वे अपने बच्चों को जोखिमपूर्ण धंधों, वाणिज्यिक उद्देश्यों या ऐसी सहायता व कामों में नहीं लगाते जहाँ श्रम या कार्य उनका दर्जा घटाता हो, चाहे वह घर पर लाया गया काम ही हो।

१५. बालश्रमिकों को नियोजित करने के लिए किस को दण्डित किया जा सकता है?

माता-पिता या संरक्षकों सहित कोई भी व्यक्ति जो बच्चों को जोखिम भरे धंधों में लगाता है, कानून से दण्ड पाने का भागीदार है।

१६. बच्चों को काम पर लगाने वाले नियोजक को कितनी सजा हो सकती हैं?

बालश्रम अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन में चाहा गया है कि अधिनियम की धारा ३ का उल्लंघन कर जो कोई व्यक्ति, किसी बच्चे को काम पर लगाता है या काम करने की इज़ाजत देता है, उसे कम से कम ६ महीने कैद की सजा, जो दो वर्ष तक भी हो सकती है, दी जा सकती हैं। इसके साथ या अलग से कम से कम २०,०००/- रूपये जुर्माना जो ५०,०००/- रूपये तक बढ़ाया जा सकता है, भी किया जा सकता है। उसी व्यक्ति द्वारा, अपराध दोहराए जाने पर सजा और जुर्माना दुगुना हो सकता है। अगर नियोजक लगातार बालश्रम अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम, बन्धुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, आदि सम्बन्धित कानूनों का लगातार उल्लंघन करता है, उसको बड़ी सजा और जुर्माना हो सकता है।

१७. भारत और राजस्थान में, बालश्रम अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी किस पर हैं?

मोटे रूप में, श्रम संबंधी कानूनों के क्रियान्वयन और उनके उल्लंघन पर कार्यवाही करने की जिम्मेदारी, श्रम व रोजगार विभाग की है। आगे ये मामले, विभिन्न अदालतों के सामने ले जाए जाते हैं।

बालश्रम अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन में, इस कानून और राजस्थान मानक संचालन प्रक्रियाओं को लागू करवाने की जिम्मेदारी, जिला कलेक्टर को सौंपी जाने का प्रावधान है। संशोधन में कहा गया है कि सरकार, आवश्यकतानुसार, इस अधिनियम को लागू करने की शक्तियाँ व जिम्मेदारियाँ जिला कलेक्टर को सौंप सकती है। जिला कलेक्टर, अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंप सकता है। राजस्थान मानक संचालन प्रक्रियाओं में बाल श्रमिकों की पहचान से पुनर्वास तक के काम में पुलिस, श्रम विभाग, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई और जिला प्रशासन की भूमिका देखी गई है लेकिन जिला स्तर पर, इसके लिए जिला कलेक्टर को जिम्मेदार माना गया है।

१८. देश में बाल श्रमिकों के पुनर्वास के क्या प्रावधान हैं?

दु:ख की बात है कि बालश्रम अधिनियम पारित होने के तीन दशक पूरे होने को हैं और बड़ी महत्वाकांक्षी समेकित बाल संरक्षण योजना के पांच वर्षों में सैंकड़ों करोड़ उड़ा दिये जाने के बावजूद धंधों से छुड़ाए गए बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए समुचित और सुपरिभाषित प्रबंध नहीं हैं। यहाँ तक कि छुड़ाए गए बाल श्रमिकों को तात्कालिक रूप से अल्पावास के लिए ठहराने की भी व्यवस्थाएं नहीं है। स्पष्ट है कि इससे बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर, संरक्षण व विकास के अवसर उपलब्ध कराने का काम भी दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। राजस्थान में मानक संचालन प्रक्रियाओं में, जिला कलेक्टर और बाल कल्याण समिति (जिसकी डोर भी जिला कलेक्टर को सौंपने की तैयारी चल रही है) पर मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों के पुनर्वास की जिम्मेदारी मानी गई है लेकिन न तो उन्होंने इसके लिए आवश्यक प्रबंध किए हैं और न अस्थायी रहवास या लम्बे पुनर्वास सहित विकास सेवाओं के वर्णन, संख्या या मात्रा के बारे में उन्हें स्पष्ट निर्देश प्राप्त हैं।

वर्ष १९८८ में श्रम मंत्रालय ने, बालश्रम से मुक्त कराए बच्चों के लिए राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना शुरू की थी जिसमें मुख्य धारा से जोड़ने वाली शिक्षा के साथ स्वास्थ्य-सम्भाल, पोषक-आहार, कौशल-प्रशिक्षण और मासिक नकद छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था है। इसी तरह समेकित बाल संरक्षण योजना में, शहरी क्षेत्रों में बेघर बच्चों व कामकाजी बच्चों के लिए खुले आवासगृहों की स्थापना का प्रावधान है। इन आश्रय गृहों में बच्चों के लिए बाहरी-भीतरी खेलों, संगीत, नृत्य, नाटक, योग-ध्यान, कम्प्यूटर, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास के प्रबन्ध का दावा किया गया है। बच्चों के लिए ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने को भी कहा गया है जहाँ वे अपनी बचत और सामान को सुरक्षित रख सकें। इसके अलावा नियोजक से प्राप्त जुर्माना राशि को भी उन बच्चों के पुनर्वास में खर्च किए जाने के निर्देश हैं।

१९. छुड़ाए गए बाल श्रमिकों को किस गृह में भेजे जाने की सिफारिश की जाती है?

ऐसी भावना है कि छुड़ाए गए बाल श्रमिकों को उनके माता-पिता या संरक्षकों के पास रखा जाये। अस्थाई बसेरे के लिए उन्हें, किशोर न्याय अधिनियिम के तहत स्थापित बाल गृह या आश्रय गृह में भेजा जा सकता है। समेकित बाल संरक्षण योजना में खोले गए, खुले आश्रय भी, इस काम में आ सकते हैं। छुड़ाये गये बाल श्रमिकों को स्थायी या अस्थायी आवास के लिए भेजने का सुझाव देने के लिए, बाल कल्याण समिति सक्षम धिकरण हैं।

२०. बालश्रम की समाप्ति के वादे को याद करने के लिए देश और दुनिया में कौनसे दिन निर्धारित हैं?

भारत में हर वर्ष ३० अप्रेल को बालश्रम विरोधी दिवस और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर १२ जून को विश्व बालश्रम विरोधी दिवस मनाया जाता है।

२१. राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना क्या है?

राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना, भारत सरकार के श्रम व रोजगार मंत्रालय के अधीन वर्ष १९८८ में शुरू की गई थी। जोखिम भरे धंधों वाले सघन ९ जिलों में, मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों के लिए, यह शुरू की गई थी। इस परियोजना को क्रमशः बढ़ाते हुए ११वीं पंचवर्षीय योजना काल में २७१ जिलों तक फैला दिया गया।

इसके अन्तर्गत, इन बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य- सम्भाल, पोषाहार-कौशल विकास तथा मासिक छात्रवृत्ति की व्यवस्था वाले स्कूल खोले गये। बाद में इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की कल्पना की गई है। इस परियोजना में गैर सरकारी संगठनों को भी भागीदार बनाया जाता है।

२२. बालश्रम उन्मूलन में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है?

गैर सरकारी संस्थान बाल श्रमिकों की पहचान, बरामदगी और पुनर्वास में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सरकारी अधिकारी व संस्थान, इनके सहयोग से बालश्रम के उन्मूलन को ज्यादा प्रभावी ढ़ंग से कर सकते हैं। गैर सरकारी या स्वैच्छिक संगठन माता-पिता-संरक्षकों व आम जनता में बालश्रम के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा कर सकते हैं और समाज में से बालश्रम की सांस्कृतिक-सामाजिक-आर्थिक स्वीकार्यता को निर्मूल कर सकते हैं। वे बालश्रम से मुक्त हुए बच्चों को, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पाठ्यक्रम, कक्षाएँ और शिविर चला सकते है। वे पंचायतराज संस्थाओं व नगर निकायों की सहायता से बाल श्रमिकों के माता-पिता-संरक्षकों व नियोजकों के शिक्षण-प्रशिक्षण तथा अर्थोपार्जन कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। इन संगठनों की कल्पनाशीलता व स्वायत्ता इस कार्यक्रम को नई दिशा दे सकती है।

२३. राजस्थान में बालश्रम प्रथा के उन्मूलन में पुलिस का क्या स्थान है?

राजस्थान मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, बालश्रम व बाल व्यापार को रोकने तथा बाल श्रमिकों की मुक्ति में स्थानीय पुलिस, विशेषत: किशोर पुलिस इकाई और मानव व्यापार निरोधक इकाई की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन प्रावधानों में कहा गया है कि स्थानीय गैर सरकारी संगठनों व बाल कल्याण समिति की मदद से, स्थानीय पुलिस को निरन्तर, क्षेत्र में बाल श्रमिकों की पहचान और बरामदगी में लगे रहना है। वह अपनी पहल पर भी बाल श्रमिकों की बरामदगी कर सकती है। पुलिस की विभिन्न इकाइयों, हर तिमाही व अपने कार्यों की समीक्षा और अगली तैयारियों पर विचार करने के लिए बैठना और जिला कलेक्टर या जिला बाल संरक्षण इकाई को रिपोर्ट देना जरूरी है। मानक संचालन प्रक्रिया अलावा भी पुलिस महानिदेशक ने ३० अप्रेल, २०१२ को जारी दिशा-निर्देशों में पुलिस को बालश्रम व बाल व्यापार रोकने के लिए विशेष सक्रियता से लगने के लिए कहा है।

२४. राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या है?

राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य सरकार द्वारा फरवरी, २०१० में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम २००५ के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। यह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग व अन्य आयोगों के निकट समन्वय में, बच्चों के अधिकारों की मान्यता, संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए कार्य करता है।

२५. तकनीकी परामर्श समिति की क्या भूमिका है?

तकनीकी परामर्श समिति केन्द्र सरकार को परामर्श देती है। इसका गठन, बालश्रम अधिनियम के अन्तर्गत जोखिमपूर्ण धंधों की पहचान कर उन्हें निर्धारित सूची में शामिल कराने के उद्देश्य से किया गया है।

२६. पंचायत राज संस्थाएं बालश्रम उन्मूलन में क्या सहयोग दे सकती है?

पंचायत राज संस्थाएं, लोगों के सीधे सम्पर्क में रहने वाली, शासकीय निकाय है। वे अपने कार्यक्षेत्र के गाँवों में बालश्रम उन्मूलन व बच्चों और उनके परिवारों के लिए लाभ के लिए चलाई जाने वाले कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व निगरानी में सक्रिय योगदान दे सकती हैं। वे बाल श्रमिकों व उनके परिवारों की पहचान और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभान्वितों में शामिल करने के लिए प्राथमिकता के अनुसार चुन कर बड़ा काम कर सकती हैं। पंचायत राज संस्थाएं, अपने क्षेत्र में बालश्रम निषेध संबंधी सूचनाएं जारी कर सकती हैं। वे स्कूलों में निगरानी कर स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को फिर से स्कूलों से जोड़ने, नये बच्चों के नामांकन आदि कार्यों से बालश्रम उन्मूलन के भागीदार हो सकती हैं।

२७. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है और बालश्रम उन्मूलन के लिए क्या करता है?

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना, पहले विश्व युद्ध के बाद, वर्ष १९१९ में हुई। यह वर्ष १९४६ में संयुक्त राष्ट्र संघ पहली की विशेषीकृत एजेंसी बना। इसका मुख्य काम विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मानक तय करना, श्रम अधिकारों, श्रेष्ठ रोजगार अवसरों, विभिन्न धंधों में लगे श्रमिकों के सामाजिक संरक्षण और श्रम विषयों पर संवाद को प्रोत्साहन देने का है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने दुनिया से बालश्रम खत्म करने के लिए, वर्ष १९९१ में अन्तर्राष्ट्रीय बालश्रम उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया।

भारत इस कार्यक्रम की सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बना। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, देश में ११वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तीन परियोजनाएं चालू हुई। अभी यह कार्यक्रम बिहार, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश और ओडीशा के २-२ जिलों में चल रहा है। इसमें परियोजना का मुख्य उद्देश्य बालश्रम उन्मूलन के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और अन्य हित धारकों को साथ लाना है।

२८. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बालश्रम संबंधी दो महत्वपूर्ण सहमतियाँ कौन सी हैं?

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बालश्रम सम्बन्धी कार्यों में महत्वपूर्ण दो सहमतियाँ हैं:-

- सहमति-१३८: यह रोजगार पाने/देने के लिए न्यूनतम आयु के संबंध में है।
- सहमति-१८२: यह बालश्रम के निकृष्टतम रूपों के बारे में है।

जुलाई २०१३ तक, भारत सरकार ने इन दोनों सहमतियों पर अपनी प्रतिबद्धता नहीं जताई है।

२९. कोई नियोजक, बच्चों को काम पर रखना क्यों पसन्द करता है?

बच्चों को काम पर रखने के पक्ष में नियोजक के मुख्य तर्क तो कम लागत और बच्चों की छोटी, पतली और काम में फुर्तीली अंगुलियाँ बताई जाती हैं। वे बच्चों व परिवारों की मदद की भावना बताकर अपने को उदार समाजसेवी भी बताते हैं। और यह भी सच है कि वयस्कों के मुकाबले बच्चों का प्रबन्धन व नियन्त्रण आसान होता है। बच्चे कम गैर हाजिर रहने वाले, ज्यादा समय काम करने वाले, अपने अधिकारों से अनजान, कम तकलीफदेह, शिकायत न करने वाले और आसानी से समझौता करने वाले होते हैं। वे न तो कामगार यूनियन बनाते हैं और न सुविधाओं और अधिकारों की माँग करते हैं।

३०. बालश्रम को समाप्त करने में श्रमिक संगठन कैसे मदद कर सकते हैं?

श्रमिक संगठन, जिन उद्योगों और उद्यमों में सक्रिय हैं, वहाँ और सहायक संस्थानों में, अपने प्रभाव और प्रयासों का इस्तेमाल कर बच्चों के नियोजन को हतोत्साहित कर सकते हैं। इसी तरह वे अपने सदस्यों, साथी श्रमिकों, साथी श्रम संगठनों, अपनी सम्बद्धता वाले राजनीतिक दलों व नेताओं, सम्पर्क में आने वाले अधिकारियों तथा अपनी बस्तियों में बालश्रम की रोकथाम के लिए जागरूकता फैला सकते हैं और कानून का साथ दे सकते हैं।

३१. किसी क्षेत्र में बाल श्रमिकों का अनुमान लगाने का आसान तरीका क्या है?

किसी क्षेत्र में मौजूद बाल श्रमिकों का पता लगाने के लिए:-

१. शिक्षा विभाग से स्कूल न जाने वाले और स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या और आम सूचना जानकर,
२. उद्योग विभाग व स्थानीय नगरीय या ग्रामीण निकाय से क्षेत्र में चलने वाले उद्योगों व काम-धन्धों की सूची की मदद से खोज-बीनकर,
३. स्वैच्छिक संगठनों के कार्य से जुड़कर,
४. अपने पास-पड़ौस से खुद जानकारी एकत्र करना आसान और अच्छा तरीका हो सकता है। इन जानकारियों को प्राप्त करके बालश्रम उन्मूलन में मददगार हुआ जा सकता है।

३२. क्या देश व प्रदेश में बाल श्रमिकों की बरामदगी, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए कोई दिशा निर्देश या मानक संचालन प्रक्रिया है?

हाँ। वर्ष २००८ में, भारत सरकार के श्रम व रोजगार मंत्रालय ने व्यावहारिक दिशा निर्देशों का एक मसौदा जारी किया जो बाहर से उठा कर लाए गए या आए बाल मजदूरों की रोकथाम, बरामदगी, घर वापसी और पुनर्वास जैसे मामलों में मुख्य भूमिका रखने वालों की भूमिका स्पष्ट करता है। इन्हीं संकेतों की भावना को ध्यान में रखकर अगस्त २०१२ में राजस्थान सरकार ने १८ वर्ष की उम्र तक के मजदूरी में लगे बच्चों की पहचान, बरामदगी, संरक्षण और पुनर्वास के तरीकों तथा बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, पुलिस, श्रम विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई और जिला प्रशासन की भूमिकाओं के बारे में विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है।

३३. राजस्थान में बालश्रम कार्यबल की क्या भूमिका है?

राजस्थान में बालश्रम कार्यलय, जिला स्तर पर नियोजन व समन्वय के लिए गठित निकाय है। इसमें सभी सम्बन्धित विभागों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है।

यह कार्यबल सरकार को बाल श्रमिकों की बरामदगी व पुनर्वास में आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान पर विचार करता है। राजस्थान मानक संचालन प्रक्रिया में प्रावधान है कि बालश्रम कार्यबल हर पखवाड़े अपनी बैठक कर, जिले में हुए कार्यों की समीक्षा और भावी योजना पर बात करेगा।

३४. राजस्थान में बच्चे, किन रोजगारों में लगे हैं?

राजस्थान में अधिकतर बच्चे, खेती के काम में लगे हैं। इसके अलावा ईंट भट्टों, खानों, गलीचा बुनाई, कशीदाकारी, जरी, नगीना, घिसाई और पर्यटन जैसे कामों में लगे हैं। यहाँ से बच्चे गुजरात के बी.टी. कपास के काम में भी ले जाए जाते हैं।

३५. क्या बाल कल्याण समिति बालश्रम कार्यों में दखल के लिए अधिकृत है?

हाँ, बाल कल्याण समिति, बालश्रम मामलों पर कार्यवाही करने के लिए अधिकृत संस्था है। बाल कल्याण समिति बाल श्रमिकों की बारामदगी और नियोजन के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने का आदेश दे सकती है। राजस्थान मानक संचालन, प्रक्रिया में निर्देश है कि बाल श्रमिकों की बरामदगी के समय, बाल कल्याण समिति का एक प्रतिनिधि मौजूद रहना चाहिए। बच्चों का समुचित पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए, तफ्तीश के दौरान, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि की सूचना तैयार करने का काम भी, बाल कल्याण समिति का ही है।

३६. भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९ लाए जाने के बाद भी, क्या बालश्रम सम्बन्धी किसी और कानून की जरूरत है?

शिक्षा का अधिकार, ६ से १४ वर्ष के बच्चों का मूल अधिकार बन गया है लेकिन इससे सभी बच्चों का शिक्षा पाना और बाल मजदूरी में न लगना, पक्का नहीं हो गया है। अभी भी स्कूल न जाने वाले और मजदूरी में लगने वाले बच्चे हैं। बच्चों को मजदूरी में लगाने वाले नियोजक के लिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए, सरकार के पास सक्षम कानून की ताकत होना जरूरी है। इसके अलावा, अधिकतम १४ वर्ष की आयु वाले बच्चे ही, शिक्षा का अधिकार के दायरे में आ रहे हैं, जबकि बालश्रम अधिनियम १८ वर्ष तक के बच्चों के संरक्षण की बात करता है। इसलिए शिक्षा का अधिकार लागू होने के बावजूद, बालश्रम की रोकथाम और बच्चों के संरक्षण व विकास के लिए अन्य कानूनों की जरूरत है।

३७. बिना किसी प्रामाणिक दस्तावेज के, बाल श्रमिक कैसे स्कूल में भर्ती हो सकता है?

शिक्षा का अधिकार के अन्तर्गत, स्कूल में भर्ती की प्रक्रिया सरल कर दी गई है। राज्य सरकार के आदेश व राजस्थान मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार अब कोई बच्चा बिना किसी प्रामाणिक दस्तावेज के भी, अपनी उम्र के अनुकूल कक्षा में भर्ती हो सकता है। जरूरतमंद बच्चों को पूरे शिक्षा सत्र के दौरान कभी भी स्कूल में भर्ती किया जा सकता है।

३८. बालश्रम प्रथा कैसे खत्म की जा सकती है?

बालश्रम जैसी क्रूर प्रथा, किसी भी समाज के माथे पर कलंक है। इसे समाप्त करने के कुछ तरीके, ये हो सकते हैं-

१. समाज के हर तबके में, इस कलंक को मिटाने की चिन्ता और समन्वित योगदान हो।

२. राजनेताओं और नौकरीशाही में बालश्रम प्रथा खत्म करने की दृढ़ इच्छा शक्ति और सक्रियता हो।

३. बालश्रम निषेध नियमों व कानूनों का सख्ती से पालन हो, नियोजकों को जल्दी व सख्त सजा मिले।

४. कमजोर सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले बच्चों व उनके परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ पहुँचाए जाएं।

५. सभी बच्चों को स्कूल भेजा जाए और उनके संरक्षण व विकास पर ध्यान दिया जाए।

३९. बालश्रम मामले में चाइल्ड लाइन की क्या भूमिका है?

चाइल्ड लाइन आपातकालीन सेवा है। यह सप्ताह के सातों दिन चौबीसों घंटे उपलब्ध है। इसके लिए सारे देश में एक ही टेलीफोन नम्बर १०९८ निर्धारित है जिस पर नि:शुल्क सम्पर्क किया जा सकता है। बच्चे को तत्काल सहायता, सम्भाल और संरक्षण की जरूरत में, इस नम्बर पर टेलीफोन किया जा सकता है और राहत पाई जा सकती है। बाल श्रमिकों की मदद के लिए भी, इस सेवा का उपयोग किया जा सकता है। अभी यह सेवा कुछ ही शहरों में उपलब्ध है। इसे सभी जिलों/शहरों हमें शुरु करने की योजना है।

४०. क्या कुछ अदालती फैसले, मिसाल के तौर पर, बाल श्रमिकों के पुनर्वास में मददगार हो सकते हैं?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एम.सी.मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार (दिसम्बर १९९६) मुकदमे में-जोखिम भरे धन्धों में लगे बच्चों को, वहाँ से हटाने और उनका पुनर्वास किए जाने के लिए कुछ निर्देश भी दिए हैं। इस फैसले में, बिना जोखिम वाले धन्धों में लगे बच्चों की काम की स्थितियों के नियमन, सुरक्षा और उचित संस्थानों में उनकी शिक्षा के निर्देश भी दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रम से मुक्त कराए गए हर बच्चे के परिवार के कम से कम एक वयस्क सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराने को भी कहा है। नियोजक को, बाल श्रमिकों व उनके परिवारों के कल्याण के लिए स्थापित कोष में रूपये २०,०००/- प्रति बच्चा जमा कराने के भी आदेश, फैसले में दिए गए हैं। ऐसा न होने पर, राज्य सरकार से प्रति बच्चा रूपये ५०००/- जमा कराने को कहा है। इस कोष के ब्याज से बालश्रम से मुक्त बच्चों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। माननीय न्यायालय ने जोखिम रहित काम धन्धों में लगे बच्चों से भी ५-६ घंटे प्रतिदिन से अधिक काम न लेने, कम से कम दो घंटे प्रतिदिन बच्चों की पढ़ाई करवाने तथा पढ़ाई का पूरा खर्चा नियोजक द्वारा उठाने के भी निर्देश दिए हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बचपन बचाओ आन्दोलन की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा कि नियोजक द्वारा जुर्माने के रूप में दी जाने वाली प्रति बच्चा राशि रूपये २५०००/-उसी बच्चे के कल्याण में खर्च की जाएगी और इसे जमा कराने के लिए आरोपित नियोजक को न्यायालय के अन्तिम निर्णय का इन्तजार करने की जरूरत नहीं है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जिस भी नियोजक के परिसर में १४ वर्ष से कम उम्र का बच्चा, कानून के प्रतिकूल काम करता पाया जाएगा उसे प्रति बच्चा रूपये २०,०००/- अर्थदंड तुरन्त जमा कराना होगा और वह इस मामले में आरोप सिद्ध होने तक, इन्तजार करने का तर्क नहीं दे सकेगा।

बाल विवाह

सम्बन्धी

रोज के सवाल

१.   बच्चा कौन है?

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति के अनुसार, १८ वर्ष से कम उम्र का हर मानव बच्चा है, अगर उसने अपने देश के कानून में, पहले ही वयस्कता प्राप्त नहीं कर ली है। भारत में, १८ वर्ष की उम्र पूरी होने पर वयस्कता प्राप्त होती है। इसलिए १८ वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति बच्चा है। आयु आधारित यही परिभाषा, किशोर न्याय (बच्चों की सम्भाल व संरक्षण) अधिनियम २००० में भी पुष्ट की गई। इस अधिनियम में कहा गया है कि- जिस व्यक्ति ने १८ वर्ष की उम्र पूरी नहीं की, वह किशोर या बच्चा है।

बाल विवाह निषेध अधिनियम २००६ की धारा २(ए) में, उस व्यक्ति (पुरुष) को बच्चा माना गया है जिसने २१ वर्ष की उम्र पूरी नहीं की है। महिला को १८ वर्ष की उम्र पूरी होने तक बच्चा (या बच्ची) माना गया है। यहाँ, यह याद रखना जरूरी है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम २००६ में बच्चे/बच्ची की शादी की उम्र तय की गई है। यह बच्चों की उम्र तय नहीं करता।

२.   बाल विवाह का क्या अभिप्राय है?

बाल विवाह निषेध अधिनियम २००६ की धारा २(ए) के अन्तर्गत, जिस शादी का कोई भी पक्ष (वर या वधू) नाबालिग(बच्चा/बच्ची) है, वह बाल विवाह है। इस कानून में लड़की को १८ वर्ष पूरे करने पर और लड़के को २१ वर्ष पूरे करने पर बालिग माना गया है। इसका मतलब-विवाह के लिए कानूनी उम्र लड़की के मामले में १८ वर्ष और लड़के के मामले में २१ वर्ष पूरे होना है।

३.   क्या बाल विवाह निषेध अधिनियम, किसी एक समुदाय या धर्म के लोगों पर लागू है?

नहीं, बाल विवाह निषेध अधिनियम, जम्मू कश्मीर राज्य के अलावा, भारत के सभी नागरिकों पर लागू है। केन्द्र शासित प्रदेश पुदुचेरि के त्मदवदबवदज पर भी यह लागू नहीं है। उन पर फ्रांस के दीवानी कानून लागू हैं क्योंकि उन्हें फ्रांस के नागरिक माना जाता है।

४. भारत व राजस्थान में बाल विवाह की रोकथाम के लिए क्या नीतिगत और वैधानिक व्यवस्था है?

देश में बाल विवाह की रोकथाम के लिए मुख्य कानून के रूप में बाल विवाह निषेध अधिनियम २००६ लागू है। इसके अलावा वर्ष २०१० तक बाल विवाह प्रथा के के उन्मूलन के उद्देश्य से राष्ट्रीय कार्य योजना २००५ बनाई गई थी। ११वीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष २००७-१२) में विवाह के अनिवार्य पंजीयन और विवाह के समय, आयु के प्रमाणीकरण की व्यवस्था की गई। इस योजना में बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया गया। संयक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति में भी, बाल विवाह का निषेध किया गया है। भारत सरकार, जिसके पालन की प्रतिबद्धता बता चुकी है।

राजस्थान सरकार ने राजस्थान बाल विवाह नियम २००७ अधिसूचित कर, उपखण्ड दण्डनायक को बाल विवाह निषेध अधिकारी घोषित किया है। मुख्यमंत्री के सात सूत्री महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम (वर्ष २००९-१०) में बालविवाह निषेध को महत्वपूर्ण मुद्दा मानकर, अपनाया गया और आवश्यक हस्तक्षेप के लिए बालविवाह संघ जिलों का वर्गीकरण किया गया। प्रदेश के १० जिलों के २०० गाँवों को बालविवाहमुक्त गाँव बनाने के लिए पहल की गई। कुछ जिला कलेक्टरों ने आगे होकर मुद्रणालयों के लिए जरूरी कर दिया कि वे विवाह के निमंत्रण पत्र में वर-वधू की उम्र भी उद्धृत करें और उनके जन्म प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ प्रमाण के तौर पर सुरक्षित रखें।

५. बाल विवाह को रोकने और देर से विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए, क्या सरकारी योजनाएँ हैं?

बाल विवाह को रोकने और विलम्बित विवाह (देर से विवाह) के लिए कुछ सरकारी योजनाएँ लागू हैं। एक योजना है, ''सामूहिक विवाह के लिए अनुदान'' जो बाल विवाह और दहेज प्रथा को हतोत्साहित करती है। इसमें नव विवाहित दम्पति को (वधू के नाम स्थायी जमा के रूप में) तथा सामूहिक विवाह के आयोजक को व्यवस्था खर्च में सहयोग के लिए आर्थिक सहायता दी जा सकती है। इसी तरह की एक दूसरी ''सहयोग योजना'' है जिसके अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे चयनित परिवार को बेटी की शादी के समय रूपये १०,०००/- की नकद सहायता दी जाती है।

यह सहायता १८ वर्ष की उम्र के बाद बेटी की शादी करने पर, अधिकतम दो बेटियों तक दी जाती है। इन परिवारों की बेटी के दसवीं क्लास पास करने पर ५०००/- रुपये और स्नातक पास कर लेने पर १०,०००/- रूपये सहायता दी जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बिना बाप की बेटी की शादी पर भी, उसकी विधवा माँ को १०,०००/- रूपये सहायता दी जाती है। अन्तर्जातीय विवाह पर भी आर्थिक सहायता की योजना है। ३१ मार्च, २०१३ से पहले हुए अन्तर्जातीय विवाह पर ५०,०००/-रूपये और उसके बाद हुए अन्तर्जातीय विवाह पर दम्पति को ५,००,०००/-रूपये सहायता के तौर पर दिए जाते हैं।

पालनहार, आपकी बेटी, बालिका सम्बल योजना, ज्योति योजना, किशोरी शक्ति योजना, देव नारायण योजना, सबला, विभिन्न छात्रवृत्तियाँ, लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल, आदि कई योजनाएँ आर्थिक -सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों को मदद के उद्देश्य से चलाई जा रही हैं ताकि वे अपने बच्चों, विशेषकर बच्चियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दे सकें। इस प्रकार की सहायता से कम हुई चिन्ताएँ, कमजोर परिवारों को बाल विवाह जैसी प्रथाओं से दूर रहने में मदद करती हैं। समय-समय पर योजनाएँ एवं उनका स्वरूप बदलता रहता है।

६. बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम क्या हैं?

शारदा एक्ट के नाम से लोकप्रिय रहा, बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम सन् १९२९ में बना था। इसका उद्देश्य बाल विवाहों के सत्यापन पर नियंत्रण करता था, निषेध व रोकथाम, उसके बस में नहीं थी। कानून के उल्लंघन पर होने वाली कार्यवाही जटिल और समय खाने वाली थी। इसमें बाल विवाह की रोकथाम के लिए अफसरों को जिम्मेदार भी नहीं बनाया गया था। इन कमियों को दूर करने के लिए भारत सरकार, बाल विवाह निषेध अधिनियम २००६ लाई और पूर्ववत्ती बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम १९२९ को निरस्त किया। नए अधिनियम को १० जनवरी, २००७ को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और १ नवम्बर २००७ से यह लागू हुआ।

७. भारत में सिर्फ बाल विवाह सम्बन्धी मुख्य कानून कौन सा है?

बाल विवाह निषेध अधिनियम २००६, जो १ नवम्बर, २००७ से लागू हुआ, देश में बाल विवाह सम्बन्धी मुख्य कानून है।

८. बाल विवाह निषेध अधिनियम २००६ के मुख्य प्रावधान क्या हैं?

बाल विवाह निषेध अधिनियम २००६ के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:-

- बाल विवाहों के सत्यापन पर रोक लगाता है।
- बाल विवाह को आघटित और निरस्त करता है।
- बाल विवाह को प्रसंज्ञान योग्य और गैर जमानती अपराध बनाया गया है।
- बाल विवाह के अपराध में वर-वधू के माता-पिता, संरक्षक, रिश्तेदार, बैंड वाले, हलवाई, नाई, पंडित, आदि अर्थात् शादी में शामिल होने वाले और सेवाएँ देने वाले और २१ वर्ष से अधिक उम्र का होने पर दूल्हा भी अपराधी माने गये हैं।
- बाल विवाह की अनुमति देने प्रोत्साहन देने, व सत्यापन के लिए सजा निर्धारित है।
- बाल विवाह की सजा दो साल तक का सश्रम कारावास और एक लाख रूपये तक का जुर्माना, हो सकती है।
- बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति और उसको जिम्मेदार माने जाने का प्रावधान है।

९. बाल विवाह के क्या कारण हैं?

देश और प्रदेश में बाल विवाह का रिवाज चालू रहने के मुख्य कारणों में शिक्षा की कमी, बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता की कमी, पुराने समय से (सम्भवतः सैंकड़ों साल) बाल विवाह की सामाजिक स्वीकृति, कानून का पालन न होना और प्रशासन में इच्छा की कमी और काम के प्रति लापरवाही, आदि हैं। कुछ अन्य कारण इस प्रकार हैं:-

- बेटी को परिवार में बोझ की तरह माना जाता है और परम्परा व परिस्थिति के अनुसार जल्दी से जल्दी उसकी शादी करके परिवार बोझ उतारना चाहता है।

- यह आम धारणा और हक़ीक़त है कि कम उम्र के वर-वधू के विवाह में कम दहेज से काम चल जाता है। दहेज निरोधक कानून के बावजूद, दहेज का लेन-देन घटा नहीं है। पढ़े-लिखे माता-पिता को, पढ़ी-लिखी बेटी के लिए ज्यादा दहेज चुकाना पड़ता है। पढ़ी-लिखी और नौकरी-पेशा बेटी भी, अपने माता-पिता से ज्यादा से ज्यादा दहेज की शानदार शादी की अपेक्षा करती है। दूसरी ओर पढ़े-लिखे और सम्पन्न माता-पिता भी अपने बेटे की अधिकाधिक कीमत वसूलना चाहते हैं। शादी के उम्मीदवार, पढ़े-लिखें और सक्षम नौजवान भी ज्यादा से ज्यादा दहेज और शानदार शादी की शर्तें तय करते हैं। रिश्तेदार व अन्य परिचित भी दहेज को बुरा नहीं मानते। न्यायालय में विचाराधीन ज्यादातर दहेज के मामले, पति-पत्नी या ससुराली रिश्तेदारों के विवाद के कारण जन्मे हैं।

- भारतीय समाज में, बेटे या बेटी का विवाह अभी माता-पिता की जिम्मेदारी माना जाता है इसलिए वे जल्दी से जल्दी अपनी जिम्मेदारी पूरी करके, कई आशंकाओं से बचना चाहते हैं। इन आशंकाओं में सन्तान की पसन्द से उपजने वाले घटनाक्रम भी हैं।

- लड़की होने के कारण, छेड़-छाड़ जैसी बेहूदगी, तेजाब फेंकना, अपहरण, बलात्कार, निरन्तर विभिन्न प्रकार के उत्पीड़नों का जोखिम होने, समाज व सरकार की सुरक्षा देने की अनिच्छा और सामर्थ्य की कमी तथा हिंसा की शिकार लड़कियों व उनके संरक्षकों की तिरस्कार, बहिष्कार तथा उत्पीड़न- यही दबाव बनाता है कि यथाशीघ्र लड़कियों को "अपने घर" भेज दिया जाए।

- यह भी पुरानी धारणा है कि विवाह होने से लड़की का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा और लड़के को जिम्मेदारी का ज्ञान हो जाएगा।

- लड़के नहीं मिलना, लड़की नहीं मिलना, आटा-साटा, भाईयों की या बहिनों की शादियाँ एक साथ होना, आखातीज, गंगादशमी, देव उठनी एकादशी जैसे अबूझ मुहुर्त पर शादियाँ करना, जैसी धारणाएँ और रिवाज भी बाल विवाह को बढ़ाते हैं।

१०. बाल विवाह के क्या दुष्प्रभाव हैं?

- बाल विवाह, सम्भाल व संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों को ऐसी स्थितियों में धकेल देता है जिनके लिए उनका तन-मन तैयार नहीं होता है और वे अशिक्षा, गरीबी, बीमारी की खाई में डूबने-उतरने लगते है।
- बाल विवाह के शिकार हुए लड़के-लड़की के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, हिंसा-उत्पीड़न-शोषण से मुक्ति जैसे मौलिक अधिकार भी खत्म हो जाते हैं।
- बाल विवाह से लड़कियाँ जल्दी माँ बनने की प्रक्रिया से जुड़कर शिशु मृत्यु, मातृ मृत्यु को बढ़ाती हैं या कुपोषित/बीमार बच्चों की संख्या बढ़ाती है।
- बाल विवाह से लड़कियों की निरन्तर असुरक्षित यौन सम्पर्क की शुरूआत हो जाती है और वे प्रजनन संक्रमण, यौन संक्रमण एवं एचआईवी/एड्स जैसी घातक तक बीमारियों, बार-बार गर्भ धारण, गर्भपात, कुपोषण, टी.बी., आदि की शिकार होती रहती हैं।
- बाल विवाह लड़कियों की घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और जबरन श्रम के चक्र में उलझाता है।
- बाल विवाह से लड़के-लड़कियों के सीखने, कमाने और आगे बढ़ने के अवसर खत्म हो जाते हैं।

११. राजस्थान में बाल विवाह निषेध अधिकारी कौन है?

बाल विवाह निषेध अधिनियम २००६ की धारा १६ के अंतर्गत हर राज्य सरकार, पूरे राज्य या उसके विभिन्न क्षेत्रों के लिए बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त करती है। इसके लिए निर्धारित कार्यक्षेत्र सहित अधिसूचना जारी की जाती है। राजस्थान सरकार ने सभी उपखंड अधिकारियों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र का बाल विवाह निषेध दंडनायक अधिसूचित किया है। राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ४ सितम्बर, २०१३ को जारी, नयी अधिसूचना के अनुसार, तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्र में बाल विवाह निषेध का काम सौंपा गया है। तहसीलदारों को बाल विवाह को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने, कानून का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ़ कार्यवाही करने और बाल विवाह के मामलों का ध्यान रखने के लिए सरकारी अधिकारी, पंचायत सदस्य या समुदाय के प्रतिनिधि को अधिकृत करने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें हर तीसरे महीने जिला दंडनायक (कलेक्टर) को रिपोर्ट देने को भी कहा गया है।

१२. बाल विवाहों के प्रमाणीकरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा सकते हैं?

- कोई भी व्यक्ति या संस्था, पुलिस थाने बाल विवाह निषेध अधिकारी/प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडनायक को शिकायत कर सकते हैं। न्यायालय, अपनी सूचना के आधार पर भी अपनी पहल से कार्यवाही कर सकते हैं।
- न्यायालय, बाल विवाह रोकने के लिए आदेश दे सकता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले को दो साल तक की जेल और १ लाख रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।
- जिला दंडनायक (पदेन कलेक्टर) भी बाल विवाह रोकने की कार्यवाही कर सकते हैं।

१३. बाल विवाह को कौन कानूनन अमान्य कर सकता है और इसके लिए आवेदन की क्या सीमा है?

बाल विवाह निषेध अधिनियम २००६ के लागू होने से पहले या बाद हुआ कोई भी विवाह अपने विवाह के समय नाबालिग रहे वर या वधू की प्रार्थना पर निरस्त किया जा सकता है। इसके लिए :-

(अ) अधिकृत पक्ष को जिला न्यायालय में आवेदन करना होगा।

(ब) अधिकृत पक्ष यदि आवेदन के समय भी नाबालिग है तो उसके माता-पिता, संरक्षक या नज़दीकी व्यक्ति द्वारा, बाल विवाह निषेध अधिकारी के साथ मिलकर न्यायालय की शरण ली जा सकती है।

(स) यह आवेदन किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन आवेदक के बालिग होने के दो वर्ष बाद नहीं।

अधिनियम की धारा ३ के अनुसार जिला न्यायालय आवेदन मंजूर करने के साथ ही वर व वधू दोनों पक्षों को एक दूसरे से भेंट में प्राप्त नकदी और सामान-गहने, आदि या उनकी कीमत लौटाने का आदेश देगा।

१४. क्या कोई नाबालिग व्यक्ति अपने बाल विवाह को अमान्य कराने के लिए आवेदन कर सकता है?

हाँ, नाबालिग व्यक्ति अपने बाल विवाह को रद्द कराने के लिए अपने माता-पिता, संरक्षक या नजदीकी व्यक्ति के ज़रिये, बाल विवाह निषेध अधिकारी के साथ मिलकर आवेदन कर सकता है।

१५. क्या बाल विवाह को रद्द कराने के लिए आवेदन की कोई समय सीमा निर्धारित है?

अधिनियम के अनुसार, बाल विवाह को कानूनन रद्द कराने के लिए आवेदन करने की कोई समय सीमा तय नहीं है। लेकिन ऐसा आवेदन, आवेदक (नाबालिग वर या वधू) के बालिग होने (१८ वर्ष की उम्र पूरी करने) के दो वर्ष की अवधि के भीतर ही किया जा सकता है।

१६. यदि नाबालिग व्यक्ति (संभावित वर या वधू) अपने बाल विवाह को रूकवाना चाहता है तो वह किससे सम्पर्क करे?

किसी भी होने वाले या हो चुके बाल विवाह की शिकायत, कोई भी व्यक्ति (स्वयं नाबालिग बच्चा या बच्ची भी) कर सकते हैं। तत्काल सहायता पाने के लिए आगे बताये गये पक्षों से सम्पर्क किया जा सकता है:-

१. पुलिस (फोन नं. १००),
२. चाईल्ड लाइन (फोन नं. १०९८),
३. बाल विवाह निषेध अधिकारी (राजस्थान में उपखंड दंडनायक व तहसीलदार) या उनकी सहायता के लिए नियुक्त व्यक्ति,
४. प्रथम श्रेणी दंडनायक या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट,
५. बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष या कोई सदस्य,
६. गैर सरकारी संस्था/स्वैच्छिक संस्था के कार्यकर्त्ता,
७. जिला दण्डनायक,
८. परिवार न्यायालय।

१७. क्या कानून में बालिका को भरण-पोषण राशि देने का प्रावधान है?

बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा ४ में प्रावधान है कि जिला दंडनायक वर पक्ष को आदेश दे सकता है कि वह वधू (पक्ष) को उसका पुनर्विवाह होने तक भरण-पोषण खर्च दें। भरण-पोषण खर्च का निर्धारण वधू की जरूरत व जीवन स्तर तथा वर पक्ष की आमदनी के हिसाब से किया जायेगा। वधू (पक्ष) आवेदक होने पर, उसको पुनर्विवाह होने तक वर पक्ष के घर में रहने के भी आदेश दिये जा सकते हैं।

१८. बाल विवाह से उत्पन्न बच्चों को रखने व उनके भरण-पोषण के क्या कानून प्रावधान हैं?

बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा ५ में, बाल विवाह से जन्मे बच्चों को साथ रखने व भरण-पोषण खर्च के प्रावधान हैं। जिला दंडनायक बच्चे के सर्वश्रेष्ठ हित को ध्यान में रखते हुए, उसको रखने व भरण-पोषण खर्च देने के आदेश दे सकते हैं।

१९. क्या कानूनी रूप से अमान्य घोषित होने से पूर्व बाल विवाह से जन्मे बच्चे को अवैध माना जायेगा?

नहीं, बाल विवाह के बाद जन्मे बच्चे उस विवाह की कानूनी मान्यता खत्म होने के बाद भी, सब प्रकार से वैध बच्चे माने जायेंगे।

२०. क्या बालिग पुरूष, नाबालिग महिला से शादी कर सकता है?

नहीं, १८ वर्ष या अधिक उम्र के (बालिग) पुरूष द्वारा १८ वर्ष से कम की (नाबालिग) महिला से शादी करने पर, उसको पुरूष दो वर्ष तक के कठोर कारावास और १ लाख रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

२१. बाल विवाह को रद्द कराने व बालिका वधू और बाल विवाह से जन्मे बच्चों के लिए भरण-पोषण तथा संरक्षण पाने का आवेदन, किस न्यायालय में करना चाहिए?

बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा ८ के तहत नीचे बताये गये स्थानों के जिला दंडनायक न्यायालय बाल विवाह को रद्द कराने, बालिका वधू व बाल विवाह से जन्मे बच्चों के संरक्षण और भरण-पोषण खर्च दिलाने के लिए अधिकृत हैंः-

१. जहाँ वादी (आवेदक) व प्रतिवादी (दूसरा) पक्ष रहते हैं।
२. जहाँ बाल विवाह हुआ।
३. जहाँ दोनों पक्ष पहले रहे।
४. जहाँ, आवेदन के समय, आवेदक रहता है।

२२. बाल विवाह से संबंधित होने के बावजूद किस पक्ष को जेल की सजा नहीं हो सकती?

बाल विवाह निषेध अधिनियम में प्रावधान है कि बाल विवाह से सम्बद्ध होने के बावजूद, किसी महिला को जेल की सजा नहीं सुनाई जा सकती। हाँ, उन पर अर्थ दंड किया जा सकता है।

२३. किस तरह के बाल विवाह रद्द किये जा सकते हैं?

बाल विवाह रद्द होने के आधार ये हैं:-

१. विवाह के समय वर या वधू या दोनों नाबालिग हों,
२. जबरन बाल विवाह किया गया हो,
३. कानूनी संरक्षकों को फुसला कर विवाह किया गया हो,
४. विवाह के लिए नाबालिग बच्चों को बेचा गया हों, जबरन लाया गया हो, अनैतिक रूप से दबाया गया हो या वे विशेष परिस्थितियों के शिकार बनें हो।

२४. क्या मुख्य न्यायिक दण्डनायक बाल विवाह रोक सकते हैं?

अधिनियम की धारा १३(१) के अनुसार, मुख्य न्यायिक दंडनायक या अन्य प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडनायक या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट बाल विवाह रोकने के आदेश दे सकते हैं। बाल विवाह निषेध अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति की शिकायत पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने और बाल विवाह रोकने के आदेश जारी कर सकते हैं।

२५. क्या न्यायिक दंडनायक बाल विवाह की सूचना पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान ले सकते हैं?

हाँ, अधिनियम की धारा १३ (३) के अनुसार, प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडनायक या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, बाल विवाह की विश्वसनीय सूचना के आधार पर स्वप्रेरणा से कार्यवाही कर सकते हैं।

२६. बाल विवाह निषेध अधिकारी की क्या जिम्मेदारियाँ हैं?

बाल विवाह निषेध अधिनियम २००६ और राजस्थान बाल विवाह निषेध अधिनियम २००७, में बाल विवाह निषेध अधिकारी की मुख्य जिम्मेदारियाँ, इस प्रकार बताई गई हैं:-

- बाल विवाह रोकेने के लिए उचित कार्यवायी करना,
- बाल विवाह के लिए जिम्मेदार लोगो पर कानूनी कार्यवाई के लिए सबूत इकक्ट्ठे करना,
- लोगों को व्यक्तिश: या सामूहिक रूप से समझाना कि वे किसी भी रूप में बाल विवाह के भागीदार न बनें,
- बाल विवाह के खिलाफ सामान्य जन में जागरूकता फैलाना,
- समुदाय को बाल विवाह के विरूद्ध संवेदनशील बनाना,
- सरकार द्वारा वांछित रिपोर्ट और आँकड़ें देना,
- विवाह पंजीयन अधिकारी के रेकॉर्ड से भी बाल विवाह का पता लगाकर उचित कार्यवाही करना,
- राज्य सरकार के निर्देश से अन्य कार्य करना।

२७. बाल विवाह से दुष्प्रभावित बच्चों को चिकित्सकीय और विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए कौन अधिकृत है?

बाल विवाह निषेध अधिकारी, बाल विवाह से दुष्प्रभावित बच्चों को चिकित्सकीय, विधिक और अन्य सहायता उपलब्ध कराने के अधिकृत है। ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर कार्यरत विधिक सहायता अधिकरण भी बच्चों को परामर्श व कानूनी सहायता उपलब्ध करा सकता है।

२८. राजस्थान में बाल विवाह की क्या स्थिति है?

जिला स्तरीय घरवार सर्वेक्षण-३ (२००७-०८) के अनुसार, राजस्थान देश के सर्वाधिक बाल विवाह वाले राज्यों में दूसरे स्थान पर है। यहाँ २०-२४ वर्ष उम्र की ऐसी महिलाओं की संख्या ५७.६ प्रतिशत मिली जिनकी शादी १८ वर्ष से कम उम्र में हुई। गाँवों में यह संख्या ६१.६ प्रतिशत रही जबकि शहरों में ३८.८ प्रतिशत पाई गई। देश में यह संख्या ४३ प्रतिशत है। सर्वेक्षण का निष्कर्ष है कि राजस्थान में शादी के समय पुरूषों की उम्र प्रायः २०.७ वर्ष (कानूनी उम्र २१ वर्ष से कम) और स्त्रियों की उम्र प्रायः १७.७ वर्ष (कानूनी उम्र १८ वर्ष से कम) पाई गई। "बाल अधिकार सहमति के २० साल-एक सन्तुलन पत्र" रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में ८१.५ प्रतिशत महिलाओं का विवाह १८ वर्ष की कानूनी उम्र से पहले हुआ।

२९. क्या भारत में शादी का पंजीयन जरूरी है?

हाँ, नियमानुसार भारत में हर विवाह का पंजीयन जरूरी है, लेकिन दबाव के अभाव में, ज्यादातर विवाहों का पंजीयन नहीं कराया जाता। कानूनी झमेलों से बचने के लिए बाल विवाह का पंजीयन कराने कोई नहीं जाता।

३०. बाल विवाह को कैसे कानूनी रूप से अमान्य घोषित किया जाता हैं?

अधिनियम की धारा-३ के अन्तर्गत, बाल विवाह रोकने के लिए जारी अन्तरिम या अन्तिम निषेधाज्ञा के बावजूद, अगर कोई बाल विवाह हो जाता है तो शुरू में ही गैर कानूनी विवाह माना जाता है।

३१. बाल विवाह होने की शिकायत कौन कर सकता है?

बाल विवाह होने की शिकायत निम्न में से कोई भी कर सकता है:-

- कोई भी व्यक्ति, जिसको यह यकीन है कि बाल विवाह होने वाला है।
- शिक्षक, चिकित्सक, नर्स, आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, पंचायत सदस्य, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, गाँव के बुजुर्ग-युवा, पड़ौसी, आदि।
- बच्चा, बच्चे के माता-पिता या सरंक्षक।
- बाल विवाह निषेध अधिकारी या उसकी सहायता के लिए नियुक्त व्यक्ति।
- गैर सरकारी संगठन या उसके कार्यकर्त्ता।

३२. बाल विवाह की शिकायत कहाँ की जा सकती है?

बाल विवाह करना प्रसंज्ञान योग्य अपराध है इसलिए इसकी शिकायत नजदीकी पुलिस थाने में की जानी चाहिए। पुलिस, ऐसी शिकायत को रोजनामचे में दर्ज कर, प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार करती है।

प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडनायक या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के पास भी, बाल विवाह की शिकायत दर्ज की जा सकती है।

शिकायत जबानी या लिखित कैसे भी की जा सकती है। इसे फोन, फैक्स, ई-मेल या हाथ से लिखे या टाइप किए पत्र के रूप में भी भेजा जा सकता है।

३३. बाल विवाह कानून का उल्लंघन करने वालो के लिए, सजा के क्या प्रावधान हैं?

यदि दूल्हा बालिग है तो उसे दो साल तक के सश्रम कारावास और एक लाख रूपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

वे सभी व्यक्ति जो बाल विवाह के सलाहकार, आयोजक, सहायक या सहभागी पाए जाते हैं, दो साल तक की कैद और एक लाख रूपये तक के जुर्माने से दंडित किए जा सकते हैं।

वर व वधू, दोनों के नाबालिग होने पर, उनके माता-पिता या सरंक्षक या इस हैसियत से, किसी भी प्रकार (कानूनी हो या नहीं) जिम्मेदारी निभा रहे व्यक्ति, संगठन या संस्था के सदस्य, जो बाल विवाह के आयोजन अनुमति, गवाही, मौजूदगी में लिप्त पाए जाते हैं या जो बाल विवाह रोक नहीं पाते हैं, वे दो साल तक की कड़ी कैद और एक लाख रूपये तक के जुर्माने के हकदार होते हैं।

३४. क्या बाल विवाह निषेध अधिनियम २००६ का उल्लंघन प्रसंज्ञान योग्य और गैर जमानती है?

इस अधिनियम की धारा १७ के अन्तर्गत, बाल विवाह निषेध अधिनियम का उल्लघंन प्रसंज्ञान योग्य और गैर जमानती है।

३५. बाल विवाह निषेध अधिनियम २००६ के अन्तर्गत कौन-कौन दंडनीय हैं?

- अधिनियम की धारा १० के अंतर्गत जो भी व्यक्ति बाल विवाह का परामर्श आयोजन या सहायता करता है, दंडनीय है।
- धारा ९ के अंतर्गत वयस्क पुरूष जो अवयस्क स्त्री से शादी करता है, दण्डनीय है।
- नबालिग वर या वधू के माता-पिता या संरक्षक या उन बच्चों की कानूनी या सामाजिक जिम्मेदारी निभाने वाले लोग दंड के भागी होते हैं।
- धारा ११ के अन्तर्गत किसी संस्था/संगठन के सदस्य या कार्यकर्ता जो बाल विवाह के अनुमति, प्रोत्साहन, आयोजन या भागीदारी की लिए अथवा इसे रोकने में असफलता के जिम्मेदार हैं, सजा पा सकते हैं।
- बाल विवाह कराने वाले पंडित / काजी, आदि भी दंडित किए जाएंगे।

- वर/वधू पक्षों के रिश्तेदार, जो विवाह में सहयोगी या सहभागी है, दण्डनीय हैं।
- वर व वधू पक्षों के पड़ौसी, जो विवाह में सहयोगी या सहभागी हों, दंडनीय हैं।
- समुदाय के अगुआ (पंच-पटेल) जिन्होंने बाल विवाह को सहमति दी, वे भी दंड के भागी होते हैं,
- शादी तय कराने वाले नाई या मैरिज ब्यूरो के लोग भी दण्डित किए जाएंगे।
- टेंट वाले, हलवाई, बैंड, आदि अन्य सेवाओं से सहयोग देने वाले भी कानूनन सजा पाने के हक़दार हैं।

३६. बाल विवाह की घटनाएँ रोकने में, पुलिस की क्या जिम्मेदारी है?

समीपवर्ती, सरकारी और हस्तक्षेप के लिए अधिकृत इकाई होने के कारण, बाल विवाह रोकने में पुलिस की भूमिका, इस तरह हो सकती हैः-

- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके, जाँच करना,
- बाल विवाह निषेध अधिकारी को सूचना देना,
- बाल विवाह रोकने के आदेश जारी करने के लिए, जिला, दण्डनायक को सूचना देना,
- जाँच के लिए बाल विवाह निषेध अधिकारी या अन्य अधिकृत व्यक्ति के साथ जाना,
- प्रसंज्ञान लेने योग्य व गैर जमानती अपराध होने के कारण, आरोपितों को गिरफ्तार करना,
- बच्चों को न हथकड़ी लगाना और न गिरफ्तार करना,
- बाल विवाह निषेध अधिकारी या तदर्थ नियुक्त व्यक्ति के न होने पर, अपराध स्थल पर पहुँचकर, आवश्यक कार्यवाही करना,
- बच्चों के मामले में, बिना वर्दी के ही कार्यवाही करना ताकि वे न डरें और सहयोग करें।,

- बच्ची के साथ कार्यवाही के समय, महिला पुलिसकर्मी, महिला सामाजिक कार्यकर्त्ता, शिक्षिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, नर्स या बच्ची की नजदीकी सहेली की उपस्थिति पक्की करना,
- बच्चों को २४ घंटों के भीतर निकटस्थ बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करना और बाल कल्याण समिति की ना मौजूदगी में प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडनायक के सामने पेश करना,
- यह ध्यान रखना कि किशोर न्याय अधिनियम व उसके क्रियान्वयन नियमों के अनुसार, बाल विवाह के शिकार बच्चे भी सम्भाल व संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे हैं।

३७. बाल विवाह रोकने के लिए, जिला दण्डनायक के क्या कर्त्तव्य हैं?

- आखा तीज, जैसे सघन बाल विवाह अवसरों पर, जिला दंडनायक को बाल विवाह निषेध अधिकारी की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसके अलावा उन्हें पदेन कुछ शक्तियाँ प्राप्त होती है इसलिए वे बाल विवाह को रोकने के लिए हर सम्भव प्रयास कर सकते हैं। यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग भी कर सकते हैं।
- अपराध रोकने के लिए, काननून, स्वप्रेरणा से कार्यवाही कर सकते हैं।
- पंचायत सदस्यों को बाल विवाह रोकने और बाल विवाह की सूचना देने, जाँच करने व सबूत जुटाने में मदद के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं।
- जिले के सरकारी कर्मियों व गैर सरकारी कार्यकर्त्ताओं के लिए बाल विवाह रोकने के प्रशिक्षण रख सकते हैं।
- सम्भाल व संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों जिनमें बाल विवाह का विरोध करने वाले और बाल विवाह के चंगुल से मुक्त कराए बच्चे भी शामिल हैं, को तत्काल मदद के लिए चाइल्ड लाइन केन्द्रों की स्थापना करा सकते हैं।
- उपखंड दंडनायकों से बाल विवाह संबंधी नियमित रिपोर्ट प्राप्त कर आवश्यक कदम उठा सकते हैं।

३८. सहमति की न्यूनतम उम्र के बारे में, भारत के विधि आयोग के क्या सुझाव हैं?

सहमति की न्यूनतम उम्र के बारे में विचार करने का कारण है कि कम उम्र लड़कियाँ, यौन सहवास के परिणामों के बारे में नहीं जानती हैं। यह कारण समान रूप से नाबालिग दुल्हन और अन्य नाबालिग लड़कियों पर भी लागू होता है। इसलिए विधि आयोग का सुझाव है कि::-

i. एक निश्चित उम्र, जो अभी १६ वर्ष है, से कम उम्र की लड़की का विवाह रद्द किया जाए। इसके साथ ही, बाल विवाह निषेध अधिनियम २००६ की धारा ४ में, वधू के पुनर्विवाह तक भरण-पोषण खर्च तथा ५ व ६ में बच्चों को पास में रखने व उनकी वैधता के प्रावधानों को रद्द किए गए, विवाहों पर भी लागू किया जाए।

ii. दोनों में से किसी भी पक्ष की माँग पर, लड़कियों की १६ और लड़कों की १८ वर्ष उम्र तक के बीच हुई सभी शादियाँ रद्द की जाएं। भरण-पोषण खर्च, बच्चों को पास रखने और वैधता के प्रावधान, इन रद्द हुए विवाहों में भी लागू माने जाएं।

साथ ही, बाल विवाह निषेध अधिनियम २००६ की धारा ३(१) और ३(३) में संशोधन कर उपर्युक्त परिच्छेद प व पप में वर्णित सुझावों को शामिल कर, इस प्रकार पढ़ा जाए-

(१) इस अधिनियम के लागू होने के बाद हुई, १६ वर्ष से कम उम्र के बच्चे की कोई भी शादी, कानूनी रूप से अमान्य होगी और लड़का-लड़की किसी भी पक्ष की दूसरे पक्ष के विरूद्ध, याचिका पर अमान्यता का आदेश जारी किया जा सकता है।

(२) १६ से १८ वर्ष की उम्र के बीच हुई हर एक शादी, चाहे व इस अधिनियम के लागू होने के पहले हुई हो या बाद में, शादी के समय नाबालिग रहे पक्ष की प्रार्थना पर अमान्य घोषित करदी जाएगी। प्रार्थना, प्रार्थी पक्ष के २० वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले की जा सकती है।

- भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३७५(बलात्कार) के अपवादों को हटाया जाए। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि सभी लड़कियों के लिए, चाहे वे विवाहित हो या अविवाहित, यौन सहवास की सहमति की उम्र १६ वर्ष रहेगी। विधि आयोग की १७२वीं रिपोर्ट में सहमति की उम्र, सभी लड़कियों के लिए १६ वर्ष तय करने की सिफारिश की गई है।
- हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, सभी समुदायों के लोगों के लिए, एक निश्चित अवधि में विवाह पंजीयन कराना, अनिवार्य किया जाए।
- लड़के व लड़कियों की शादी की उम्र में फर्क रखने का कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। इसलिए इसे समान रूप से १८ वर्ष रखा जाए। बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा २(ए) को हटाकर, इस तरह लिखा जाए- "बच्चा माने, वह व्यक्ति जिसने १८ वर्ष की उम्र पूरी नहीं की है।"
- हिन्दू विवाह अधिनियम, जैसे अन्य अधिनियमों में भी संशोधन किए जाएं ताकि उनके प्रावधान, बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधानों से विरोधाभास न रखें।

३९. विवाह के निरस्तीकरण और तलाक में क्या फर्क है?

निरस्तीकरण और तलाक दोनों ही, विवाह भंग करने के कानूनी आदेश हैं लेकिन उनके संदर्भ में प्रक्रियाएँ अलग-अलग हैं। दोनों स्थितियों में मूल फर्क यह है कि- तालाक, वैध विवाह को विधिक प्रक्रिया द्वारा भंग किया जाना है जबकि निरस्तीकरण, अवैध विवाह को विधिक प्रक्रिया द्वारा भंग किये जाने का आदेश है। इन दोनों वैधानिक उपचारों को प्राप्त करने के आधार भी अलग-अलग हैं। तलाक के आधारों में-निर्दयता, व्यभिचार, पलायन, दूसरा विवाह, विवाह सम्बन्ध निभाने की शारीरिक अक्षमता, धोखाधड़ी और परित्याग, आदि शामिल हैं जबकि निरस्तीकरण के आधार-गलत जानकारी, धोखाधड़ी, जबरदस्ती, छिपाव, वैवाहिक अक्षमता, आदि हैं।

४०. बाल विवाह के बारे में क्या मिथ्या धारणाएँ हैं?

बाल विवाह को लेकर कुछ अति प्रचलित धारणाएं हैं जो निरन्तर जाँच और शोध के बाद गलत सिद्ध हुई हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं -

(क) बाल विवाह केवल गाँवों में होते हैं ।

यह सही तथ्य नहीं है। वास्तव में बाल विवाह ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में होते हैं। जिला स्तरीय प्रति घर सर्वेक्षण के अनुसार, ३८.८ प्रतिशत शहरी बच्चों की शादी, कानूनी उम्र से पहले हो जाती है।

(ख) बाल विवाह का प्राथमिक कारण गरीबी है।

यह आवश्यक नहीं है। बाल विवाह, गरीब व अमीर दोनों तरह के परिवारों में होते हैं। यूनिसेफ के भारत कार्यालय की सूचनाओं के अनुसार, देश का अपेक्षाकृत समृद्ध राज्य होने के बावजूद पंजाब में १८ वर्ष की कानूनी उम्र से पहले शादी के बन्धन में बंधने वाली लड़कियों की संख्या, आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी है। यह वर्ष १९९८-९९ में १२ प्रतिशत से बढ़कर वर्ष २००५-०६ में १९ प्रतिशत पहुँच गई। यह पंजाब में लड़कियों का अनुपात कम होने के प्रारम्भिक प्रभावों के कारण भी हो सकता है। राजस्थान में भी, इसी तरह के हालात हैं। सूक्ष्म अध्ययन बताते हैं कि धनी परिवारों के बच्चों के विवाह भी जल्दी होते हैं।

(ग) कम उम्र में शादी से लड़कियों की सुरक्षा होती है।

असलियत, इससे उलटी है। कम उम्र में विवाहित लड़कियों को तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और यौन उत्पीड़न व शोषण का शिकार होना पड़ता है। इससे जल्दी गर्भधारण, प्रसव व मातृत्व के परिणामस्वरूप होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं तथा बढ़ी मातृ मृत्यु दर-बाल मृत्यु दर का कारण बनना पड़ता है।

(घ) अगर लड़कों की शादी, जल्दी नहीं हुई तो उन्हें आगे दुल्हन मिलना मुश्किल हो जाता है।

यह बिल्कुल गलत अन्दाज है। जो लड़कियाँ, कम उम्र की शादी के लिए उपलब्ध हैं वे कानूनी उम्र में शादी के लिए भी उपलब्ध होंगी, अगर उनका बाल विवाह नहीं हुआ। उसी तरह वयस्क लड़कियों को भी उनके हम उम्र लड़के शादी के लिए तभी उपलब्ध होंगे जबकि वे बाल विवाह का शिकार होने से बचे रहेंगे।

इसके अलावा, यह भी समझने की जरूरत है कि लड़कियों की कमी का कारण असन्तुलित लिंगानुपात है। यदि प्रसव पूर्व लिंग चयन और पुत्र-प्राथमिकता के कारण कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु भेदभाव तथा ऐसे ही रिवाज चलते रहे तो विवाह के लिए भी लड़कियों की कमी होगी।

४१. क्या बाल विवाह सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को पीछे धकेलते हैं?

बाल विवाह की प्रथा और उससे उपजे प्रभाव, लगभग सभी सहस्त्राब्दी लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग में रोड़े खड़े करते हैं। जिन बच्चों की जल्दी शादी हो जाती है, उनके जल्दी स्कूल छोड़ने और घर की आमदनी में सहयोग देने के लिए, अकुशल मजदूर की तरह थोड़ी मजदूरी पर काम करने के खतरे बढ़ जाते हैं। इससे पहले सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य-अत्यन्त निर्धनता व भूख समप्ति बाधित होता है। बाल विवाह से बच्चों के खासतौर से बच्चियों के जल्दी स्कूल छोड़ने की गति, दर व संख्या बढ़ती है। यह दूसरे सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य-वैश्विकी प्राथमिक शिक्षा को दूर करती है। बाल बिवाह का रिवाज कायम रहने से बच्चा-बच्ची (महिला-पुरुष) असमानता को प्रोत्साहन मिलता है। वस्तुतः लड़कियों से भेदभाव बढ़ता है। इससे तीसरे सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य- महिला सशक्तीकरण एवं महिला-पुरूष समानता को प्रोत्साहन-पिछड़ता है।

किशोर माताओं से जन्मे बच्चे, मृत्यु के किनारे लगे रहते हैं। यह जोखिम चौथे सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य-बाल मृत्यु दर घटाने-की तरफ नहीं बढ़ने देता। बाल विवाह से माताओं का स्वास्थ्य-स्तर गिरता है। यह स्थिति पाँचवें सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य-मातृ स्वास्थ्य में सुधार के लिए खतरे पैदा करती है। स्पष्टतः कम उम्र की शादी से लगातार असुरक्षित यौन सहवास की शुरूआत होती है। इससे प्रजनन संक्रमण, संक्रामक यौन रोग और एच.आई.वी/एड्स के बढ़ने की आशंकाएँ भी बढ़ती हैं। इस प्रकार छठे सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य-एच.आई.वी./ एड्स, मलेरिया व अन्य बीमारियों को हराना मुश्किल-होता जाता है।

-:Contact Details:-

Prayatn Sanstha

Administrative Office

68/337, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur, Rajasthan, India, PIN – 302033

Phone: 0141-2792919, 2790420, Mobile: +91-9414028004

Email: prayatnraj@yahoo.com

Website: www.prayatn.org

german cooperation
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

PRAYATN

Karl Kübel Stiftung
für Kind und Familie